

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2020 की प्रतिवेदन सं. 1

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2020 की प्रतिवेदन सं. 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xii
अध्याय I: प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	2
निरंतर बचत	1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.4	3
स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	4
लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई वसूली	1.8	5
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.10	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण	1.11	6
अध्याय II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
शहरी विकास विभाग		
अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएँ	2.1	9-40
अध्याय-III: अनुपालन लेखापरीक्षा		
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग		
बैंक से ₹ 61 लाख की गैर-वसूली	3.1	41
सामान्य प्रशासन विभाग		
₹ 1.39 करोड़ की संविदा का अनियमित प्रदत्तन	3.2	43
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
अतिरिक्त गार्डों की तैनाती पर ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय	3.3	46
सूचना एवं प्रचार निदेशालय		
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन	3.4	48

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
श्रम विभाग		
₹ 49.13 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान एवं उस पर ₹ 48.51 करोड़ का ब्याज	3.5	53
राजस्व विभाग		
अनुपूरक अधिनिर्णय जारी करने में विलंब के परिणास्वरूप ₹ 2.03 करोड़ का परिहार्य ब्याज	3.6	56
समाज कल्याण विभाग		
वृद्धाश्रम का पूरा न होना और निर्माण हेतु समय विस्तार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य भुगतान	3.7	59
शहरी विकास विभाग		
शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत किफायती आवास परियोजनाएं (बीएसयूपी) - जेएनएनयूआरएम	3.8	62
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरणों, वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद में अनियमितताएं और कमियाँ	3.9	86
महिला एवं बाल विकास विभाग		
कामकाजी महिलाओं को किफायती एवं सुरक्षित आवास से वंचित रखना एवं ₹ 97.53 लाख की राशि को अवरूद्ध रखना	3.10	93

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.1	वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 25 लाख या अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त एनजीओ की विवरणी	1.1	97
1.2	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखों को प्रस्तुत किए जाने के ब्यौरों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा दिल्ली विधानसभा को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाने वाला विवरण	1.1	98
2.1	धन का अपयोजन	2.1.6	100
2.2	अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची जहाँ पानी की लाइन बिछाने से पहले सीवर लाइनों को बिछाया गया था	2.1.8.3	101
2.3	सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादन किए गए कार्य	2.1.9.1	103
2.4	ठेकेदारों की संविदा सीमा के बाहर कार्य का प्रदत्तन	2.1.9.2 (ii) (ख)	103
2.5	कार्यों के पूर्ण होने में देरी	2.1.10.1	104
2.6	प्रभागवार कार्यों की संख्या जिनमें संशोधित एए एवं इएस/तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी	2.1.10.2	105
2.7	कम या बिना जुर्माने के समय विस्तार की असंगत स्वीकृति	2.1.10.3	106
2.8	बिना हाइड्रोलिक परीक्षण के पाइपलाइन के लिए भुगतान करना	2.1.10.3	109
2.9	सुरक्षा जमा राशि को समय से पहले जारी करना	2.1.10.3	109
2.10	प्रभागवार कार्यों का विवरण जिनमें निरीक्षण नहीं किया गया था	2.1.12.2	110
2.11	प्रभागवार कार्यों का विवरण जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था	2.1.12.2	110
2.12	कार्यों की सूची जिनमें कार्यक्रम अनुसूची जमा नहीं की गई थी	2.1.12.3	111
3.5.1	उपकर संग्रह एवं व्यय का वर्षवार विवरण	3.5	114
3.8.1	सलाहकारों को अतिरिक्त भुगतान के विवरण	3.8.3.1 (vi)	114

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी जहाँ आवश्यक था सम्मिलित किया गया है।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा नामशः 'अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं' तथा अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर अधिक व्यय, आयकर एवं उस पर ब्याज का परिहार्य भुगतान, ब्याज का परिहार्य भुगतान एवं अनुपयोग पड़ी अवसंरचना आदि से संबंधित ₹ 264.29 करोड़ के वित्तीय आशय के 10 पैराग्राफ हैं।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ प्रमुख निष्कर्षों को नीचे सारांशीकृत किया जा रहा है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना" एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" नामक दो योजनाओं का विवरण देती है जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में धनराशि शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:-

शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना पूँजीगत सम्पत्ति के विकास के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को अनियमित रूप से परिवर्तित किया गया एवं दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.6)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परिकल्पित सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में दिसम्बर 2018 तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने की रणनीति की योजना के अभाव में, 2013-18 के दौरान केवल 353 अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति की गई थी एवं मार्च 2018 तक 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी टयूबवैल/हैंडपंपो पर निर्भर थीं एवं उनके पीने योग्य पानी की जरूरतों के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति पानी के टैंकरो से की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.7)

मंडलों द्वारा पानी एवं सीवर की पाइप लाइन बिछाने का कार्य असमन्वित तरीके से नियोजित एवं कार्यान्वित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किया गया व्यय निष्फल रहा एवं इच्छित लाभ प्राप्त नहीं हो सके थे।

(पैराग्राफ 2.1.7.1 एवं 2.1.8.1)

दिल्ली-2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान के चरण-1 के 34 निर्माण कार्यों को 2016 तक पूरा किया जाना था परंतु जुलाई 2018 तक केवल 11 निर्माण कार्य पूरे किए गए थे एवं 20 निर्माण कार्य प्रगति पर थे तथा तीन अभी भी पूर्व-निष्पादन स्तर में थे। मार्च 2018 तक 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1573 अनाधिकृत कॉलोनियों (88 प्रतिशत) में सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी एवं इन 1573 अनाधिकृत कॉलोनियों से निकला गंदा पानी एवं कूड़ा-करकट पानी की नालियों में बह गया एवं अपने अनुपचारित रूप में अंततः यमुना नदी में मिल गया।

(पैराग्राफ 2.1.8)

दिल्ली जल बोर्ड ने वन विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति एवं सीवर लाइन के निर्माण कार्यों की योजना बनाई तथा उनका निष्पादन किया, जोकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 2.1.7.2 एवं 2.1.8.2)

प्राक्कलनों के बनाने एवं उनके अनुमोदन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने एवं निष्पादन में विलंब, अयोग्य बोलीकर्ताओं का चयन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने में कमियाँ थीं।

(पैराग्राफ 2.1.9 एवं 2.1.10)

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल 657 पानी के टैंकरों में से 250 टैंकरों (38 प्रतिशत) को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निगरानी उपकरण जैसे कि जीपीएस, जल स्तर मीटर/प्रवाह मीटर/क्लोरीन मीटर आदि के बिना संचालित किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा

बैंक से ₹ 61 लाख की गैर-वसूली

बैंक से अनाधिकृत भुगतान की वसूली करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 61 लाख की राशि की सरकारी खाते में भरपाई नहीं हुई। विभाग को ₹ 12 लाख के ब्याज का नुकसान भी हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

₹ 1.39 करोड़ के संविदा का अनियमित प्रदत्तन

न्यूनतम सेवा शुल्क मानदंड पर आधारित निविदाओं की अस्वीकृति जिसे जीएफआर प्रावधानों और सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निविदाओं की प्राप्ति के पश्चात तथा सेवा कर की गलत गणना के आधार पर, जो कि एक वैधानिक कर है तथा वास्तविकता के अनुसार देय है, अपनाया गया था, ने निविदा प्रणाली की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया तथा ₹ 1.39 करोड़ की राशि के संविदा के अनियमित प्रदत्तन का कारण बना।

(पैराग्राफ 3.2)

अतिरिक्त गार्डों की तैनाती पर ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

सरकारी आदेशों/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों को अधिक संख्या में रखा जाना, जिसके कारण ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन

पीएसयू द्वारा उनके वर्गीकृत विज्ञापनों को प्रशासनिक विभागों से न गुजारने के परिणामस्वरूप डीएवीपी दरों का लाभ न लेना; तथा परियोजना की अनुमानित लागत को देखते हुए, एक परियोजना के शिलान्यास समारोह के विज्ञापन पर उनके अनुमानित लागत की तुलना में अधिक व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

₹ 49.13 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान एवं उस पर ₹ 48.51 करोड़ का ब्याज

अपनी अनिवार्य गतिविधियों के लिए अपनी आय के अल्प उपयोग और समय पर कर का भुगतान न करने के कारण दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण

श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹ 97.64 करोड़ की राशि का आयकर व ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा जिसे अन्यथा कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए था, इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों से वंचित रखा गया।

(पैराग्राफ 3.5)

अनुपूरक अधिनिर्णय के जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 2.03 करोड़ का व्यय परिहार्य ब्याज भुगतान के रूप में हुआ

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में भूमि मालिकों को समय पर मुआवजे प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.07 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ एवं ₹ 181.84 लाख की ब्याज देयता तय हुई।

(पैराग्राफ 3.6)

वृद्धाश्रम का पूरा न होना और निर्माण हेतु समय विस्तार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य भुगतान

रोहिणी वृद्धाश्रम के लिए ड्राइंग और डिजाईन में बारंबार संशोधन के कारण भूमि अधिग्रहण के 21 वर्ष बाद भी वृद्धाश्रम सिर्फ टेंडरिंग स्टेज पर ही है। कांतिनगर वृद्धाश्रम के मामले में, कार्यकारी एजेंसियों के बारंबार बदलाव के कारण भूमि के अधिग्रहण के 12 वर्ष बाद भी वृद्धाश्रम कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। विलंब के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 130.14 लाख के संरचना शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ और इसके अलावा वृद्धाश्रम में ठहरने के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा से दिल्ली के बुजुर्ग वंचित रह गए।

(पैराग्राफ 3.7)

शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत किफायती आवास परियोजनाएं (बीएसयूपी)-जेएनएनयूआरएम

केंद्रीय योजना “जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)” का उपमिशन “शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं (बीएसयूपी)” में शहरी गरीबों हेतु किफायती आवास परियोजनाओं का एक घटक था। प्रारंभ में यह योजना सात वर्षों की अवधि 2005-06 से 2011-12 के लिए थी। तथापि, इसका विस्तार उन परियोजनाओं के पूर्ण होने हेतु 31 मार्च 2017 तक किया गया, जिसकी संस्वीकृति मार्च 2012 तक दी गई थी।

आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसके स्वयं की अवधारणा के चरण से ही योजना की कमी के कारण प्रभावित रहा, क्योंकि डीएसआईआईडीसी व डीयूएसआईबी की सभी 14 आवासीय परियोजनाएं दिल्ली के केवल चार जिलों तक सीमित थीं यहाँ तक कि 675 लक्षित झुग्गी झोपड़ी समूह में से 461 दिल्ली के शेष सात जिलों में थी। इसके अलावा, छोटे समूहों के बजाय जो कि पूरी दिल्ली में फैले हों बड़ी संख्या की निवास इकाइयों वाली आवास परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी।

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी ने 52,344 निवास इकाइयों की 14 आवासीय परियोजनाओं को क्रियान्वित किया परन्तु इन 14 परियोजनाओं में से 24,000 निवास इकाइयों की चार परियोजनाएं योजना की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी अपूर्ण रहीं, परिणामस्वरूप इन चार परियोजनाओं पर ₹ 755.26 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इसके अतिरिक्त, जीएनसीटी दिल्ली केवल 5,483 लाभार्थियों की पहचान कर सका जिसमें से केवल 1,864 लाभार्थियों को अगस्त 2018 तक योजना के अंतर्गत निर्मित निवास इकाइयों में पुनर्वासित किया गया। इस प्रकार, लाभार्थियों की विलंब से पहचान के कारण ₹ 1,101.36 करोड़ की लागत पर जून 2018 तक निर्मित 28,344 निवास इकाइयों में से 90 प्रतिशत से अधिक बिना आवंटित, खाली और खराब होने की स्थिति में पड़ीं थीं।

योजना का उद्देश्य योजना के प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद एवं इसके बंद होने के एक वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। यह मुख्यतः परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कमी और लाभार्थियों की पहचान की खराब प्रगति के कारण हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरणों, वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद में अनियमितताएं और कमियाँ

योजना के तहत उपकरणों की खरीद में कमियाँ जिनमें कार्यान्वयन एजेंसियों को फंड जारी करने में विलंब, ट्रकों, टिपरों इत्यादि को भाड़े पर रखने हेतु पूँजीगत अनुदान का प्रयोग, सामग्रियों के रखने हेतु स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना आदेश देना, आवश्यक 10 प्रतिशत राशि को रोके बिना अग्रिम के रूप में पूरे भुगतान को जारी करने के कारण निधियों का अवरोधन, सामग्रियों की देरी से या कम आपूर्ति एवं उनकी डिलीवरी के बाद ट्रक चेसिस के निर्माण में देरी के मामले में ₹ 0.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति शुल्क की गैर-वसूली आदि शामिल हैं।

(पैराग्राफ 3.9)

कामकाजी महिलाओं को किफायती एवं सुरक्षित आवास से वंचित रखना एवं ₹ 97.53 लाख की राशि को अवरुद्ध रखना

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भूमि का कब्जा लेने के 16 वर्ष के उपरांत (दिसम्बर 2002) भी कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल का निर्माण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.53 लाख राशि अवरुद्ध हो गई साथ में अनेक कामकाजी महिलाएं एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं किफायती होस्टल सुविधा से वंचित रहीं।

(पैराग्राफ 3.10)

अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) में 79 विभाग और 67 स्वायत्त निकाय हैं। ऐसे 15 गैर-सरकारी संस्थान भी हैं जिन्हें 2017-18 के दौरान सहायता अनुदान में ₹ 25 लाख से अधिक राशि प्रदान की गई (परिशिष्ट 1.1)। रा.रा.क्षे.दि.स. के 2013-18 के दौरान बजट अनुमान और उनके वास्तविक आंकड़ों की स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2013-18 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40	7,055.66	6,427.12	7,210.04	6,590.28	7,851.52	7,195.96
सामाजिक सेवाएं	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11	16,193.02	14,817.83	18,431.53	16,578.89	21,231.39	19,602.11
आर्थिक सेवाएं	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99	4,302.65	4,138.71	5,412.43	5,111.41	6,149.61	5,862.01
सहायता अनुदान एवं अंशदान	804.50	804.50	900.99	900.99	958.89	958.89	1,022.44	1,021.34	1,093.94	1,093.94
कुल (1)	23,515.08	22,366.52	26,037.78	23,509.49	28,510.22	26,342.55	32,076.44	29,301.92	36,326.46	33,754.02
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94	5,308.25	4,723.47	4,686.10	3,754.30	3,852.08	3,242.92
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94	2,711.35	2,684.32	2,782.84	2,552.52	2,509.03	2,247.49
लोक ऋण की वापसी	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73	1,435.18	1,435.17	1,654.63	1,654.62	1,682.43	1,682.43
आकस्मिक निधि	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	2.40
लोक लेखों का संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतिम नकद शेष	0	880.65	0	1,517.07	0	3,654.94	0	2,645.35	0	2,982.52
कुल (2)	11,908.51	12,565.73	8,752.22	8,947.68	9,454.78	12,507.90	9,123.57	10,606.79	8,043.54	10,157.76
कुल योग (1+2)	35,423.59	34,932.25	34,790.00	32,457.17	37,965.00	38,850.45	41,200.01	39,908.71	44,370.00	43,911.78

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे

1.2 सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2013-14 में सरकार का कुल व्यय¹ 19.92 प्रतिशत बढ़कर ₹ 32,726.31 करोड़ से 2017-18 में ₹ 39,246.83 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 22,366.52 करोड़ था, जो 2017-18 में 50.91 प्रतिशत की वृद्धि के बाद ₹ 33,754.02 करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय 2013-14 में ₹ 4,707.42 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹ 4,403.94 करोड़ हो गया, 2015-16 में ₹ 4,723.47 करोड़ तक बढ़ गया, 2016-17 में ₹ 3,754.30 करोड़ तक घट गया तथा आगे 2017-18 में ₹ 3,242.92 करोड़ तक घट गया।

कुल व्यय के एक घटक के रूप में राजस्व व्यय 2013-14 में 68.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 86.00 प्रतिशत हो गया जबकि पूंजीगत व्यय 14.38 प्रतिशत से घटकर 8.26 प्रतिशत हो गया। 2013-18 की अवधि में कुल व्यय 7.47 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 10.25 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹ 27,980.69 करोड़ से ₹ 38,667.27 करोड़ हो गईं।

1.3 निरंतर बचत

तीन अनुदानों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 2.50 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई, जैसा कि तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: 2013-18 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत की धनराशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व (दत्तमत)						
1.	अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन: 2014 बी. 1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	6.04 15.24%	8.05 16.85%	15.29 24.50%	8.13 13.90%	7.86 13.31%
2.	अनुदान सं. 7: चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य: 2211 के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केंद्र (श.प.क.कें.)	3.50 71.43%	9.21 86.32%	8.71 87.10%	17.76 92.21%	2.50 58.28%
पूंजीगत (दत्तमत)						
3.	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण: 5055 डीडी- इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसें-वैकल्पिक परिवहन प्रणाली का प्रारंभ	97.21 97.21%	3.00 100%	11.00 100%	11.73 100%	12.66 42.20%

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन लेखे

सरकार ने सूचित किया कि बचत होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे (i) विज्ञापनों के लिए रखे गए बजट के एक बड़े हिस्से का खर्च न होना क्योंकि मामला न्यायाधीन था, (ii) वेतनमानों के उन्नयन के लिए बकायों के

¹ लोक ऋण तथा नकद शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

भुगतान हेतु रखे गए मुख्य प्रावधानों का उपयोग न किया जाना, (iii) कम संख्या में बिलों की प्राप्ति तथा (iv) कम ऋणों का जारी किया जाना।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2013-18 के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.3 में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजनागत अनुदान	326.91	327.95	2,905.02	1,118.71	ला.न.
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	717.81	1,467.35	486.72	550.17	ला.न.
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	358.14	552.84	866.55	1,156.28	ला.न.
केंद्रीय प्रायोजित योजना	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	994.72
विधानसभा सहित राज्य/सं.शा.क्षे. को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	1,189.46
कुल	1,402.86	2,348.14	4,258.29	2,825.16	2,184.18
पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	(-) 6.63	(+) 67.38	(+) 81.35	(-)33.66	(-)22.68
राजस्व प्राप्तियां	27,980.69	29,584.59	34,998.85	34,345.74	38,667.27
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	5.01	7.94	12.17	8.23	5.65

स्रोत: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

ला.न. - लागू नहीं

2013-14 से 2015-16 तक भा.स. से सहायता अनुदान की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी तथा उसके उपरांत 2015-16 से 2017-18 तक प्रवृत्ति घट गई थी। इसकी राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता 5.01 प्रतिशत से 12.17 प्रतिशत के मध्य थी।

1.5 स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन

स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय विवरणी में बैलेंस शीट, आय तथा व्यय के लेखे और/अथवा प्राप्ति तथा भुगतान के लेखे शामिल होते हैं। प्रत्येक लेखापरीक्षित स्वायत्त निकाय के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.प्र) होते हैं जिसमें वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण विधियों की अनुपालना, लेखाकरण मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों इत्यादि के संबंध में लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ होती हैं। रा.रा.क्षे.दि. के 10 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा भा.नि.म.ले.प. को सौंपी गयी हैं। लेखापरीक्षा को सौंपी गई स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखों की

प्रस्तुति, पृ.ले.प.प्र को जारी किए जाने तथा 31 मार्च 2018 तक इसको विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने को **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, प्रत्योयोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा पणधारियों के हित तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों का निर्धारण भी शामिल होता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा समयसीमा तय की जाती हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल करते हुए कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है या आगे, अनुपालना के लिए अन्य कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2017-18 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के 184 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) तथा चार स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी की गईं।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पूर्व वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में अनेक महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बताया है जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था। ध्यान अभीष्ट लाभार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा एवं पैराग्राफों को शामिल करने हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को

लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हुए उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दस लेखापरीक्षा पैराग्राफों को 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्ताव संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से छः लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2020)।

1.8 लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई वसूली

सरकार के विभागों के लेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आने वाली वसूलियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए पुष्टि व आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागीय आ.सं.अ. को भेजा गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा परिणामों जिनमें 154 मामलों में इंगित की गई ₹ 86.67 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ.सं.अ. ने 58 मामलों में ₹ 3.02 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की।

1.9 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हुए लेन-देन की नमूना जांच और महत्वपूर्ण लेखाकरण और अन्य अभिलेखों का विनिर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार रखरखाव का सत्यापन करते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षणों के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि, जिनका मौके पर निपटान नहीं होता, को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र) के रूप में कार्यालयाध्यक्षों को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ प्राधिकारियों को नि.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर दिल्ली के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना के बारे में सूचना देनी आवश्यक है।

31 मार्च 2018 तक, 1,970 नि.प्र. में सम्मिलित 8,610 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थी, जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: बकाया नि.प्र. तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2016 तक			मार्च 2017 तक			मार्च 2018 तक		
	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	876	3,647	99.84	1,124	4,578	106.41	1,097	4,191	105.49
सामान्य क्षेत्र	594	3,455	455.30	641	3,499	457.15	711	3,869	590.15
आर्थिक क्षेत्र (गैर. सा.क्षे.उ.)	180	640	5,494.71	175	614	5,437.51	162	550	5,255.70
	1,650	7,742	6,049.85	1,940	8,691	6,001.07	1,970	8,610	5,870.34

बड़ी संख्या में बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ वित्तीय प्रबंधन तथा जवाबदेही में सुधार करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों का पता लगाने हेतु सरकार की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.10.1. स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स तथा लोक लेखा समिति में पैराग्राफों की चर्चा का गैर-प्रस्तुतिकरण

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा में दर्शाये गये सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरुआत करनी चाहिए इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि इनकी लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन ए.टी.एन. को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तारीख से लेकर तीन महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत् जांच के बाद लो.ले.स. को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2007-08 से 2016-17 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दिखाए गए 42 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 130 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 32 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। छः निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 26 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 31 अक्टूबर 2018 तक, लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गई है।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनके धन मूल्य सहित दर्शाए गए थे, को तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: मार्च 2015-मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण

मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2015	4	240.04	16	1,711.58	4	12
2016	5	107.93	15	365.91	4	12
2017	3	231.68	13	184.40	1	09

सरकार को 12 निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 44 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे। हालांकि, सरकार/विभागों से केवल नौ निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 33 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन में ₹ 136.15 करोड़ धन मूल्य की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 128.14 करोड़ के 10 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए हैं। जहां कहीं भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय - II

निष्पादन लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

2.1 अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली “अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना” एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना” नामक दो योजनाओं को शामिल किया गया है जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में धनराशि शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए हैं।

मुख्य बिन्दु

शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना पूँजीगत सम्पत्ति के विकास के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को अनियमित रूप से परिवर्तित किया गया एवं दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.6)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परिकल्पित सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में दिसम्बर 2018 तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने की रणनीति की योजना के अभाव में, 2013-18 के दौरान केवल 353 अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति की गई थी एवं मार्च 2018 तक 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी ट्यूबवैल/हैंडपंपो पर निर्भर थीं एवं उनके पीने योग्य पानी की जरूरतों के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति पानी के टैंकरो से की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.7)

मंडलों द्वारा पानी एवं सीवर की पाइप लाइन बिछाने का कार्य असमन्वित तरीके से नियोजित एवं कार्यान्वित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किया गया व्यय निष्फल रहा एवं इच्छित लाभ प्राप्त नहीं हो सके थे।

(पैराग्राफ 2.1.7.1 तथा 2.1.8.1)

दिल्ली-2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान के चरण-1 के 34 निर्माण कार्यों को 2016 तक पूरा किया जाना था परंतु जुलाई 2018 तक केवल 11 निर्माण कार्य पूरे किए गए थे एवं 20 निर्माण कार्य प्रगति पर थे तथा तीन अभी भी पूर्व-निष्पादन स्तर में थे। मार्च 2018 तक 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1573 अनाधिकृत

कॉलोनियों (88 प्रतिशत) में सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी एवं इन 1573 अनाधिकृत कॉलोनियों से निकला गंदा पानी एवं कूड़ा-करकट पानी की नालियों में बह गया एवं अपने अनुपचारित रूप में अंततः यमुना नदी में मिल गया।

(पैराग्राफ 2.1.8)

दिल्ली जल बोर्ड ने वन विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति एवं सीवर लाइन के निर्माण कार्यों की योजना बनाई तथा उनका निष्पादन किया, जोकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 2.1.7.2 एवं 2.1.8.2)

प्राक्कलनों के बनाने एवं उनके अनुमोदन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने एवं निष्पादन में विलंब, अयोग्य बोलीकर्ताओं का चयन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने में कमियाँ थीं।

(पैराग्राफ 2.1.9 एवं 2.1.10)

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल 657 पानी के टैंकरों में से 250 टैंकरों (38 प्रतिशत) को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निगरानी उपकरण जैसे कि जीपीएस, जल स्तर मीटर/प्रवाह मीटर/क्लोरीन मीटर आदि के बिना संचालित किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.11)

2.1.1 प्रस्तावना

अनाधिकृत कॉलोनी का तात्पर्य ऐसी कॉलोनी/ आसपास के क्षेत्र को शामिल करते हुए विकास से है, जहाँ इन कॉलोनियों के निवासियों द्वारा ले आउट प्लान/ बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन संबंधित एजेंसी दि.वि.प्रा./दि.न.नि. द्वारा नहीं लिया गया है। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियाँ उस समय से अस्तित्व में हैं जब 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) की स्थापना के साथ दिल्ली के विकास की योजना शुरू हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दिसंबर 1996 में भारत सरकार को नियमितीकरण के लिये नीति, नियम एवं शर्तें निर्धारित करने के लिये एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने हेतु निर्देश दिया। लंबी खींची प्रक्रिया के उपरांत, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने मार्च 2008 में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की। 2008 के विनियमों की अनुपालना में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची विनियमित करने के लिए अंतिम रूप दिया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये तथा विनियम 2008 के संदर्भ में उनके नियमितीकरण के लिए अधिसूचना जारी की। हालांकि, इन 895 अनाधिकृत कॉलोनियों में से कोई भी इन कॉलोनियों में सीमा निर्धारण नहीं होने के कारण नियमित नहीं की जा सकी। दिसंबर 2015 में, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने निश्चय किया कि विकास कार्यों के लिये नियमितीकरण के योग्य कॉलोनियों तथा अन्य कॉलोनियों (902 अनाधिकृत कॉलोनियों) में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। कॉलोनियों के संदर्भ में इस नियम का एक ही अपवाद उन कॉलोनियों के लिए होगा जो कॉलोनियाँ वन क्षेत्र के अंदर आती हैं या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विनियमन के अंतर्गत आती हैं।

“अनाधिकृत कॉलोनियों में अनिवार्य सेवाओं का प्रावधान” योजना स्कीम के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दो योजनाएं “अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति” एवं “अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना” को कार्यान्वित किया जा रहा था, जिसके लिए शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सहायता अनुदान (सहायता अनुदान) जारी किया जाता है। “अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना” योजना में अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की आंतरिक लाइनें डालना शामिल था एवं पानी के टैंकों से अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति करना था। “अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना” योजना में, बिना सीवरेज वाली अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक सीवरेज लाइनें डालना शामिल था। 2015-16 के बजट दस्तावेजों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने (जुलाई 2015) तीन वर्ष की अवधि के अंदर समयबद्ध रूप से सभी घरों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति का प्रावधान किया। 2018-19 के बजट में इस समय सीमा को दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली में कुल 1,797 में से मार्च 2013 तक क्रमशः 877 (48.8 प्रतिशत) तथा 98 (5.5 प्रतिशत) अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध थीं। अगले पांच वर्षों में 2013-14 से 2017-18 तक, अतिरिक्त 353 तथा 126 अनाधिकृत कॉलोनियों में क्रमशः पाइप द्वारा जल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रकार, मार्च 2018 तक, कुल 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1230 (68.4 प्रतिशत) कॉलोनियों तथा 224 (12.5 प्रतिशत) अनाधिकृत कॉलोनियों में क्रमशः पाइप द्वारा जल आपूर्ति एवं सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।

2.1.2. संगठनात्मक संरचना

दिल्ली जल बोर्ड का गठन 1998 में, शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत हुआ। इसके अध्यक्ष एक चेयरमैन होते हैं, जिनकी सहायता एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित क्षेत्र¹ के शीर्ष चार सदस्यों, विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष मुख्य अभियंता, तथा परिमंडलों एवं संबंधित डिवीजनों के क्रमशः शीर्ष कार्यकारी अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा की जाती है।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करने के लिए था कि क्या:

- (i) योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन कुशल था;
- (ii) अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित योजनाएं थी;
- (iii) निविदाएं आमंत्रित करना, विकास निर्माण कार्यों का सौंपा जाना एवं निष्पादन मौजूदा नियमों के अनुसार थे;
- (iv) सृजित की गई सुविधाएं प्रभावी रूप से कार्यान्वित एवं अपेक्षित उद्देश्य का निर्वहन कर रही थी; एवं
- (v) निरीक्षण और निगरानी तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2018 में प्रारंभ हुई जिसमें 5 वर्षों की अवधि 2013-14 से 2017-18 को कवर किया गया है। विशेष सचिव एवं शहरी विकास विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ प्रविष्टि सम्मेलन (अप्रैल 2018) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों के मापदंड, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा अप्रैल से सितम्बर 2018 के दौरान शहरी विकास विभाग, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय, में चुने गए 18 मंडलों² में अभिलेखों की जांच एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण, जहाँ भी आवश्यक हो, द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा के लिए मंडलों का चयन सामान्य यादृच्छिक नमूना पद्धति द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से, 41 मंडलों के 25

¹ जल आपूर्ति, निकास, वित्त एवं प्रशासन

² जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 41 योजनाओं का एक चौथाई: 11 मंडलों (आरपीसी, डबल्यू (परियोजनाएं)-IX, उत्तर-पश्चिम-II, उत्तर-I, दक्षिण-III, दक्षिण-IV पश्चिम-III, दक्षिण-पश्चिम-II, उत्तर-पूर्व-II, ई एण्ड एम एचपी-I, व ई एण्ड एम डबल्यू एण्ड एस दक्षिण-II) और 21 सीवरेज योजनाओं का एक तिहाई: 8 मंडल (एस आर-II, डी-आर-XII, डीआर-XIV, डी.आर-III, डी आर-VIII, डी.आर-XI व डी आर IX)। जल आपूर्ति योजना के लिए 1 मंडल जो कि दक्षिण पश्चिम II में सीवरेज योजना के साथ जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चयनित किया गया।

प्रतिशत (11 मंडल) क्षेत्रों का चयन किया गया जिसमें “अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना” योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उपयोग में लाया गया एवं 21 मंडलों के 38 प्रतिशत (8 मंडल) जोकि अनाधिकृत कॉलोनियों में “सीवरेज सुविधाएँ उपलब्ध कराना” योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान उपयोग कर रहे थे, को चयनित किया गया।

दिल्ली की कुल 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 18 चयनित मंडलों के अंतर्गत आने वाली सभी 374 अनाधिकृत कॉलोनियों जहां 2013-18 के दौरान जल आपूर्ति का काम शुरू किया गया था तथा 378 अनाधिकृत कॉलोनियों जहां सीवर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, को लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के साथ 13 अनाधिकृत कॉलोनियों तथा छः जल आपातकालीन सेवाएं³ के कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अनाधिकृत कॉलोनियों का विवरण जिसमें पाइप द्वारा जल आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाओं के निर्माण कार्यों जो लेखापरीक्षा अवधि 2013-18 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हाथ में लिये गये एवं जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा में कवर किया गया, को तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: अनाधिकृत कॉलोनियों के विवरण जहाँ निर्माण कार्यों को किया गया एवं लेखापरीक्षा में शामिल किया गया

विवरण	जल आपूर्ति		सीवरेज सुविधाएँ	
	कुल	नमूने में	कुल	नमूने में
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहाँ मार्च 2013 तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी	920	530	1,699	902
अनाधिकृत कॉलोनियों जहाँ कार्य हाथ में लिये गये	546	374	526	378
अनाधिकृत कॉलोनियों जहाँ कार्य पूर्ण किये गये एवं मार्च 2018 तक अधिसूचित किये गये	353	198	126	46
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां जल/सीवर लाइन को बिछाने का कार्य पूरा हो गया परंतु संबंधित बुनियादी संरचना ⁴ तथा प्रक्रियागत विलंब के कारण लाइने शुरू नहीं की जा सकी	166	155	134	134
अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां कार्य पूर्ण होना बाकी है	27	21	266 ⁵	198

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

³ जहां पानी के टैंकर भरे जाते हैं।

⁴ पानी के लिये - भूमिगत रिजर्वर तथा पेरीफेरल लाइन तथा सीवरेज के लिए - ट्रेक/इंटरसेप्टर सीवर, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन तथा पेरीफेरल लाइन

⁵ इन 266 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 47 अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य बंद कर दिया गया।

लेखापरीक्षा के समापन के उपरांत 06 नवम्बर 2018 को शहरी विकास विभाग एवं दिल्ली जल बोर्ड को एक मसौदा रिपोर्ट जारी की गयी थी उसके बाद 13 फरवरी 2019 को शहरी विकास विभाग एवं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया। प्राप्त किए गए उत्तरों को इस रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित से व्युत्पन्न हुए हैं:

- (i) दिल्ली -2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान;
- (ii) शहरी विकास मंत्रालय, भा.स. एवं शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स., द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश एवं अनुदेश;
- (iii) सामान्य वित्तीय नियम 2005 एवं 2017;
- (iv) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण नियमावली 2012 एवं 2014;
- (v) दिल्ली जल बोर्ड के संविदा की सामान्य शर्तें; एवं
- (vi) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी अनुदेश एवं आदेश

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनाधिकृत कॉलोनियों में “पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना” एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में “सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना” योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन, योजना, निष्पदान एवं निर्माण कार्यों की निगरानी से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

2.1.6 वित्तीय प्रबंधन

2013-14 से 2017-18 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत तथा किये गये व्यय के प्रति प्राप्त की गई निधियों का विवरण तालिका-2.2 एवं तालिका-2.3 में दिया गया है। “अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना” योजना के लिए जीआईए के दो घटक हैं (i) टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए ‘सहायता अनुदान -सामान्य’ एवं (ii) पानी की सीवरेज लाइन बिछाने के लिए पूंजीगत निर्माण कार्य हेतु ‘सहायता अनुदान-पूंजीगत’। “अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना” योजना के लिए सहायता अनुदान का केवल एक घटक है नामशः सीवर लाइन डालने के लिए “सहायता अनुदान-पूंजीगत”।

तालिका 2.2 : वर्ष 2013-18 के दौरान जल आपूर्ति योजना के लिए प्राप्त की गई अनुदानों के उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त की गई सहायता अनुदान			कुल राशि	उपयोग की गई सहायता अनुदान			अंतिम शेष
		सामान्य	पूँजीगत	कुल		सामान्य	पूँजीगत	कुल	
2013-14	0	90.00	40.00	130.00	130.00	93.82	34.11	127.93	2.07
2014-15	2.07	70.00	110.00	180.00	182.07	133.20	46.32	179.52	2.55
2015-16	2.55	134.00	140.00	274.00	276.55	216.02	47.03	263.05	13.50
2016-17	13.50	345.00	162.00	507.00	520.50	307.78	95.78	403.56	116.94
2017-18	116.94	150.00	150.00	300.00	416.94	280.27	70.15	350.42	66.52
कुल		789.00	602.00	1,391.00		1,031.09	293.39	1,324.48	

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना

उपरोक्त तालिका-2.2 के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि “सहायता अनुदान-सामान्य” (टैंकरो द्वारा जल आपूर्ति के लिए) में प्राप्त की गई राशि उपयोग की गई निधि से लगातार अधिक है (2016-17 को छोड़ कर) और यह आधिक्य व्यय “सहायता अनुदान -पूँजीगत” के अंतर्गत प्राप्त निधियों से खर्च किया गया था। इससे तात्पर्य है कि “सहायता अनुदान पूँजीगत” से निधि जो “अनाधिकृत कॉलोनिओ में पीने का पानी उपलब्ध कराने” हेतु केवल आंतरिक पानी की लाइनें बिछाने के पूँजीगत निर्माण कार्य के लिए थी, को अनियमित रूप से टैंकरो द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए विचलन एवं उपयोग किया गया।

चयनित मंडलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2013-18 के दौरान “अनाधिकृत कॉलोनिओ में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने” के लिए योजना में ₹ 5.33 करोड़ की धनराशि को अनियमित रूप से विचलन किया गया एवं अन्य उद्देश्यों, जैसे कि विभागीय कर्मचारियों को अग्रिम नगद एवं विविध मरम्मत और रखरखाव आदि के लिए उपयोग किया गया (परिशिष्ट-2.1)।

सरकार ने उत्तर (फरवरी 2019) दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया है एवं भविष्य में इस प्रकार के विचलन से बचाव को ध्यान में रखा जाएगा।

तालिका 2.3: वर्ष 2013-18 के दौरान सीवरेज योजना के लिए प्राप्त की गई अनुदानों के उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्त की गई सहायता अनुदान	कुल राशि	उपयोग की गई सहायता अनुदान	समाप्त शेष
2013-14	53.79	33.73	87.52	103.75	(16.23)
2014-15	0.00	125.00	125.00	125.18	(0.18)
2015-16	0.00	335.00	335.00	199.96	135.04
2016-17	135.04	200.00	335.04	273.24	61.80
2017-18	61.80	235.00	296.80	207.84	88.96
कुल	53.79	928.73	982.52	909.97	72.55

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना

सीवरेज योजना के अंतर्गत, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान, क्रमशः ₹ 16.23 करोड़ एवं ₹ 0.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि किया गया अतिरिक्त व्यय उसने अपने स्वयं के संसाधनों से किया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड ने आगामी वर्षों के लिए प्राप्त की गई राशियों के प्रति अधिक व्यय को समायोजित नहीं किया था।

जल आपूर्ति एवं सीवरेज निर्माण कार्यों की योजना एवं निष्पादन

2.1.7 जल आपूर्ति निर्माण कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लिए कोई दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने समयबद्ध तरीके से दिसम्बर 2018 तक सभी घरों में पाइप से जल आपूर्ति के प्रावधान को परिकल्पित किया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारित तिथि तक सम्मिलित नहीं की गई सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को सम्मिलित करने के लिये रणनीतिक कार्य योजना की मांग की। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने किसी भी ऐसे कार्य योजना को उपलब्ध नहीं कराया। अतः लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या वहाँ पर दिसंबर 2018 तक सभी को जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिये कोई रणनीतिक योजना उपलब्ध थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,797 में से 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी मार्च 2018 तक पीने योग्य जल की आवश्यकता के लिये ट्यूबवेल तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल के टैंकों द्वारा की जाने वाली जल की आपूर्ति पर निर्भर थे।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2019) कि दिल्ली में जल की कमी है एवं यमुना नदी के ऊपर बांध के पूरा होने के बाद, सभी अनाधिकृत कॉलोनियों एवं अन्य

कमी वाले क्षेत्रों को कवर करना संभव होगा। हालांकि, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परिकल्पित, दिसम्बर 2018 तक योजनाबद्ध तरीके से सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को कवर करने की रणनीतिक कार्य योजना की उपलब्धता या अन्य योजना के संबंध में उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया।

2.1.7.1 पाइपलाइनों के बिछाने के लिए एकीकृत/व्यापक योजना का अभाव

पेय जल की आपूर्ति में जल शोधन संयंत्र से दूषित जल का शोधन तथा जल शोधन संयंत्र के अधिकार क्षेत्र में स्थित भूमिगत स्रोत में शोधित जल की, ट्रांसमिशन लाइन से आपूर्ति भी सम्मिलित है। इन भूमिगत स्रोत से कॉलोनियों में डाली गई आंतरिक पाइप लाइनों के लिये पानी, कॉलोनियों के बाहरी क्षेत्रों में डाली गई भूमिगत स्रोत से जुड़ी हुई पेरिफेरल लाइनों द्वारा पहुँचाया जाता है। आंतरिक पानी के पाइपों को बिछाने की योजना बनाने से पहले जल की उपलब्धता एवं संबद्ध बुनियादी ढाँचे जल शोधन संयंत्र, भूमिगत स्रोत तथा परिधीय लाइनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था।

चयनित मंडलों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के रख-रखाव मंडलों ने किसी भी व्यापक/रणनीतिक मास्टर प्लान जैसे कि, पानी और संबद्ध बुनियादी ढाँचे, जल शोधन संयंत्र, भूमिगत स्रोत और परिधीय लाइनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आंतरिक पानी की लाइनें बिछाने के लिए प्रस्तावित की। निर्माणाधीन या प्रस्तावित भूमिगत जलाशयों/परिधीय लाइनों से पानी की निकासी के लिए बार-बार प्रस्ताव तैयार किए गये थे। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत स्रोत और परिधीय लाइनों के संबद्ध बुनियादी ढाँचे की अनुपलब्धता के कारण शेष आंतरिक लाइनें अप्रयुक्त रहीं।

चयनित 11 मंडलों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 1,122 अनाधिकृत कॉलोनियाँ थी, जिनमें से 592 अनाधिकृत कॉलोनियों को मार्च 2013 तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति के लिए पहले ही अधिसूचित⁶ कर दिया गया था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान शेष 530 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 374 अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक जल लाइनों के लिए निर्माण कार्यों की योजना बनाई गई थी। इन 374 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 155 अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गए थे, परंतु लाइनें चालू नहीं की जा सकी थीं। 144

⁶ सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया गया कि बताए गये इन स्थानों तथा आवास क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई इन सुविधाओं जल/सीवर कनेक्शन लगवाने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया जा सकता है।

अनाधिकृत कॉलोनियों⁷ में चालू करने में विलंब संबंधित अवसंरचना की अनुपलब्धता के कारण तथा बकाया 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में जल सुविधाओं का प्रचालन मुख्य अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करने में प्रक्रियागत विलंब के कारण नहीं हो सका। इन 144 अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य जुलाई 2018 में दो से 30 माह तक तथा 11 अनाधिकृत कॉलोनियों में चार से 31 माह तक बंद रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 144 अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया या परंतु जुलाई 2018 तक इसके आरंभ होने का इंतजार किया जा रहा था, आंतरिक लाइनों के प्रस्ताव के समय पानी के स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कमी के कारण आंतरिक लाइनें पूरी नहीं हो पाईं, परिणामस्वरूप पूरी आंतरिक लाइनें व्यर्थ रहीं एवं इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा जिसे विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है:

- मई 2016 एवं दिसम्बर 2017 के मध्य 17 अनाधिकृत कॉलोनियों में बिछाई गई पानी की लाइनों को चालू करने में विलंब सोनिया विहार भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब के कारण हुआ था। पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने का कार्य अक्टूबर 2015 में प्रस्तावित था एवं प्रस्ताव के समय, बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से केवल सोनिया विहार भूमिगत श्रोत के निर्माण कार्य का अनुमोदन किया गया था। सोनिया विहार भूमिगत श्रोत के निर्माण का कार्य नवम्बर 2017 में ही प्रदान किया गया था, जिसे नवम्बर 2019 तक पूरा किया जाना था। नवम्बर 2019 तक, सोनिया विहार भूमिगत श्रोत का 79 प्रतिशत निर्माण कार्य हुआ था।
- 23 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाइनें जो कि जनवरी 2016 एवं जनवरी 2018 के मध्य में बिछाई गईं, को चालू करने में विलंब कराला भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब के कारण हुआ था। पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने का कार्य सितम्बर 2015 एवं नवम्बर 2016 के मध्य प्रस्तावित था, यद्यपि कराला भूमिगत श्रोत की भौतिक प्रगति मार्च 2016 एवं दिसम्बर 2016 तक क्रमशः 68 प्रतिशत एवं 83 प्रतिशत थी। मार्च 2018 तक भूमिगत श्रोत निर्माण में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। साइट की कठिन परिस्थितियों के कारण कराला भूमिगत श्रोत के निर्माण

⁷ 59 अनाधिकृत कॉलोनियों में ₹ 71.62 करोड़ के व्यय को शामिल करते हुए शेष 85 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए पीपीपी परियोजना के मामलों में (एनडबल्यूएस, नांगलोई), शामिल की गईं लागत सुनिश्चित की जाने योग्य नहीं थी, क्योंकि जल लाइनें बिछाने/पुनर्वास का कार्य 480 अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा था एवं व्यय का विवरण प्रत्येक अनाधिकृत कॉलोनियों के अनुसार नहीं रखा गया था।

में विलंब हुआ था क्योंकि साइट पानी में डूबी हुई थी एवं साइट को कार्य योग्य बनाने में मिट्टी को अन्य स्थानों से लाया जाना था।

- 85 अनाधिकृत कॉलोनियों के मामलों में, पानी की आंतरिक लाइनों के बिछाने का कार्य नजफगढ़ एवं मुंडका भूमिगत श्रोत के सितम्बर 2015 में पूर्ण होने के उपरांत आरंभ किया जाना था। नजफगढ़ एवं मुंडका भूमिगत श्रोत के निर्माण कार्य हालांकि क्रमशः दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में आरंभ किये गये थे। नजफगढ़ भूमिगत श्रोत के निर्माण में उस स्थल पर बकरवाल नालों जिसे स्थानांतरित करना पड़ा, जमीन के भौतिक स्वामित्व एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण विलंब हुआ था। मुंडका भूमिगत श्रोत के निर्माण में मिट्टी की अवस्था, मिट्टी की मजबूती में समय लगने, डिजाइन बदलने एवं ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण विलंब हुआ। मार्च 2018 तक नजफगढ़ एवं मुंडका भूमिगत श्रोत की भौतिक प्रगति क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत थी। रोड स्वामित्व एजेंसियों से सड़क काटने की अनुमति नहीं मिलने के कारण भी परिधीय लाइनों के बिछाने के कार्य में विलंब हुआ।

हालांकि भूमिगत श्रोत के निर्माण से पूर्व जनवरी 2017 और मई 2018 के मध्य इन 85 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की लाइनें बिछाई गई थीं एवं इसे इसलिए आरंभ नहीं किया जा सका क्योंकि परिधीय लाइनों एवं भूमिगत श्रोत की अनुपस्थिति के कारण पानी उपलब्ध नहीं था।

- शेष 19 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की अनुपलब्धता के कारण आरंभ करने में विलंब हुआ। ओखला विधान सभा क्षेत्र के नौ मामलों में, ओखला जल शोधन संयंत्र से पानी के स्रोत के साथ आंतरिक पानी की लाइनों के काम की योजना बनाई गई थी। ये कार्य जनवरी 2016 एवं जनवरी 2018 के मध्य पूर्ण हुए थे एवं स्रोत पर पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण जुलाई 2018 से आरंभ होने की प्रतीक्षा में थे। इसी प्रकार नरेला विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 10 अनाधिकृत कॉलोनियों में, पानी पल्ला रेनी वैल से लिया जाना था। इस अनाधिकृत कॉलोनियों में अगस्त 2016 एवं मई 2018 के मध्य आंतरिक लाइनों को बिछाने का कार्य पूरा किया जाना था परंतु स्रोत पर पानी को उपलब्धता नहीं होने के कारण जुलाई 2018 तक आरंभ नहीं किया जा सका।

भाग्य विहार अनाधिकृत कॉलोनियाँ जहां आंतरिक पानी की लाइनें डाली गई थी परंतु प्रचालन कराला भूमिगत श्रोत के निर्माण में विलंब के कारण प्रतीक्षित था, के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि कुछ निवासियों ने पड़ोसी रानी खेरा गांव

के परिधीय पानी की लाइनों से अनाधिकृत कनेक्शन ले लिया है। क्योंकि ये निवासी पहले से ही अनाधिकृत कनेक्शन से पाइप लाइन के द्वारा जल प्राप्त कर रहे थे, यह संभावना थी कि अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप के द्वारा जल आपूर्ति प्रारंभ करने के पश्चात भी वह अधिकृत कनेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें उन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा।

संगम विहार अनाधिकृत कॉलोनियों के भौतिक सत्यापन के दौरान भी लेखापरीक्षा ने पाया कि पानी की परिधीय लाइनें 2013 से ही मौजूद हैं परंतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आंतरिक पानी की लाइनें रतिया मार्ग, मंगल बाजार, टिगरी तथा देवली रोड कॉलोनियों में अक्टूबर 2019 तक नियोजित नहीं की गई। क्षेत्र में पूरी तरह से प्रचलित परिधीय लाइनों की उपलब्धता के बावजूद पानी की आंतरिक लाइनों को नहीं बिछाने के परिणामस्वरूप इन अनाधिकृत कॉलोनियों में कुछ निवासियों द्वारा अनाधिकृत लाइनें बिछा दी गई हैं।

दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की आंतरिक लाइनें बिछाने से पहले संबंधित भूमिगत स्रोत की अवसंरचना एवं परिधीय लाइनों के निर्माण तथा जल की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया। इसके कारण किया गया व्यय निष्फल रहा तथा इच्छित लाभ की आपूर्ति नहीं हुई। दूसरी ओर, दिल्ली जल बोर्ड ने तीन कॉलोनियों में जहाँ परिधीय लाइनें पहले से उपलब्ध थीं, आंतरिक पानी की लाइनें नहीं बिछाईं।

2.1.7.2 निष्पादित निर्माण कार्यों में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी किए गए अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों हेतु दिशा-निर्देशों⁸ में स्पष्ट रूप से वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों को किया जाना निषेध है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास विभाग ने 179 एवं 47 अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची परिचालित (अक्टूबर 2015) की जोकि क्रमशः वन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि में पड़ती है एवं इन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करने के निर्देश दिये गये थे। दिल्ली जल बोर्ड ने सरकारी निर्देशों के बावजूद वन भूमि पर स्थित 88 अनाधिकृत कॉलोनियों एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर स्थित 35 अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति के कार्य के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कार्यान्वित किया था।

वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकासात्मक कार्यों में लगाये गये प्रतिबंधों का आकलन करने में दिल्ली जल बोर्ड की असफलता के कारण अनाधिकृत कॉलोनियों में किसी विकासात्मक कार्यों की

⁸ 2009, 2012 एवं 2015

योजना से पहले दिल्ली जल बोर्ड में प्रणालीगत असफलता तथा प्रक्रिया की अनुपस्थिति यह चिन्हित करने में असफल रही कि क्या भूमि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/ वन विभाग की थी। सिर्फ अक्टूबर 2015 में, शहरी विकास विभाग ने 179 तथा 47 अनाधिकृत कॉलोनियों की एक सूची जारी की जो कि क्रमशः वनभूमि, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में स्थित थी।

2.1.7.3 आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए तंत्र में कमी

पीने का पानी आरंभ में जल उपचार संयंत्रों से संचरण लाइनों के माध्यम से जल उपचार संयंत्र के कमांड क्षेत्रों में स्थित भूमिगत जलाशयों में डाला जाता है। इन भूमिगत श्रोत से इसे आगे छोटे भूमिगत श्रोत में डाला जाता है और फिर बूस्टर पंपों की मदद से वितरण लाइनों के माध्यम से घरों में वितरित किया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड ने जल उपचार संयंत्र पर उपलब्ध अपरिष्कृत पानी की मात्रा और वितरण के लिए उपचारित संयंत्रों द्वारा भेजे उपचारित/पीने योग्य पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए जल उपचार संयंत्र पर लगभग 302 फ्लोमीटर लगाये हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड ने जल उपचार संयंत्रों जैसे भूमिगत जलाशयों, बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों और पानी की आपातस्थितियों⁹ के बहाव वाले स्थानों पर फ्लोमीटर नहीं लगाये हैं और वितरण लाइनों के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा के आकलन के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों¹⁰ या पानी के टैंकरो पर निर्भर है। यह तरीके वैज्ञानिक तथा परिशुद्ध नहीं थे।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान जल टैंकरो के माध्यम से जल आपूर्ति की मात्रा के वर्षवार विवरण (तालिका 2.4) दर्शाते हैं कि नापने की प्रणाली सही नहीं थी क्योंकि जल के टैंकर के माध्यम से आपूर्ति किये गये जल की मात्रा 2014-15 में 72.91 लाख किलो लीटर से वर्ष 2017-18 में 6.32 लाख किलो लीटर का बहुत बड़ा विचलन था, जो कि अवधि में टैंकरों की मात्रा तथा निर्धारित बिंदुओं को सम्मिलित करने तथा आपातकालीन मामलों में दिल्ली जल बोर्ड में प्रचालन की मात्रा समान होने के कारण असंभव था।

⁹ जहाँ जल के टैंकर भरे जाते हैं

¹⁰ भूमिगत श्रोत में, वितरण लाइनों के माध्यम से आपूर्ति किए गए उपचारित पानी की मात्रा को पंपों की क्षमता और पंपिंग की अवधि के आधार पर मापा जाता है। इसी प्रकार पानी की आपातस्थितियों में, पानी के टैंकरो के माध्यम से की जाने वाली जल आपूर्ति की मात्रा को टैंकरो की क्षमता और लगाये गये फेरों की संख्या के आधार पर मापा जाता है।

तालिका 2.4: टैंकरों द्वारा की गई जल आपूर्ति का विवरण

वर्ष	टैंकरो की संख्या	मात्रा किलोलीटर में
2013-14	972	59,13,294
2014-15	1,064	72,91,064
2015-16	1,017	27,92,549
2016-17	932	6,73,418
2017-18	982	6,32,127

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना

भूमिगत श्रोत, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन तथा जल इमरजेंसी में फ्लोमीटर की अनुपलब्धता के कारण, दिल्ली जल बोर्ड वास्तव में आपूर्ति किये गये जल की मात्रा या रिसाव/चोरी आदि का ठीक से पता लगाने की स्थिति में नहीं था।

जल आपूर्ति की मात्रा के आकलन के बारे में, सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि फ्लोमीटर लगाने की प्रक्रिया (जल शोधन संयंत्र का अनुप्रवाह, जैसा कि भूमिगत जलाशयों, बूस्टर पम्पिंग स्टेशन एवं जल की आपातस्थिति) आरंभ कर दी गई है, एवं दिसंबर 2019 तक पूरी कर ली जाएगी।

2.1.8 सीवरेज निर्माण कार्य

मार्च 2013 तक 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,699 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2031 तक दिल्ली सहित सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों को कवर करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा (जून 2014) तैयार सीवरेज मास्टर प्लान दिल्ली-2031 (एसएमपी-2031) के अनुसार “अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना” योजना लागू की गई थी।

एसएमपी-2031 को चार चरणों एवं 93 कार्यों में विभाजित किया गया है, जिनमें से चरण-I के अंतर्गत 34 कार्य 2016 तक पूरे किये जाने थे और चरण-II के अंतर्गत 32 कार्य 2021 तक पूरे किए जाने थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चरण-I के 34 कार्य 2016 तक पूर्ण होने थे परंतु जुलाई 2018 तक केवल 11 कार्य पूर्ण किए गए, 20 कार्य प्रगति पर हैं एवं तीन कार्य अभी भी पूर्व निष्पादन अवस्था¹¹ में हैं। समग्र रूप से 2013-18 के दौरान कुल 126 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की गईं। सीवर लाइन बिछाने में विलंब के कारण शेष 1,573 अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को सीवरेज सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

¹¹ प्राक्कलन/एनआईटी/निविदां/कार्य प्रदान आदि के स्तर पर

मार्च 2018 तक 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,573 अनाधिकृत कॉलोनियों का गंदा पानी बारिश के लिए बनाई गई पानी की नालियों में बह गया तथा अपने अनुपचारित रूप में अतंतः यमुना नदी में मिल गया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि दिल्ली में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने का काम चरणबद्ध तरीके से सीवरेज मास्टर प्लान - 2031 के अनुसार किया जा रहा है तथा एसएमपी-2031 में परिकल्पित सीवरेज कार्यों के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सीवरेज कार्यों की योजना में पाई गई कमियों के विशिष्ट उदाहरणों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 अन्य संबंधित कार्यों के साथ सीवर लाइनों को बिछाने के कार्यों के गैर-संकालन के परिणामस्वरूप बनाया गया ढाँचा व्यर्थ रहा

आठ चयनित मंडलों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 961 अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जिसमें से मार्च 2013 तक 59 अनाधिकृत कॉलोनियों को सीवरेज सुविधाओं के लिए पहले ही अधिसूचित किया गया था। शेष 902 अनाधिकृत कॉलोनियों में से, 378 अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक सीवर लाइनों के कार्य 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान योजनाबद्ध किए गए थे। इन में से 180 अनाधिकृत कॉलोनियों का कार्य पूर्ण हो गया था तथा 198 में कार्य प्रगति पर था। पूर्ण हुए कार्यों में, 46 अनाधिकृत कॉलोनियों में डाली गई आंतरिक सीवर लाइन चालू कर दी गई थी तथा 134 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनों का प्रचालन नहीं किया जा सका। इन 134 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 108 में संबद्ध बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ था तथा शेष 26 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर सुविधाएँ मुख्य अभियंता का अनुमोदन प्राप्त करने में प्रक्रियागत विलंब के कारण प्रारंभ नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 108 अनाधिकृत कॉलोनियों में आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के लिए ₹ 260.29 करोड़ का व्यय किया गया है, परंतु ये लाइनें बेकार पड़ी हुई थीं क्योंकि अवरोधक सीवर योजना¹², जिसे इन सीवर लाइनों के आउटफॉल का कार्य किया जाना था, में विलंब हुआ था। अवरोधक सीवर परियोजना जून 2014 तक 6 पैकजों में कार्यान्वित की जानी थी। छः पैकजों में से, एक पैकेज पूर्ण है एवं शेष पांच पैकेज मार्च 2020 तक पूर्ण किये जाने थे। इस परियोजना में, विभिन्न विभागों जैसे आईएफसीडी, दि.न.नि., दि.वि.प्रा.,

¹² इंटरसेक्टर सीवर प्रोजेक्ट जो कि जेएनएनयूआरएम (अब अमृत योजना) के अंतर्गत कार्यान्वित हो रहा है, तीन मुख्य नालों (नजफगढ़, सप्लीमेंट्री तथा शाहदरा) से सीवेज लेकर सीवर रहित क्षेत्रों से डाइवरजन संरचना द्वारा एवं मौजूदा सीवरों के ओवरफ्लो को पास के एसटीपी में भेजता है। इस प्रोजेक्ट को जून 2014 में पूरा होना था, जो कि अब मार्च 2020 तक पूरा होने की तिथि है।

बी.एस.ई.एस., रेलवे एवं वन विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य धीमी प्रगति से करने के कारण विलंब हुआ।

इन 108 अनाधिकृत कॉलोनियों में से, 96 अनाधिकृत कॉलोनियों मोहन गार्डन की कॉलोनी ग्रुप के अंतर्गत, आंतरिक लाइन एवं परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के कार्य की योजना जुलाई 2012 में बनाई गई थी। योजना के अनुसार, नई सीवर लाइनों के द्वारा मोहन गार्डन कॉलोनी ग्रुप से सीवेज अवरोधक सीवर नीलोठी केशोपुर (पैकेज 2) में पहुंचाना था। समयपुर ग्रुप के अंतर्गत शेष बची 12 अनाधिकृत कॉलोनियों में, आंतरिक एवं परिधीय सीवर लाइनें बिछाने के कार्य की योजना जुलाई 2013 में बनी थी। योजना के अनुसार, नई सीवर लाइनों के द्वारा समयपुर कॉलोनी ग्रुप से सीवेज अवरोधक सीवर संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंचाना था। समयपुर ग्रुप की कॉलोनियों से सीवेज अवरोधक सीवर (पैकेज 3) में गिरना था, जो कि बादली से बुराड़ी, वजीराबाद से बुराड़ी एवं इंद्रलोक से भारत नगर तक बढ़ाया गया था। जुलाई 2013 तक, अवरोधक सीवर परियोजना के पैकेज 3 के भौतिक कार्य की प्रगति 32 प्रतिशत थी। समयपुर कॉलोनी ग्रुप में सीवर लाइन डालने का कार्य फरवरी 2014 में प्रदान होने के साथ फरवरी 2016 में पूर्ण होना था। कार्य वास्तव में मार्च 2018 में पूर्ण हुआ। मार्च 2018 तक अवरोधक सीवर परियोजना के पैकेज 3 के भौतिक कार्य की प्रगति 84 प्रतिशत हुई थी।

इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ₹ 260.29 करोड़ की लागत से बिछाई गई सीवर लाइनों के निर्माण कार्यों के समय अवरोधक सीवर जिसके ट्रंक सीवर से संबंधित निर्माण कार्यों के साथ नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप पूरी सीवर लाइनों को आरंभ करने एवं प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

सीवर लाइन बिछाने के कार्य का दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अन्य संबंधित कार्यों के साथ तालमेल न रखने के कारण बनाई गई अवसंरचना व्यर्थ पड़ी रही।

2.1.8.2 निष्पादित निर्माण कार्यों में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिये जारी किये गये दिशानिर्देशों¹³ में वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थिति अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को किये जाने पर स्पष्ट निषेध है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सरकारी निर्देशों के बावजूद, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 57 अनाधिकृत कॉलोनियों में वन भूमि पर एवं 30 अनाधिकृत कॉलोनियों में भारतीय

¹³ 2009, 2012, 2015

पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके सीवर लाइन डाली गई। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 43 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन के कार्यों को शहरी विकास विभाग द्वारा रोक दिया गया (जुलाई 2016) क्योंकि ये वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर थे और इन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य करने की अनुमति नहीं थी जिसके कारण इन कार्यों पर किया गया ₹ 27.46 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि का सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है एवं जब भी विभाग द्वारा टिप्पणी की जाती है, कार्य का पुनः मूल्यांकन किया जाता है एवं संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मिलने पर कार्य पुनः आरंभ किया जाता है। हालांकि तथ्य यह है कि दिल्ली जल बोर्ड 43 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनों के कार्यों को पुनः आरंभ करने में असफल रहा।

वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों पर निषेध का आकलन करने में दिल्ली जल बोर्ड की असफलता पैरा 2.1.7.2 में इंगित जल आपूर्ति के कार्यों में प्रणालीगत असफलता को प्रदर्शित करती है।

2.1.8.3 पानी की लाइनों को बिछाने से पहले सीवर लाइनों के कार्यों की योजना एवं निष्पादन

दिल्ली जल बोर्ड ने यह निर्णय लिया (जनवरी 2012) कि सीवरेज तंत्र केवल उन्हीं अनाधिकृत कॉलोनियों में बिछाया जायेगा जहाँ जल आपूर्ति तंत्र पहले से ही मौजूद है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस निर्णय के विपरीत, 50 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछायी गयीं थीं (**परिशिष्ट 2.2**) जबकि पानी की लाइनें बिछायी जानी बाकी थीं फिर भी वहाँ पर 622 अनाधिकृत कॉलोनियाँ थीं जिन्हें जल आपूर्ति के लिए अधिसूचित किया गया था परंतु सीवरेज कार्य किया जाना बाकी था। इस प्रकार, अपने ही निर्देशों का उल्लंघन करके दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य का निष्पादन किया गया।

समापन सम्मेलन के दौरान, दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि जनवरी 2012 के संकल्प संशोधन पर विचार किया जाएगा क्योंकि वे सभी को सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं।

न्यूनतम आवश्यक जल आपूर्ति के बिना सीवर लाइन बिछाने के परिणामस्वरूप सीवर लाइनों का प्रयोग निष्प्रभावी रहा।

2.1.9 जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्यों के निष्पादन में कमियाँ

इन दो योजनाओं के अंतर्गत जल आपूर्ति एवं निर्मित सीवरेज अवसंरचना के निष्पादन एवं रखरखाव में कमियों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.1.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी संस्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन

दिल्ली जल बोर्ड में दिनांक 5 मार्च 2013 को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन के अनुसार अधीक्षण अभियंता को केवल ₹ 25 लाख तक की तकनीकी संस्वीकृति देने का अधिकार दिया गया था जिसे 16 जून 2015 को संशोधन करके पूर्ण शक्तियों तक बढ़ाया गया।

दिल्ली जल बोर्ड के चयनित मंडलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जल एवं सीवर लाइनें बिछाने के 16 कार्यों (परिशिष्ट 2.3) का निष्पादन अधीक्षण अभियन्ता की तकनीकी संस्वीकृति के बाद किया गया था (5 मार्च 2013 एवं 16 जून 2015 के मध्य) हालांकि, इन परियोजनाओं का प्राक्कलन ₹ 31.11 लाख से लेकर ₹ 1,213.00 लाख के मध्य था। इस प्रकार ये कार्य सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादित किये गए थे।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि ₹ 25 लाख से ज्यादा के प्राक्कलन वाले कार्यों को निरीक्षण के पश्चात अधीक्षण अभियन्ता की तकनीकी संस्वीकृति के उपरांत भूल से कराया गया था। यद्यपि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया परंतु वास्तविकता यह है कि अनियमितताओं के लिए न तो जिम्मेवारी तय की गई और न ही बाद में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली गई।

2.1.9.2 कार्यों को सौंपने में कमियाँ

(i) कार्यों को सौंपने में विलंब

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के अनुसार निविदाओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा जाँच एवं निविदाओं के निपटान के लिए 45 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट की गई है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45 दिनों की अधिकतम निर्दिष्ट अवधि से अधिक, 620 कार्यों¹⁴ में से 72 कार्यों को सौंपने में 50 से 498 दिनों का विलंब हुआ था। विवरण तालिका 2.5 में दी गयी है।

¹⁴ 2013-18 के दौरान 18 चयनित मंडलों से संबंधित अनाधिकृत कॉलोनियों में शुरू किये गये पानी तथा सीवर लाइनों को डालने का कार्य

तालिका 2.5: कार्यों को सौंपने में विलंब

क्र. सं.	दिनों में विलंब की अवधि	विलंब के उपरांत सौंपे गए कार्यों की मंडल-वार संख्या									राशि (₹ करोड़ में)
		एसडब्ल्यू II	उत्तर I	एस-III	डीआर-IX	एसआर-II	ई एंड एम	एनई-II	डीआर-XIV	कुल	
1.	50-100	12	15	10	01	01	02	07	01	49	240.23
2.	101-200	03	02	01	05	03	-	01	01	16	68.66
3.	201-300	-	01	02	-	-	-	-	01	04	32.72
4.	301-498	-	02	01	-	-	-	-	-	03	1.91
कुल		15	20	14	06	04	02	8	03	72	343.52

स्रोत: दिल्ली जल बोर्ड के अभिलेख

निविदाएं खोलने के बाद कार्यों को सौंपने में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलंब और निविदा की वैधता समाप्त हो सकती है तथा लागत वृद्धि के कारण भी परियोजना लागत में वृद्धि होती है जिसका आकलन औद्योगिक श्रमिकों के लिए थोक मूल्य सूचकांक/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि को किया जाता है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि जमा बयाना राशि एवं बैंक गारंटी की पुष्टि की प्रक्रिया का अनुपालन, निविदाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, तकनीकी बोली का मूल्यांकन, तकनीकी समिति द्वारा जाँच आदि में समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों को सौंपने में विलंब हुआ। इसके अलावा सरकार ने आश्वस्त किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

(ii) तकनीकी योग्यता मानदंडों में अनाधिकृत परिवर्तन

(क) सीवीसी¹⁵ एवं के.लो.नि.वि.¹⁶ के दिशा निर्देशों के संबंध में विशिष्ट कार्यों के लिए पात्रता शर्तें एनआईटी में इस प्रकार निर्दिष्ट की जाएगी कि पिछले सात वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव: तीन समान कार्य जिसमें प्रत्येक की कीमत निविदा की अनुमानित लागत का 40% से कम न हो या दो समान कार्य जिसमें प्रत्येक की कीमत निविदा के अनुमानित लागत से 60 प्रतिशत से कम न हो या एक समान कार्य जिसकी कीमत निविदा की अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत से कम न हो”।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो कार्यों¹⁷ के मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना तकनीकी योग्यता मानदंड को मनमाने ढंग से कार्य की

¹⁵ पूर्व-योग्यता मानदंड के संबंध में सीवीसी परिपत्र संख्या 14/4/07 द्वारा जारी पत्र संख्या 98 वीजीएल-25 दिनांक 26.04.2007

¹⁶ कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजीडब्ल्यू/एमएएन/160 दिनांक 31.07.2008 द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए पात्रता की शर्तों के बारे में।

¹⁷ 1. समयपुर समूह की बस्तियों में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनें प्रदान करना और बिछाना तथा 2. कुरैनी समूह की बस्तियों में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना

अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत से घटाकर केवल आठ प्रतिशत कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उन ठेकेदारों को कार्य सौंपा गया जो सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अयोग्य हो सकते थे। यह भी पाया गया कि दो कार्यों के निष्पादन में 455 और 621 दिनों का विलंब हुआ, जिसके जिम्मेदार इन दोनों कार्यों के ठेकेदार थे, यह उनकी अक्षमता का संकेत भी देता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों को इम्पैनेल/सूचीबद्ध भी करता है और उन्हें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भागीदारी की पात्रता सीमा तय करके विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है। वर्गीकरण विभिन्न कारकों के आधार पर उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है जैसे कि कार्य क्षेत्र में उनके अनुभव, टर्नओवर इत्यादि। यदि एक बार एक विशेष ठेकेदार को दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक निश्चित वर्ग में सूचीबद्ध किया जाता है तो वह केवल उस श्रेणी या उससे कम के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए पात्र हो जाता है।

हालांकि, चयनित मंडलों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 13 कार्यों में (620 कार्यों में से) जिन ठेकेदारों/फर्मों को कार्य सौंपे गए थे, वे अपने वर्गीकरण के अनुसार इन कार्यों के लिए बोली लगाने के योग्य नहीं थे। (परिशिष्ट 2.4)

सरकार ने इन 13 कार्यों में से पांच के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया (फरवरी 2019)। यह कहा गया कि इन पांच कार्यों में से चार में, निविदाओं को खुली बोली के रूप में आमंत्रित किया गया था एवं कोई भी बोलीदाता, जो तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडों को पूरा करता है, उस श्रेणी के लिए बोली लगाने के लिए पात्र था जिसमें वह सूचीबद्ध है। एक कार्य के संबंध में यह कहा गया था कि दो बार निविदाओं के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, निविदाओं को उपयुक्त श्रेणी से एक श्रेणी कम में भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि शेष आठ कार्यों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(iii) प्रतिस्पर्धा दरों को सुनिश्चित किए बिना कार्यों का सौंपा जाना

जीएफआर के नियम 154 के अनुसार, एकल निविदा पर काम देने से आम तौर पर बचा जाना चाहिए और जहाँ एक विशेष फर्म उस प्रकार का कार्य कर सकती है या आपातकाल के मामले में इसे अनुमोदित किया जा सकता है। सीवीसी दिशानिर्देशों ने भी दोहराया है कि सभी सरकारी विभागों द्वारा एकल निविदा से बचा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के खंड 17.7 के अनुसार यदि उपयुक्त वर्ग के ठेकेदारों से निविदाओं की प्रतिक्रिया कमजोर है तो रेलवे, एमईएस, दूरसंचार और राज्य लो.नि.वि. जैसे अन्य विभागों के ठेकेदारों सहित अगले निचले वर्ग से खुली निविदाएं आमंत्रित करने और/या पात्रता मापदंड

में ढील देने जैसे उपायों को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ लिया जा सकता है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि दो कार्य¹⁸ ₹ 4.91 करोड़ में निविदाओं के पहले आमंत्रण में एकल निविदा को तात्कालिकता के आधार पर प्रदान किये गये थे। इन दो कार्यों में दिल्ली जल बोर्ड ने न तो पात्रता मानदंड में ढील दी और न ही खुली निविदाओं के माध्यम से अन्य विभागों के साथ पंजीकृत ठेकेदारों से संपर्क किया।

परिधीय लाइन के साथ जोड़ने के पहले कार्य में तात्कालिकता का आधार उचित नहीं था क्योंकि कार्य के दिये जाने के समय परिधीय लाइन बिछाने का काम भी पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा, 60 दिनों के पूरा होने की निर्धारित अवधि के प्रति 98 दिनों के विलंब से काम शुरू किया गया क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड कार्य दिये जाने से पहले सड़क काटने के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अलावा, कार्य 142 दिनों के विलंब के साथ पूरा हुआ और कराला भूमिगत श्रोत के शुरू होने में विलंब के कारण अभी भी दिसम्बर 2018 में इसके शुरू होने की प्रतीक्षा है। इसी तरह, आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनों को प्रदान करने और बिछाने के दूसरे कार्य में, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक अनुमोदन के प्रोफार्मा में, कार्य को सामान्य/नियमित कार्य के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बाद में, सितंबर 2013 में एकल बोली लगाने वाले को कार्य देने के लिए, अन्य समान कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रित करने के प्रति कम प्रतिक्रिया, क्षेत्र के विधान सभा सदस्य द्वारा कार्य के लिए जोरदार अनुसरण और अंत में, दिसंबर 2013 में यमुना विहार एसटीपी (चरण-III) को चालू करने के मद्देनजर अत्यावश्यकता के कारणों का हवाला दिया गया। यहाँ पर यह बताना उचित है कि एसटीपी केवल सितंबर 2015 में शुरू किया गया था और हालांकि, कर्दमपुरी, कर्दमपुरी एक्सटेंसन और हरिजन बस्ती, पश्चिम ज्योति नगर में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइन प्रदान करने और बिछाने का काम सितंबर 2014 में पूरा हो गया था, परंतु लाइन मई 2015 अर्थात कार्य पूरा होने के 8 महीने बाद शुरू की गई।

इस प्रकार, इन कार्यों को बिना पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के एकल निविदा के आधार पर ₹ 4.91 करोड़ में देना उचित नहीं था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में संभावित निविदाकर्ताओं की गोपनीयता बनाये रखी जाती है तथा कोई भी निविदाकर्ता एकल बोलीदाता

¹⁸ 1. ₹ 0.27 करोड़ की लागत के साथ परिधीय रेखा (पश्चिम-III) साथ परस्पर संबंध बनाने का कार्य।
2. कर्दम पुरी, कर्दम पुरी एक्सटेंसन, और बस्ती, पश्चिम ज्योति नगर में आंतरिक और परिधीय सीवर लाइनें प्रदान करने का कार्य ₹ 4.64 करोड़ में दिया गया।

होने का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि बोली लगाने वाले को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके अलावा, जीएफआर एकल निविदा पर कार्य प्रदान करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता तथा दिल्ली जल बोर्ड ने इस संबंध में मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जारी परिपत्रों का पालन किया है। हालांकि, एकल निविदा पर कार्यों को प्रदान करने का औचित्य इस तथ्य के कारण स्वीकार्य नहीं था कि एकल निविदा के आधार पर कार्य प्रदान करने के समय दिखाई गई तात्कालिकता, इन कार्यों के निष्पादन एवं शुरू होने पर दिखाई नहीं दी जैसा कि ऊपर बताया गया है।

2.1.10 कार्यों के निष्पादन में कमियाँ

2.1.10.1 कार्यों के पूरा होने में असामान्य विलंब

लेखापरीक्षा ने पानी और सीवर लाइन बिछाने के 59 कार्यों को पूरा करने में छः से 55 महीने का असामान्य विलंब पाया (परिशिष्ट 2.5)। इनमें से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष 36 कार्य अभी भी प्रगति पर हैं (जुलाई 2018)।

अधिकांश मामलों में विलंब, सड़क के स्वामित्व वाली एजेंसियों (लो.नि.वि., दि.न.नि. और दि.वि.प्रा.), ट्रैफिक पुलिस, वन विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और रेलवे आदि से अनुमति नहीं मिलने या विलंब अथवा गैर-उपलब्धता के कारण हुआ। यह कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय की कमी को इंगित करता है। के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के अनुसार, सभी अपेक्षित मंजूरी/अनुमोदन कार्य प्रदान किए जाने से पहले प्राप्त किये जाने चाहिए। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने कार्यों को प्रदान करने से पहले अनुमति प्राप्त करने के बजाय संविदा में इसके बारे में एक खंड शामिल करके ठेकेदार पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व डाला जिससे इस संबंध में कोई भी जिम्मेदारी लेने से स्वयं बचा गया, हालांकि, संबंधित सरकारी विभागों से अनुमति दिलवाने के लिए वह बेहतर स्थिति में हो सकता था। इस प्रकार, अनुमति प्राप्त करने के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बनाने की प्रथा में के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में परिहार्य विलंब हुआ तथा योजना के इच्छित उद्देश्य पूरे नहीं किये जा सके क्योंकि कार्य समय से पूरा नहीं हुआ था।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि सड़क के स्वामित्व वाली एजेंसियां निश्चित समय के लिए अनुमति देती हैं और अनुमतियाँ, कार्य सौंपने हेतु सफल निविदाकर्ताओं के चयन में विभागीय कार्यप्रणालियों और प्रक्रिया में प्रत्याशित समय में अनिश्चितता पर विचार करते हुए कार्यों को सौंपने से पहले प्राप्त नहीं की गई। दिल्ली जल बोर्ड जब कभी आवश्यक हो, संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों से संपर्क करके ठेकेदारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है। विभिन्न हितधारकों

की समन्वय बैठकें भी समय-समय पर शीघ्र मंजूरी हेतु की जाती हैं। हालांकि, उत्तर को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि यदि दिल्ली जल बोर्ड अपेक्षित क्लियरेंसिस/अनुमोदन/ अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाता तो यह कीमती समय बचाता, जो क्लियरेंसिस में विलंब होने पर बेकार हो जाता है तथा क्लियरेंसिस प्राप्त करने में विलंब के लिए ठेकेदारों को लागत वृद्धि का भुगतान भी करना पड़ता है।

2.1.10.2 सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाना

के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार व्यय संस्वीकृति से 10 प्रतिशत अधिक किया जा सकता है जिसके लिए संशोधित व्यय की संस्वीकृति अवश्य लेनी होगी। जैसे ही व्यय की अधिकता के बारे में पता चले वैसे ही संशोधित संस्वीकृति के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार भी ठेके संविदा की शर्तों में होने वाले महत्वपूर्ण सामग्री के विचलन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी तथा सीवर लाइनें बिछाने के ₹ 56.13 करोड़ की लागत के 19 कार्यों (620 में से) (परिशिष्ट 2.6) में व्यय, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किये गये प्रारंभिक व्यय स्वीकृति के 10 प्रतिशत से अधिक था। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी से व्यय की संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, जो के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन था।

साथ ही, रोहतक रोड़ पर अरविंद एन्क्लेव क्रॉसिंग तक बिछाई गई 1,080 मीटर सीवर लाइन के एक कार्य (जनवरी 2012 में ₹ 2.18 करोड़ में सौंपे गए) 86 मीटर की मुख्य सीवर लाइन को ओपेन-कट विधि, जैसा कि प्रारंभ में परिकल्पित किया गया था के स्थान पर ट्रेंचलेस तकनीकी के द्वारा बिछाना पड़ा था। क्योंकि प्रत्याशित अधिक व्यय मूल संस्वीकृति के 33 प्रतिशत से अधिक था इसलिए बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक था। हालांकि, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए कार्य को पहले बंद करने का निर्णय लिया गया तथा बची हुई पाइपलाइन को ट्रेंचलेस विधि द्वारा बिछाने के लिए पृथक निविदायें आमंत्रित की गईं। यह भी देखा गया कि कार्य को मुख्य अभियन्ता जो कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी था, के स्थान पर सदस्य (ड्रेनेज) के अनुमोदन से बंद किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड ने स्टेनलेस स्टील (एसएस) के पानी के टैंकरो को किराये पर लेने के एक मामले में तीन किलोलीटर क्षमता (₹ 98,001 प्रति टैंकर प्रति माह) तथा नौ किलोलीटर क्षमता (₹ 1,23,003 प्रति टैंकर प्रति माह) के क्रमशः 130

तथा 255 एसएस पानी के टैंकरो को किराये पर लेने का कार्य बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात सौंपा। तीन किलोलीटर तथा नौ किलोलीटर क्षमता के पानी के टैंकरो की संख्या में सदस्य (जल) द्वारा संशोधन (मार्च 2013 व दिसम्बर 2013) कर दिया गया तथा मंडलों द्वारा प्राप्त इस फीडबैक के आधार पर कि अनाधिकृत कॉलोणियो की संकरी गलियों में नौ किलोलीटर के टैंकर का प्रवेश मुश्किल है, तीन किलोलीटर के टैंकरो की संख्या 130 से बढ़ाकर 299 कर दी गई तथा नौ किलोलीटर के टैंकरो की संख्या 255 से घटाकर 108 कर दी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि, इस संशोधन के परिणामस्वरूप परियोजना की क्षमता में महत्वपूर्ण विचलन हुआ तथा परिवहन लागत में ₹ 13.69 प्रति किलोलीटर प्रति किलोमीटर से ₹ 18.99 प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हो गई, पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

अपने उत्तर में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा (फरवरी 2019) कि दिल्ली जल बोर्ड में शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधित व्यय अनुमोदन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्य सौंपते समय एवं कार्य निष्पादन पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली जाती है, इसलिए संशोधित व्यय अनुमोदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माना जाता है। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार व्यय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए, स्वीकृति चाहे मूल या संशोधित हो और संशोधित संस्वीकृति के लिए पृथक शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं होती। पानी के टैंकरो को किराये पर लेने के मामले में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि संशोधन के बाद कुल लागत छः प्रतिशत अधिक थी जो अधिनिर्णित लागत से कम थी और इसलिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लेखापरीक्षा के विचार से संशोधित अनुमोदन आवश्यक था क्योंकि संशोधन के परिणामस्वरूप टैंकरो की समग्र वहन क्षमता में काफी कमी आई अर्थात् 2,685 कि.ली. से 1,869 कि.ली. जबकि कुल लागत में केवल मामूली कमी आई।

2.1.10.3 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा में कई मामलों में पाया गया कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया था जिनकी आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

- विलंब के लिए ₹ 31.70 करोड़ की जुर्माना राशि का कम उद्ग्रहण/गैर-उद्ग्रहण दिल्ली जल बोर्ड की संविदा की सामान्य शर्तों¹⁹ के अनुसार, कार्यों में विलंब के लिए मुआवजा, संविदा की कीमत के 1.5 प्रतिशत की दर पर

¹⁹ जीसीसी के क्लॉज 10.3.1 के अनुसार

होगा, प्रत्येक माह के लिए विलंब की गणना प्रति दिन के आधार पर की जाती है, तथा अधिकतम मुआवजा संविदा की कीमत का 10 प्रतिशत तक हो सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ कार्यों में, ठेकेदारों द्वारा किये गये विलंब के कारण लगाई गई जुर्माना राशि में ₹ 31.70 करोड़ की राशि का कम उदग्रहण या गैर-उदग्रहण हुआ (परिशिष्ट 2.7)।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2019) कि प्रणाली के अनुसार किए गए कार्य की लागत का 10 प्रतिशत कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि के बाद तब तक रोका जाता है जब तक कि मामले की योग्यता के आधार पर मामले में अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में शामिल कुल आठ मामलों में से पांच मामलों में सरकार ने कार्य पूरा करने में विलंब के लिए विभाग को या ठेकेदार के नियंत्रण से परे कारणों को जिम्मेवार ठहराया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब की आरोपणीय अवधियों को विभाग के अवरोध रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया या विलंब का कारण ठेकेदार के नियंत्रण से परे माना गया, जो उचित नहीं है। किए गए कार्य की लागत का 10 प्रतिशत रोक कर रखना संविदा की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

- **संविदा की शर्तों का पालन किये बिना भुगतान जारी किया गया:** संविदा की शर्तों के अनुसार पानी/सीवर लाइन के बिछाने के कार्य की 20 प्रतिशत लागत को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक प्रभारी अभियन्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए हाइड्रोलिक परीक्षण नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन चयनित मंडलों में ठेकेदारों द्वारा पाइपलाइनों को बिछाया गया परंतु उन्हें शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि भूमिगत स्रोत जो इन पाइप लाइनों के लिए पानी के स्रोत थे, तब तक निर्माणाधीन थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मंडलों ने 21 कार्यों के मामले में पाइप लाइनों के हाइड्रोलिक परीक्षण के बिना तथा लागत के 20 प्रतिशत रोके बिना ठेकेदारों को ₹ 2.51 करोड़ की लागत राशि का अंतिम भुगतान किया गया (परिशिष्ट 2.8)।

- **सुरक्षा जमाओं को समय से पहले जारी करना:** दिल्ली जल बोर्ड की संविदा की सामान्य शर्तों (सा.श.) के अनुसार, ठेकेदारों के चालू लेखा बिलों से रोकी गयी सुरक्षा जमाओं को प्रभारी अभियन्ता के स्वयं की संतुष्टि के बाद प्रमाणीकरण पर ठेकेदार को इस आधार पर वापिस करना होगा कि संविदा की सभी शर्तें विधिवत और ईमानदारी से ठेकेदार द्वारा पूरी की गई

हैं या दोषपूर्ण देयता अवधि (डीएलपी) के सफलतापूर्वक पूरा होने के 60 दिनों के बाद की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 कार्यों में प्रभारी अभियन्ता द्वारा न तो कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया था और न ही कोई डीएलपी पूरा हुआ था (परिशिष्ट 2.9) क्योंकि इन कार्यों में से कोई भी अभी तक शुरू नहीं किया गया था (जुलाई 2018)। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड ने ठेकेदारों को ₹ 25 लाख की राशि की सुरक्षा जमा जारी की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला।

2.1.11 पानी के टैंकरो के प्रबंधन में कमी

दिल्ली जल बोर्ड ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान “अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराना” योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान में से टैंकरो के माध्यम से जल आपूर्ति पर ₹ 1,031.09 करोड़ का व्यय किया।

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी की संपूर्ण टैंकर परिवहन प्रणाली के प्रबंधन में अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से दो परियोजनाओं को लागू किया (i) जल टैंकर की जीपीएस निगरानी के साथ अन्य सुविधाएं जैसे कि जल स्तर संवेदक, फ्लोमीटर, क्लोरीन मीटर तथा स्मार्ट कार्ड के द्वारा पहुंच पर नियंत्रण आदि के लिए ‘जल टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली’ (डब्ल्यूटीडीएमएस), (ii) 10 वर्षों की अवधि के लिये स्टेनलेस स्टील के जल टैंकरो को किराये पर लेने के लिये ‘जल टैंकर आपूर्ति सेवा’ (डब्ल्यूटीएसएस), दिल्ली जल बोर्ड ने डब्ल्यूटीडीएमएस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली एकीकृत बहुस्तरीय माडल ट्रांजिट प्रणाली लिमिटेड (डीआईएमटीएस) का चयन किया (जून 2011)। डब्ल्यूटीडीएमएस परियोजना में 800 पानी के टैंकरो की निगरानी को कवर करने के लिए योजना बनाई गई थी और न्यूनतम 700 पानी के टैंकरो के लिए भुगतान किया जाना था। डब्ल्यूटीएसएस के अंतर्गत, दिल्ली जल बोर्ड ने 407 टैंकर (अगस्त 2012) किराये पर लिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीआईएमटीएस के साथ किये गये करार के विपरीत, दिल्ली जल बोर्ड ने न्यूनतम 700 टैंकरो के प्रावधान के प्रति डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत उपस्कर लगाने हेतु डब्ल्यूटीएसएस से डीआईएमटीएस को सिर्फ 407 टैंकर किराये पर उपलब्ध कराए। दिल्ली जल बोर्ड ने डीआईएमटीएस को इस आधार पर विभागीय टैंकर उपलब्ध नहीं कराये कि यह पुराने थे एवं 2013 से अप्रचलित हो जाने थे। हालांकि पुराने टैंकरो को

बदलने हेतु जून 2016 में 250 स्टेनलेस स्टील टैंकर खरीदे गये थे, परंतु इन्हें डब्ल्यूटीडीएमएस के लिये डीआईएमटीएस को उपलब्ध नहीं कराया गया था। दिल्ली जल बोर्ड ने अल्पकालिक आधार पर 325 टैंकरो को भी किराये पर लिया था जो कि जीपीएस निगरानी के बगैर चल रहे थे।

दिल्ली जल बोर्ड एवं डीआईएमटीएस के बीच भुगतान की रूपरेखा नहीं बनाई गई थी क्योंकि डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत 700 टैंकरो की न्यूनतम संख्या के विरुद्ध केवल 407 टैंकरो की निगरानी की जा रही थी, दिल्ली जल बोर्ड ने डीआईएमटीएस के साथ करार संविदा को 15 जनवरी 2018 को समाप्त कर दिया तथा डीआईएमटीएस से अनुरोध किया कि किसी अन्य वेण्डर को लगाये जाने तक वह जीपीएस सेवार्यें उपलब्ध कराता रहे। अक्टूबर 2019 तक, डीआईएमटीएस दिल्ली जल बोर्ड को जीपीएस सेवार्यें उपलब्ध करा रहा था।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले कुल 657 टैंकरो²⁰ में से 250 टैंकर (38 प्रतिशत) निगरानी करने वाले उपकरणों जैसे जीपीएस, जल स्तर मीटर/फ्लो मीटर/क्लोरीन मीटर आदि के बिना चल रहे थे। इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड फिलिंग पॉइन्ट्स पर जल अपव्यय में कमी, टैंकरो के माध्यम से आपूर्तित जल की गुणवत्ता तथा मात्रा के माप में सुधार तथा गैर-राजस्व जल में कमी के डब्ल्यूटीडीएमएस के इच्छित लाभों को प्राप्त करने में न केवल असफल रहा, बल्कि इसने पर्यावरण विभाग के दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया जिसके अनुसार सभी पानी के टैंकरो में जीपीएस उपकरणों को लगाया जाना चाहिए।

सभी जल टैंकरो में जलस्तर संवेदक एवं फ्लोमीटरों के न होने के कारण एवं अल्प अवधि के लिए किराये पर लिये गये टैंकरो में जीपीएस निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति से, चोरी एवं क्षति एवं गलत बिलों एवं अत्याधिक दावों का जोखिम अधिक है।

दिल्ली जल बोर्ड ने कहा (फरवरी 2019) कि 325 टैंकर अलग-अलग मालिकों से लघु अवधियों के लिए किराये पर लिए जाते थे और इसलिए इन टैंकरो में डब्ल्यूटीडीएमएस उपकरण नहीं लगाए गये थे। आगे यह भी कहा गया कि जीपीएस को छोड़कर डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत निगरानी उपकरणों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था तथा वर्तमान में दीर्घकालिक आधार पर किराये पर रखे गए केवल 407 टैंकर ही जीपीएस से लैस हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्ल्यूटीडीएमएस परियोजना ने प्रभावी निगरानी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के

²⁰ डब्ल्यूटीडीएमएस के अंतर्गत 407 एसएस टैंकर किराये पर लिये + 250 एसएस विभागीय टैंकर = 657 टैंकर

साथ टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू की पर इच्छित परिणाम प्रदान नहीं कर पाए क्योंकि 657 टैंकरों में से 250 टैंकर निगरानी तंत्र से बाहर थे।

दिल्ली में पानी की सम्पूर्ण टैंकर परिवहन प्रणाली में प्रभावी प्रबंधन, जवाबदेही और पारदर्शिता हेतु डब्ल्यूटीडीएमएस की उचित कार्य पद्धति आवश्यक थी लेकिन अपनाई गई प्रणाली के अंतर्गत पानी के टैंकरों की सीमित कवरेज ने परियोजना को अप्रभावी बना दिया।

2.1.12 निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र

2.1.12.1 कार्य की वास्तविक प्रगति की निगरानी का अभाव

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्रों के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली जल बोर्ड को योजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु अनुदान जारी करने वाले अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे निष्पादित एजेंसियों के कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी करें जिसके लिए अनुदान जारी किए गये थे। शहरी विकास विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान की किस्तें जारी करने से पहले वित्तीय प्रगति की निगरानी की। हालांकि, विभागीय स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति की कोई निगरानी नहीं की गई थी। शहरी विकास विभाग स्तर पर निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के बीच समन्वय/समक्रमण के अभाव में वन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर कई अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी एवं सीवर की लाइनें बिछाई गईं।

दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित मंडल वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के मासिक प्रतिवेदन मुख्यालय भेजते हैं जिसमें पूर्ण हुए कार्यों की प्रतिशतता की प्रगति रिपोर्ट होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इन रिपोर्टों की जाँच एवं विश्लेषण के लिए उचित कार्रवाई हेतु मुख्यालय में कोई प्रयास नहीं किए गए थे। मुख्यालय में अपर्याप्त जाँच एवं अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण इन प्रगति प्रतिवेदनों का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2019) कि मुख्य परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है। हालांकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी।

2.1.12.2 परियोजनाओं का निरीक्षण

संविदा की सामान्य शर्तों में अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने आठ मंडलों से अनुरोध किया कि वे साइट पर आने वाले अधिकारियों की टिप्पणियों को अंकित करने के लिए साइट पर निरीक्षण रजिस्टर रखें। हालांकि, तीन मंडलों²¹ द्वारा इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मंडलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए साइट निरीक्षण से संबंधित अभिलेख में पाया गया कि कार्यों की निष्पादन अवधि में अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा 41 सिविल कार्यों (परिशिष्ट 2.10) में किसी का भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

परियोजना स्थलों पर जाने वाले अधिकारियों की टिप्पणियों को दर्ज करने के लिए बनाए गए निरीक्षण रजिस्टर तीन मंडलों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे। पाँच मंडलों से संबंधित 41 कार्यों में कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्य की कोई निगरानी नहीं की गई थी।

दिल्ली जल बोर्ड के अप्रैल 2007 के परिपत्र के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों और ऐसे कार्यों जहां पर दरें असामान्य रूप से कम हैं, की जाँच तीसरे पक्ष द्वारा की जानी है। मंडलों द्वारा तैयार किए गए आकलनों में भी तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण का प्रावधान शामिल है। लेखापरीक्षा में जांचे गये एक करोड़ रुपये से अधिक लागत के 75 कार्यों में, तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया था। हालांकि, असामान्य रूप से कम दरों पर प्रदान किए गए 40 कार्यों (परिशिष्ट 2.11) से संबंधित उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अधिशाशी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों की साइटों का निरीक्षण किया गया था तथा कार्य की वास्तविक प्रगति बढ़ाने के लिए कई मौखिक एवं लिखित निर्देश बार-बार दिए गए थे। जब सिस्टम कार्यशील था, वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों को समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड के परियोजना निगरानी तंत्र में अपलोड किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा तीसरे-पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं पाए गए तथा टिप्पणियों को दर्ज नहीं किया गया था।

²¹ डीआर-III, डीआर-VIII, डीआर-XI

2.1.12.3 कार्य की कार्यक्रम अनुसूची का गैर-प्रस्तुतीकरण

संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 3.9 के संदर्भ में ठेकेदारों को एक करोड़ से तीन करोड़ रुपये के बीच की लागत वाले कार्यों के लिए बार चार्ट के रूप में तथा तीन करोड़ रुपये से ऊपर के सभी कार्यों के लिए बार चार्ट एवं पीईआरटी चार्ट का एक कार्य की कार्यक्रम अनुसूची, कार्य आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने में विफल रहने पर ₹ 1000 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लिया जाएगा। ठेकेदार को संविदा अवधि के दौरान प्रत्येक महीने की 1 और 15 तारीख को परियोजना प्रबंधन प्रणाली (गुणवत्ता निगरानी तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए) में दिए गए प्रारूप में ऑनलाइन प्रगति प्रतिवेदन भी दर्ज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को डीपीआर/अन्य प्रतिवेदन/बार या पीईआरटी चार्ट/साइट फोटोग्राफ भी, अन्यो के बीच, प्रत्येक महीने की 8 व 23 तारीख तक अपोलड करनी होती है और अभियंता द्वारा इन प्रविष्टियों की जाँच की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय एवं निर्धारित प्रारूप में प्रगति अंकित नहीं की गई है तो भुगतान जारी नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली जल बोर्ड के चयनित मंडलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 729.46 करोड़ की राशि के पानी एवं सीवर लाइन बिछाने के 36 कार्य सौंपे थे (परिशिष्ट 2.12)। हालांकि, ठेकेदारों ने कार्यक्रम अनुसूची (बार चार्ट) को निर्धारित प्रारूप में जमा नहीं किया था तथा यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यक्रम अनुसूची के अभाव में कार्य करने की उपलब्धि एवं कार्य की प्रगति कैसे सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, दिल्ली जल बोर्ड ने ठेकेदारों को किए गए भुगतानों से ₹ 2.61 करोड़ की निर्धारित दर पर कार्यक्रम अनुसूची की गैर-प्रस्तुति पर जुर्माने की कटौती नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इन 36 कार्यों में से दस कार्यों को एक वर्ष से अधिक के विलंब के साथ पूरा किया गया था।

सरकार ने अपने उत्तर (फरवरी 2019) में 36 कार्यों में से केवल चार कार्यों के बार चार्टों की प्रतियाँ उपलब्ध कराईं तथा शेष 32 कार्यों के बारे में चुप्पी साध ली। इन चार कार्यों में, बार चार्ट बिना प्रगति प्रतिवेदनों तथा उसकी प्राप्ति समय सीमा के बाद प्रस्तुत किये गये थे।

निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र में इंगित की गई कमियों के मामले लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित हैं। विभाग/सरकार द्वारा लेखापरीक्षा में समाविष्ट नहीं हुई बकाया मामलों की समान कमियों की भी जांच करें।

2.1.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्राप्त सहायता अनुदानों का अन्य उद्देश्यों के लिए अनियमित अपयोजन देखा गया। दिल्ली जल बोर्ड ने लेखापरीक्षा को सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप के द्वारा जल की आपूर्ति के लिए कोई मास्टर प्लान या परिप्रेक्ष्य प्लान उपलब्ध नहीं कराया जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि प्रोजेक्ट एक योजनागत तरीके से लागू किया गया। ऐसे बहुत से मामले देखे गये जहां जल की आंतरिक लाइनें डाल दी गई थी, परंतु भूमिगत श्रोत या परिधीय जल की लाइनें अभी पूरी की जानी बाकी थीं, या इसके विपरीत था। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य के गैर तालमेल के कुछ मामलों के कारण किया गया व्यय निष्फल रहा तथा सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को पाइप के द्वारा पेय जल की आपूर्ति की योजना के उद्देश्य अप्राप्त रहे। लेखापरीक्षा ने ऐसे भी मामले देखे जहां पानी की परिधीय लाइनें पाँच वर्षों से अधिक समय से क्रियात्मक है परंतु पानी की आंतरिक लाइनों की योजना अभी भी बनायी जानी है। इन मामलों में अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने अनाधिकृत पानी की लाइनें डाल ली थी, जिसके कारण आंतरिक पानी की लाइनें डालने का दिल्ली जल बोर्ड का कार्य दुष्कर हो सकता है।

सीवरेज मास्टर प्लान दिल्ली-2031 में सीवर लाइन कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहे थे। मार्च 2018 तक 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी पीने योग्य पानी की आवश्यकताओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति पर तथा ट्यूबवैल/हैंडपम्पों पर निर्भर थे। सीवरेज क्षेत्र के मामले में, 1,573 अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को सीवरेज सुविधाओं से वंचित रखा गया था और इन अनाधिकृत कॉलोनियों का अनुपचारित गंदा पानी नालियों के माध्यम से यमुना नदी में जा रहा था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि दिल्ली जल बोर्ड ने सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी एवं सीवरेज लाइनों का काम किया और इसके परिणामस्वरूप 43 कार्यों को बीच में ही रोक दिया गया जिससे इन पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा में प्राक्कलनों की तैयारी तथा अनुमोदन एवं कार्य प्रदान करने में तथा कार्य के निष्पादन में विलंब के मामले, अयोग्य बिल्डरों का चयन एवं ठेकेदारों को बढ़ोत्तरी का अनुचित लाभ जैसी अनेक कमियां पाई गईं। दिल्ली में पानी के टैंकर की परिवहन प्रणाली प्रबंधन द्वारा दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता में सुधार के लिए आरंभ की गई, पानी टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली ने कभी भी

अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं किया तथा यह केवल टैंकरो की जीपीएस निगरानी तक ही सीमित था, जो केवल 62 प्रतिशत टैंकरो में ही था। कार्यों के निष्पादन में आ रही बाधाओं को पहचानने एवं इन्हें दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड को पीने योग्य पानी की आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान की परिकल्पना सुनिश्चित करने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने की योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है।

2.1.14 सिफारिशें

दिल्ली जल बोर्ड

- (i) भूमिगत श्रोत और परिधीय लाइनों तथा ट्रंक इंटरसेप्टर सीवर के निर्माण कार्य का पानी तथा सीवर लाइनें बिछाने के कार्य के साथ तालमेल सुनिश्चित करे ताकि अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल आपूर्ति तथा सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य समय पर निष्पादित तथा प्रतिस्थापित किये जाएं;
- (ii) वन/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को किये जाने पर लगी रोक के सरकारी निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करे;
- (iii) टैंकर के द्वारा जल आपूर्ति में प्रभावी निगरानी, जबाबदेही तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करे; एवं
- (iv) मुख्यालय पर कार्यों की निगरानी को मजबूत करें ताकि अन्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली रुकावटों को चिन्हित कर कम कर सके।

अध्याय-III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - III
अनुपालन लेखापरीक्षा

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग

3.1 बैंक से ₹ 61 लाख की गैर-वसूली

बैंक से अनाधिकृत भुगतान की वसूली करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 61 लाख की राशि की सरकारी खाते में भरपाई नहीं हुई। विभाग को ₹ 12 लाख के ब्याज का नुकसान भी हुआ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (विभाग) के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल करने के लिए लाभार्थियों के खाते में ₹ 600 प्रति माह सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से दिल्ली अन्नश्री योजना लागू की (दिसम्बर 2012)। इस उद्देश्य हेतु विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) में एक बचत खाता खोला हुआ था। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली अन्नश्री योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ मिलाने का निर्णय लिया (सितम्बर 2013) तथा अप्रैल 2014 से उस योजना के तहत भुगतान बंद कर दिया।

दिल्ली अन्नश्री योजना के अंतर्गत विभाग की कम्प्यूटर शाखा से लाभार्थियों के आँकड़े प्राप्त होने के बाद पॉलिसी शाखा द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए गए तथा स्वीकृति आदेशों की प्रतियों को लाभार्थियों की सूची के साथ लेखा शाखा को बिल बनाने एवं बैंक को निधि हस्तांतरित करने हेतु भेज दिया गया, बैंक ने इस राशि को दी गयी सूची के अनुसार लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, कई उदाहरणों में जैसा कि तालिका 3.1.1 में विवरण दिया गया है, बैंक ने अपने हिसाब से उन व्यक्तियों को भुगतान कर दिया जिन्हें विभाग ने इच्छित लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया था।

तालिका 3.1.1: बैंक द्वारा जारी भुगतान का विवरण

स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत लाभार्थियों की सं.	स्वीकृत राशि (₹)	दर (₹)	व्यक्तियों की वास्तविक संख्या जिन्हें सब्सिडी जारी की गई	बैंक द्वारा जारी कुल राशि (₹)	व्यक्तियों की वास्तविक संख्या जिन्हें गलती से सब्सिडी जारी की गई	बैंक द्वारा जारी अतिरिक्त राशि (₹)
21.01.13	11,926	71,55,600	600	12,424	74,43,334	498	2,87,734
25.02.13	10,148	182,66,400	1800	12,362	222,51,600	2,214	39,85,200
विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई	-		600 6600	245 256	1,47,000 16,89,600	245 256	1,47,000 16,89,600
कुल						3,213	61,09,534

स्रोत: आँकड़े विभाग द्वारा मुहैया कराए गए

विभाग ने उन व्यक्तियों की सूची माँगी जिन्हें बैंक ने केवल सितम्बर 2015 में सब्सिडी जारी की थी तथा बैंक द्वारा दिए गए (जुलाई 2016) आँकड़ों का सत्यापन करने पर पाया गया (अक्टूबर 2016) कि ₹ 61 लाख का भुगतान अनधिकृत व्यक्तियों को जनवरी-फरवरी 2013 में जारी किया गया। विभाग ने मामले को केवल बैंक के मुख्य प्रबंधक के स्तर तक असफलतापूर्वक आगे बढ़ाया तथा जोनल प्रबंधक से केवल सितम्बर 2018 में पहल की, लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद छः महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी विभाग ने ₹ 61 लाख के भुगतान को अभी तक (दिसम्बर 2018) वापस प्राप्त नहीं किया है जिसे बैंक ने अनाधिकृत तरीके से हस्तांतरित किया था।

इस प्रकार, उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें बैंक ने सब्सिडी जारी की, शीघ्र प्राप्त करने तथा इसे स्वीकृत लाभार्थियों की सूची के साथ समय से मिलान करने के तंत्र के अभाव की वजह से विभाग यह सुनिश्चित करने में असफल रहा कि सब्सिडी केवल स्वीकृत लाभार्थियों को ही जारी की गयी।

यही नहीं, विभाग समय से इस मुद्दे को बैंक के उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष ले जाने में असफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 61 लाख की राशि योजना बंद होने के बाद भी चार वर्ष से अधिक समय तक सरकारी खाते (फरवरी 2019 तक) से बाहर है। विभाग को ₹ 61 लाख की धन राशि सरकारी खाते से बाहर रहने के कारण ₹ 12 लाख¹ के ब्याज का भी नुकसान हुआ।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि उसने जोनल प्रबंधक से अतिरिक्त धन राशि तथा ब्याज वापिस करने के लिए मुख्य प्रबंधक को निर्देश देने के लिए आग्रह किया (सितम्बर 2018) है।

यह मामला सरकार को अगस्त 2018 में भेजा गया, उनका जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2019)।

¹ बचत खाता ब्याज दर 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित (₹ 61,09,534 X 3.5 X 69 माह (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018/1200))

सामान्य प्रशासन विभाग

3.2 ₹ 1.39 करोड़ की संविदा का अनियमित प्रदत्तन

न्यूनतम सेवा शुल्क मानदंड पर आधारित निविदाओं की अस्वीकृति जिसे जीएफआर प्रावधानों और केंद्रीय सतर्कता आयोग दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निविदाओं की प्राप्ति के पश्चात तथा सेवा कर की गलत गणना के आधार पर, जो कि एक वैधानिक कर है तथा वास्तविकता के अनुसार देय है, अपनाया गया था, ने निविदा प्रणाली की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया तथा ₹ 1.39 करोड़ की राशि के संविदा के अनियमित प्रदत्तन का कारण बना।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 180 (IV) के अनुसार मंत्रालय या विभाग को ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली बाह्य स्रोत सेवाओं के मामलों में वैधानिक व संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन हेतु एक निविदा जाँच तैयार करनी चाहिए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने 07 जुलाई 2003 के आदेश में दोहराया कि संगठन जो भी पूर्व योग्यता, मूल्यांकन/अपवर्जन मानदंड आदि को अपनाना चाहता है, उसे निविदाओं को आमंत्रित करने के समय स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता की मूल अवधारणा और समानता तथा निष्पक्षता की कसौटी तृप्त हो।

सामान्य प्रशासन विभाग (सा.प्र.वि.) ने विकास भवन-II की गृह व्यवस्था और स्वच्छता सेवाओं हेतु शुरू में दो वर्ष के लिए 23 सफाई कर्मचारियों तथा एक पर्यवेक्षक प्रदान करने के लिए खुली निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2016) की, जिसके लिए पाँच फर्मों ने अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कीं। निविदा मूल्यांकन समिति ने प्राप्त पाँच बोलियों में से चार की वित्तीय बोलियों को खोलने की सिफारिश की (05 मई 2016) तथा उनकी वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सेवा शुल्क के रूप में कम से कम ₹ 40,000 प्रतिमाह आवश्यक हो, के मानदंड पर करने की भी सिफारिश की। निविदाओं को आमंत्रित करते समय सेवा शुल्क के रूप में ₹ 40,000 प्रतिमाह की यह न्यूनतम राशि वर्णित नहीं थी।

वित्तीय बोलियाँ 18 मई 2016 को खोली गई थीं तथा चार फर्मों द्वारा उद्धृत दरों का विवरण तालिका-3.2.1 में दर्शित है:

तालिका 3.2.1 : फर्मों द्वारा उद्धृत की गयी दरों का विवरण

(राशि ₹ में)

फर्म	पदनाम	प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी	सांविधिक दायित्व (ईएसआई/ ईपीएफ, बोनस)	सेवा कर	सेवा शुल्क		कुल योग
					प्रति व्यक्ति	कुल	
‘ए’	पर्यवेक्षक (01)	10,582	2,798	46,713	573	41,651	3,79,993
	मजदूर (23)	9,568	2,530		1,786		
‘बी’	पर्यवेक्षक (01)	10,582	2,798	47,213	700	34,050	3,72,872
	मजदूर (23)	9,568	2,530		1,450		
‘सी’	पर्यवेक्षक (01)	10,582	2,798	51,334	2,600	62,400	4,05,363
	मजदूर (23)	9,568	2,530		2,600		
‘डी’	पर्यवेक्षक (01)	10,582	2,798	50,335	2,019	48,456	3,90,420
	मजदूर (23)	9,568	2,530		2,019		

स्रोत: विभागीय अभिलेख

यह पाया गया था कि वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति ने फर्म ‘ए’, ‘बी’ और ‘डी’ की बोलियों को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत कर दिया:

फर्म	अस्वीकृति के आधार	लेखापरीक्षा अवलोकन
‘ए’	लागू ₹ 48,325 के बजाय वैधानिक देयता (सेवा कर) के लिए ₹ 46,713 उद्धृत किया गया।	लागू सेवा कर और प्रयोज्य सेवाकर के बीच भिन्नता के आधार पर अपवर्जन न्यायोचित नहीं था क्योंकि वैधानिक देयता का वास्तविक आकड़ों पर भुगतान किया जाता है, जो समय-समय पर लागू हो।
‘बी’	निवेदा मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित ₹ 40,000 की अधिकतम सीमा से कम सेवा शुल्क लगाया गया था।	बोली प्राप्त करने के बाद न्यूनतम सेवा शुल्क के मूल्यांकन/अपवर्जन मानदंडों को निर्धारित करना और अपनाना जिसे निवेदा मांगते समय व्यक्त नहीं किया था, जीएफआर और सीवीसी के निर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके अलावा, ₹ 40,000 की न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारित करने का आधार भी रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
‘डी’	लागू ₹ 49,312 के बजाय वैधानिक देयता (सेवा कर) के लिए ₹ 50,335 उद्धृत किया गया।	लागू सेवा कर और प्रयोज्य के बीच भिन्नता के आधार पर अपवर्जन न्यायोचित नहीं था क्योंकि वैधानिक देयता का वास्तविक आकड़ों पर भुगतान किया जाता है, जो समय-समय पर लागू हो।

स्रोत: विभागीय अभिलेख

‘ए’, ‘बी’ एवं ‘डी’ की बोलियों की अस्वीकृति के पश्चात् उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म ‘सी’ को ₹ 97.29 लाख की राशि पर दो वर्ष की अवधि के लिए निविदा प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त, सा.प्र.वि. ने इसी निविदा के आधार पर दो वर्ष के लिए ₹ 41.75 लाख पर इसी फर्म को सिविल लाइन में मुख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय में गृह व्यवस्था तथा स्वच्छता सेवा हेतु 10 सफाई कर्मचारी एवं एक पर्यवेक्षक प्रदान करने के लिए एक दूसरी संविदा भी प्रदान की गई थी। (25 मई 2016)। विभाग की उपर्युक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ (₹ 97.29 लाख और ₹ 41.75 लाख) की राशि के संविदा का अनियमित प्रदत्तन हुआ।

सा.प्र.वि. ने कहा (मई 2017) कि अपने स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन समिति को सही सेवा शुल्क निर्धारित करने तथा इस संदर्भ में निर्णय लेने का पूर्व अधिकार था। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि एनआईटी के अनुसार बोली लगाने वालों के वे प्रस्ताव जो वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे, अस्वीकार किए जाने के योग्य थे।

सा.प्र.वि. का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा शुल्क की न्यूनतम राशि के अपवर्जन मानदंड को सीवीसी अनुदेशों के अनुसार निविदा की मांग करते समय स्पष्ट किया जाना चाहिए था और बोली को खोलने के समय विभाग द्वारा उसी को अपनाया जाना था जोकि जीएफआर प्रावधानों और सीवीसी निर्देशों का उल्लंघन था।

केवल लगाए जाने वाले सेवा कर की राशि की गलत गणना के आधार पर बोलियों की अस्वीकृति भी उचित नहीं थी, क्योंकि सेवा कर एक वैधानिक कर है और विभाग द्वारा वास्तविकता के आधार पर देय था।

मामला सरकार को संदर्भित था (जुलाई 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3 अतिरिक्त गार्डों की तैनाती पर ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

सरकारी आदेशों/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों को अधिक संख्या में रखा जाना, जिसके कारण ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आउटसोर्स की गयी सेवाएं जैसे नर्सिंग अर्दली, सुरक्षा गार्डों इत्यादि हेतु श्रमशक्ति की तैनाती से संबंधित दिसम्बर 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा. एवं प.क.), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में, यदि कोई अस्पताल रिक्त संस्वीकृत पदों के बराबर स्टाफ की प्रतिदिन तैनाती करता है, तब रखे गए अधिकतम कर्मियों की संख्या संस्वीकृत रिक्त पदों की संख्या तक रहेगी चूँकि संस्वीकृत पदों में भी आरक्षित छुट्टी के लिए प्रावधान शामिल होता है, जब तक अलग से कुछ दर्ज न हो। इस प्रकार, रोटेशन पर कुल संख्या में रखे गये गार्डों की शिफ्ट चौबीस घंटे सातों दिन जिसमें छुट्टियाँ आदि भी शामिल हैं के अनुमत्य रिक्त संस्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या आउटसोर्सिंग हेतु नहीं हो सकती है एवं अस्पताल को एक तरीके से स्टाफ की तैनाती हेतु रोस्टर तैयार करना होता है जिससे कि आउटसोर्सिंग हेतु कुल संख्या मान्य रिक्त संस्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं हो।

जून 2014 में, पुनर्वास निदेशालय (डीजीआर) की सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से जी.टी.बी.एच. में 222 सुरक्षा गार्डों एवं 11 पर्यवेक्षकों के रखे जाने हेतु एक प्रस्ताव वित्त विभाग (वि.वि.) व सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रमशः 28 मई 2014 एवं 2 जून 2014 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद, जी.टी.बी. अस्पताल में 222 सुरक्षा गार्डों एवं 11 पर्यवेक्षकों हेतु संविदा तीन डी.जी.आर. सूचीबद्ध एजेंसियों को प्रति गार्ड ₹ 20,193.79 व प्रति पर्यवेक्षक ₹ 26,342 की प्रति माह दर पर 1 वर्ष (1 दिसम्बर 2014 से 30 नवम्बर 2015) के लिए रखा गया (नवम्बर 2014)। उपरोक्त संविदाओं के पूर्ण होने पर दो एजेंसियों को समय-समय पर 28 फरवरी 2017 तक एक्सटेंशन दिया गया। हालांकि, एक सुरक्षा एजेंसी ने अपनी सेवा को जारी रखने से मना कर दिया और यह कार्य दो नई एजेंसियों को एक वर्ष की अवधि के लिए सौंपा गया (अप्रैल 2016) जिसे आगे क्रमशः 15 मई 2017 एवं 18 अप्रैल 2017 तक विस्तारित किया गया।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि डी.जी.आर. की मजदूरी संरचना के अनुसार सुरक्षा गार्ड सात दिनों की अवधि में एक दिन की सवेतन छुट्टी के हकदार हैं एवं जिस दर पर संविदा दी गई है, उसमें छुट्टी पर गार्ड हेतु रिलीवर जोकि इयूटी निभाएगा, की मजदूरी भी शामिल है। इस प्रकार, वह दर जिस पर संविदा प्रदान

की गई थी, वह सभी सातों दिनों में सुरक्षा गार्डों के लगाये जाने हेतु थी। इस प्रकार, डीएचएण्डएफडब्ल्यू के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जीटीबी अस्पताल को 222 संस्वीकृत सुरक्षा गार्डों की संख्या से रोज लगाए जाने वाले गार्डों की संख्या में कमी करनी चाहिए।

विशेष सचिव (स्वास्थ्य) ने जब फरवरी 2015 में, अस्पताल का दौरा किया तब खासतौर पर निर्देश दिया था कि सभी भुगतान सुरक्षा गार्डों की संख्या अनुसार सीमित किये जाने चाहिए जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमत्य व संस्वीकृत की गई हो एवं रविवार व छुट्टियों के लिए रिलीवर, यदि आवश्यक हो, संस्वीकृत संख्या के भीतर होना चाहिए।

हालांकि, अस्पताल ने सभी सात दिनों में 190 गार्ड रखने के बजाय सभी सात दिनों में 222 सुरक्षा गार्ड प्रतिदिन के आधार पर लगाये (सिवाय माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 के दौरान) जिसके भुगतान को 222 पदों के संस्वीकृत संख्या के भीतर रोका जाना था।

इस प्रकार, 190² सुरक्षा गार्डों के बजाए 222 सुरक्षा गार्ड प्रतिदिन के आधार पर रखे जाने के कारण 32 अतिरिक्त गार्डों की तैनाती में दिसम्बर 2014 से दिसम्बर 2016 के अवधि के दौरान इस पर ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

जीटीबी अस्पताल ने कहा (जनवरी 2019) कि सक्षम प्राधिकारी (उपराज्यपाल) ने ₹ 19,048/- प्रतिमाह पर 222 सुरक्षा गार्डों की संस्वीकृति पुनर्वास निदेशालय (डीजीआर) द्वारा गार्डों की तैनाती हेतु लागू दरों पर दी, जिनमें रिलीविंग चार्ज भी शामिल है जिनका भुगतान रविवार व छुट्टियों पर तैनात गार्डों को किया जाता है।

उपरोक्त उत्तर लेखापरीक्षा पैरा में उठाये गये मुद्दे का निदान नहीं करता है कि 222 पदों के संस्वीकृत संख्या में स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के अनुसार आरक्षित छुट्टी भी शामिल है एवं इस प्रकार, तैनात गार्डों की कुल संख्या जिसमें रविवार व छुट्टियों पर तैनात गार्ड भी शामिल है, को संस्वीकृत पदों के भीतर रखा जाना चाहिए था।

मामला जुलाई 2018 में सरकार को संदर्भित था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

² दिसम्बर 2014 के स्वा. एवं प.क. के निर्देशों के संदर्भ में संस्वीकृत पदों में आरक्षित अवकाशों को शामिल माना जाता है जब तक कि अलग से उल्लेख नहीं किया हो। आरक्षित अवकाश रखने का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था जबकि 222 पदों को संस्वीकृत करते हुए बताया गया कि इसमें आरक्षित अवकाश भी शामिल है। विशेष सचिव ने फरवरी 2015 में अस्पताल का दौरा किया तो उस समय इसे पुनः दोहराया। दिसम्बर 2014 के स्वा. एवं प.क. के निर्देशों के अनुसार सु.गा. की प्रतिदिन की तैनाती (222 x 6/7) 32 सु.गा. की रोटेशन आधार पर साप्ताहिक अवकाश के साथ 190 सु.गा. होनी चाहिए ताकि संस्वीकृत पदों को बढ़ाये बिना 190 सु.गा. सप्ताह के सभी सातों दिन उपलब्ध रहे।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

3.4 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन

पीएसयू द्वारा उनके वर्गीकृत विज्ञापनों को प्रशासनिक विभागों से न गुजारने के परिणामस्वरूप डीएवीपी दरों का लाभ न लेना; तथा परियोजना की अनुमानित लागत को देखते हुए, एक परियोजना के शिलान्यास समारोह के विज्ञापन पर उनके अनुमानित लागत की तुलना में अधिक व्यय किया गया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के विभागों, स्वायत्त संस्थाएँ तथा निगमों अपने द्वारा जन कल्याण हेतु शुरू किए गए विभिन्न गतिविधियों तथा पहल से दिल्ली की जनता को अवगत कराने के लिए प्रिंट (समाचार-पत्र, पत्रिका आदि), आउटडोर (होर्डिंग, बसों पर डिस्प्ले, दिल्ली मेट्रो के अन्दर आदि) तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी क्लिप्स, रेडियो जिंगल्स आदि) के माध्यम से रचनात्मक विज्ञापनों को प्रसारित करता है। वे वर्गीकृत विज्ञापनों के रूप में प्रिंट मीडिया में जन सूचनाएँ, निविदा सूचनाएँ, भर्ती सूचनाएँ आदि भी प्रकाशित करता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों के रचनात्मक विज्ञापनों पर व्यय सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) को आवंटित बजट से किया जाता है। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान ₹ 365 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध रचनात्मक विज्ञापनों पर वास्तविक व्यय ₹ 184.03 करोड़ हुआ जैसा कि तालिका 3.4.1 में दिया गया है।

तालिका 3.4.1: डीआईपी का जन-प्रचार पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जन-प्रचार के लिए बजट अनुमान	जन-प्रचार पर वास्तविक व्यय	रा.रा.क्षे.दि.स. के कुल व्यय का प्रतिशतता के रूप में जन-प्रचार पर व्यय
2016-17	175.00	66.27	0.19
2017-18	190.00	117.76	0.30
कुल	365.00	184.03	

उपरोक्त से इतर, रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वायत्त संस्थानों³ तथा निगमों ने रचनात्मक एवं वर्गीकृत विज्ञापनों पर क्रमशः ₹ 28.65 करोड़ एवं ₹ 7.51 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जैसा कि तालिका 3.4.2 में दिया गया है।

³ 26 स्वायत्त संस्थाओं के संबंध में (कार्यालय लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कुल 58 एबी में से) जिसने अपने जन-प्रचार व्यय से संबंधित सूचना मुहैया करायी।

तालिका 3.4.2: विज्ञापनों पर व्यय

	2016-17	2017-18	कुल
निगमों ⁴	3.05	4.46	7.51
स्वायत्त संस्थाएँ	9.69	18.96	28.65
कुल	12.74	23.42	36.16

स्रोत: बजट दस्तावेज, निगमों के वार्षिक लेखे तथा स्वायत्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना से संग्रहित

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञापनों पर व्यय कुशलता से, प्रभावी रूप से तथा मितव्ययिता से किया जा रहा था तथा यह भी आकलन करने के लिए कि रचनात्मक विज्ञापन, विज्ञापनों की सामग्री के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2015 में अनुमोदित दिशानिर्देश के अनुरूप है, लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों, स्वायत्त संस्थाओं (एबी) तथा निगमों के अप्रैल 2016 से मार्च 2018 की अवधि के अभिलेखों की 10 अक्टूबर 2019 से 5 नवम्बर 2019 के दौरान जाँच की।

36 विभागों जिन्होंने 2016-18 के दौरान डीआईपी के माध्यम से रचनात्मक विज्ञापनों को प्रसारित किया, लेखापरीक्षा ने सबसे अधिक संख्या में प्रिंट मीडिया में प्रसारित रचनात्मक विज्ञापनों के आधार पर चार⁵ विभागों का चयन किया। इन चार विभागों में 225 अर्थात् रा.रा.क्षे.दि.स. के 36 विभागों द्वारा प्रसारित कुल 454 रचनात्मक विज्ञापनों का लगभग 50 प्रतिशत प्रसारित किया।

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 58 स्वायत्त संस्थाएँ (एबी) हैं। इनमें से 14 ने 2016-18 के दौरान डीआईपी के माध्यम से रचनात्मक विज्ञापनों को प्रसारित किया। इन 14 में से, दो एबी अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड तथा साहित्य कला परिषद का चयन किया गया, जिन्होंने डीआईपी द्वारा एबी के लिए प्रसारित किए गए रचनात्मक विज्ञापनों की कुल संख्या को 44 प्रतिशत का विज्ञापन किया।

रा.रा.क्षे.दि.स. के 19 निगमों में से पाँच⁶ निगमों को उनके 2016-17 तथा 2017-18 वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार विज्ञापनों पर सबसे अधिक व्यय के आधार पर चयन किया गया। इन पाँच निगमों ने, सभी 19 निगमों द्वारा मिलकर विज्ञापनों के लिए बुक किए गए खर्च का 82 प्रतिशत लिया।

⁴ निगमों के वार्षिक लेखों में दी गई संख्या के अनुसार तथा अवास्तविक संख्या जहाँ कहीं लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

⁵ सूचना एवं जन-प्रचार निदेशालय (सभी विज्ञापनों के लिए नोडल विभाग), शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पर्यटन विभाग

⁶ दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीडीसी), दिल्ली ट्रॉसको लिमिटेड (डीटीएल), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) तथा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

3.4.1 लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा दल को फाइलें प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डीआईपी में, लेखापरीक्षा ने चयनित चार विभागों द्वारा प्रसारित सभी 225 रचनात्मक विज्ञापनों से संबंधित अभिलेखों को देने की माँग की, इनमें से मात्र 76 विज्ञापनों (34 प्रतिशत) के संबंध में ही अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। चूँकि, डीआईपी ने लेखापरीक्षा के दौरान माँगी गई सभी फाइलें उपलब्ध नहीं कराई, अतः रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विज्ञापनों एवं जन-प्रचार पर किए गए व्यय की व्यापक लेखापरीक्षा संभव नहीं हो पायी है।

2016-18 के दौरान दो चयनित स्वायत्त संस्थाओं द्वारा प्रसारित 65 रचनात्मक विज्ञापनों में से, 62 रचनात्मक विज्ञापनों के अभिलेख एबी द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए। निगमों के संबंध में, पाँच चयनित निगमों द्वारा प्रसारित 30 रचनात्मक विज्ञापनों में से 28 से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने इन पाँच निगमों के 197 वर्गीकृत विज्ञापनों में से 81 की नमूना-जाँच भी की।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

3.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा व्यवसायिक दरों पर वर्गीकृत विज्ञापनों पर अत्यधिक व्यय

सरकार के लिए एक समर्पित विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु जून 2015 में 'शब्दार्थ' नाम से एक सोसायटी की स्थापना करने के बाद सरकार ने दिनांक 14 फरवरी 2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्पष्ट किया कि यदि रा.रा.क्षे.दि.स. के निगम अपने विज्ञापनों को गैर-व्यवसायिक दरों/डीएवीपी दरों पर डीआईपी/ शब्दार्थ के माध्यम से प्रकाशित करने का इरादा रखेंगे तो ऐसे अनुरोधों को प्रशासनिक विभागों से गुजरना होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि गैर-व्यवसायिक दरों/डीएवीपी दरों पर विज्ञापन प्रसारित करने हेतु अपने तत्संबंधि प्रशासनिक विभागों के माध्यम से शब्दार्थ को भेजे जाने के बदले पाँच चयनित पीएसयू वर्गीकृत विज्ञापनों को व्यवसायिक दरों पर (सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से) प्रकाशित कर रहे थे, जो व्यवसायिक दरों की तुलना में बहुत ही कम था। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई (196 मामलों में से) 81 मामलों में ₹ 1.10 करोड़ का अत्यधिक व्यय हुआ जिसका विवरण तालिका 3.4.3 में दिया गया है।

तालिका 3.4.3: व्यवसायिक दरों पर वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन पर अत्यधिक व्यय
(₹ लाख में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	नमूना जाँच किए गए विज्ञापनों की संख्या	व्यवसायिक दरों की लागत	डीएवीपी दरों की लागत	अतिरिक्त व्यय
1	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम	21	16.44	2.28	14.16
2	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	30	49.22	7.88	41.34
3	आईपीजीसीएल एवं पीपीसीएल*	14	39.71	5.31	34.40
4	दिल्ली परिवहन निगम	16	33.77	13.82	19.95
	कुल	81	139.14	29.29	109.85

*ये दोनों निगम एक ही प्रबंधन के अंतर्गत हैं और इसलिए, व्यय एक साथ किया गया है।

नोट: लागत और अतिरिक्त व्यय कर को शामिल न करते हुए निकाला गया है।

डीटीडीसी, डीटीएल, आईपीजीसीएल तथा पीपीसीएल के प्रबंधन ने जवाब दिया कि यद्यपि उन्होंने वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु दिसम्बर 2015 में शब्दार्थ के साथ इन मामलों को उठाया था, शब्दार्थ ने इसे प्रकाशित करने से मना कर दिया क्योंकि मीडिया हाउस ने डीएवीपी दरों पर उनके विज्ञापनों को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि निगम अपने विज्ञापनों को प्रशासनिक विभागों के माध्यम से नहीं भेजा था, जैसा कि रा.रा.क्षे.दि.स. के परिपत्र में निर्देशित था, जो उन्हें शब्दार्थ के माध्यम से अपने विज्ञापनों को प्रसारित करते समय डीएवीपी दरों का लाभ उठाने के योग्य बनाता।

पाँच निगमों द्वारा वर्गीकृत विज्ञापनों को अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से नहीं भेजे जाने के कारण ₹ 1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, क्योंकि वे डीएवीपी दरों का लाभ नहीं ले सके जो व्यवसायिक दरों से कम था।

सरकार ने जवाब दिया (जनवरी 2020) कि शब्दार्थ निगमों के लिए विज्ञापनों को डीएवीपी दरों पर प्रसारित नहीं कर सका क्योंकि मीडिया हाउस ने विज्ञापनों को डीएवीपी दरों पर प्रकाशित करने से मना कर दिया। तथ्यों को निश्चित करने पर कि इन विज्ञापनों को उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से नहीं भेजा गया था, सरकार ने आगे कहा कि इसका परिणाम वही होता (यदि विज्ञापनों को प्रशासनिक विभागों के माध्यम से भेजा जाता)।

सरकार के जवाब से यह अवलोकन किया गया है कि निगमों द्वारा डीएवीपी दरों पर विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए दिनांक 14 फरवरी 2017 के का.ज्ञा. में वर्णित उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया तथा इसी वजह से निगम डीएवीपी दरों का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं था। चूँकि उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया, यह नहीं माना जा सकता है कि मीडिया हाउस डीएवीपी दरों पर विज्ञापनों को

प्रकाशित करने से मना किया होगा यदि दिनांक 14 फरवरी 2017 के का.जा. में दिए गए शर्तों का पालन किया गया होता।

3.4.3 परियोजना के शिलान्यास समारोह के जन-प्रचार पर व्यय

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 21, जो वित्तीय सम्पत्ति के सिद्धांतों का पालन करता है, के अनुसार, अवसर की माँग से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड ने “पश्चिम लक्ष्मी मार्केट तथा खुरेजी खास में सीवर लाइनों का प्रतिस्थापन” परियोजना के शिलान्यास समारोह हेतु ₹ 36.55 लाख की लागत से विज्ञापन प्रसारित किया। यह परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो कि मात्र ₹ 2.16 करोड़ थी, का 17 प्रतिशत थी। शिलान्यास समारोह के विज्ञापन पर ऐसे उच्च व्यय को जब कुल परियोजना लागत के विरुद्ध देखा गया तो यह वित्तीय सम्पत्ति के मानकों के अनुरूप नहीं था जैसा कि सरकारी व्यय में अपेक्षित था।

सरकार ने जवाब दिया (जनवरी 2020) कि परियोजना एक बड़े जन समूह को प्रभावित करती है और इस वजह से लोगों को परियोजना पूर्ण होने के बारे में जानकारी देने लिए वृहद जन-प्रचार किया गया। जवाब, लेखापरीक्षा अवलोकन, जो परियोजना के अनुमानित लागत के समानुपात एवं परियोजना के शिलान्यास समारोह पर उच्च विज्ञापन लागत के संबंध में था, से मेल नहीं रखता है।

श्रम विभाग

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

3.5 ₹ 49.13 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान एवं उस पर ₹ 48.51 करोड़ का ब्याज

अपनी अनिवार्य गतिविधियों के लिए अपनी आय के अल्प उपयोग और समय पर कर का भुगतान न करने के कारण दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹ 97.64 करोड़ की राशि का आयकर व ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा जिसे अन्यथा कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए था, इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों से वंचित रखा गया।

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवाओं की स्थिति) एक्ट 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) के अंतर्गत 2 सितम्बर 2002 को हुआ जिसमें भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याण उपायों को प्रदान करने और निगरानी करने के उद्देश्य शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड, रा.रा.क्षे. दिल्ली में निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों/व्यक्तियों से उपकर एकत्र करता है।

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 12ए के अंतर्गत बोर्ड को इसे अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आयकर से छूट के लिए निम्न शर्तों के अधीन पात्र बनाते हुए पंजीकरण प्रदान किया गया था:

- बोर्ड को धर्मार्थ उद्देश्य हेतु वर्ष के दौरान अपनी आय का कम से कम 85 प्रतिशत उपयोग करना था। यदि धर्मार्थ उद्देश्य के लिए लगायी गयी राशि आय के 85 प्रतिशत से कम होती है तो 85 प्रतिशत से कम लगायी गई राशि कर योग्य आय समझी जायेगी।
- बोर्ड को भी स्थायी लेखा संख्या प्राप्त करने एवं नियमित रूप से आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) भरने की जरूरत थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के द्वारा एकत्रित उपकर का उपयोग वर्ष 2009-10 से 2017-18 के दौरान केवल 0.45 से 38.42 प्रतिशत रहा (परिशिष्ट 3.4.1)। प्राप्त उपकर का इस तरह से उचित उपयोग न करने के कारण जो कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना एवं कल्याण कार्यों को करने हेतु थे, 31 मार्च 2018 तक ₹ 2,465.43 करोड़ राशि एकत्रित हुई।

कल्याण योजनाओं पर निधियों के उचित उपयोग न करने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह था, कि बोर्ड दिल्ली में अनुमानित 10 लाख श्रमिकों में से मार्च 2018 तक केवल 1.49 लाख श्रमिकों को पंजीकृत कर सका। निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संग्रहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधियों का निष्क्रिय पड़े रहने को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. (नॉन-पीएसयू) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.9 में उल्लेख किया गया था। विभिन्न राज्यों के कल्याण बोर्डों द्वारा इकट्ठे किए गए उपकर का उचित उपयोग न करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार टिप्पणी भी की गई है तथा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम को लागू करने के लिए सामान्य निर्देश भी जारी किए गए (मार्च 2018) हैं। इसके बावजूद, निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर निधि की उपयोगिता का प्रतिशतता लगातार कम रहा। परिशिष्ट 3.4.1 से देखा जा सकता है कि बोर्ड किसी भी वर्ष में अपनी आय के कम से कम 85 प्रतिशत उपयोग करने में असफल रहा जो इसे आयकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है।

बोर्ड सितम्बर 2002 में भी अपने गठन से ही अपने वार्षिक लेखों को समय से अंतिम रूप देने में विफल रहा। जबकि लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2002-03 से 2009-10 के वार्षिक लेखे एक साथ मार्च 2013 में जमा किये गए, आगामी सभी वर्षों में लेखों में देरी हुई है। 2017-18 की वार्षिक लेखा लेखापरीक्षा हेतु अभी प्रस्तुत की जानी है।

यह भी देखा गया कि आयकर से छूट का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत होने के बाद भी बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से आयकर विवरण नहीं भरा।

इसके परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने (मार्च 2017) नि.व. 2010-11 हेतु आईटीआर न भरने के लिए आईटीएक्ट 1961 की धारा 148 के अधीन बोर्ड को एक नोटिस जारी किया। जवाब में, बोर्ड ने अपनी कर योग्य आय को 'शून्य' दिखाते हुए अक्टूबर 2017 में आं.व. 2010-11 हेतु आईटीआर भरा। हालांकि, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू आय में 85 प्रतिशत से कमी आयी, आईटीडी ने शुद्ध कर देयता ₹ 49.13 करोड़ निर्धारित करते हुए आईटीएक्ट, 1961 की धारा 147 के अधीन मूल्यांकन आदेश (मू.आ.) पारित किया (दिसम्बर 2017)। इसके अतिरिक्त, आईटीएक्ट 1961 की धारा 234ए, 234बी एवं 234सी के अधीन ₹ 48.93 करोड़ का ब्याज भी लगाया। बाद में, आईटीडी ने कुल माँग को ₹ 98.07 करोड़ से ₹ 97.64 करोड़ में समायोजित किया।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान अपनी आय के 85 प्रतिशत को धर्मार्थ उद्देश्यों जैसे श्रमिकों/अन्य मजदूरी के लिए कल्याणकारी योजनाओं, वार्षिक लेखों को समय पर पूर्ण करना; आईटीआर फाइल; तथा कर का समय से भुगतान करने में विफलता के कारण बोर्ड को ₹ 97.64 करोड़ की राशि का आयकर एवं ब्याज का भुगतान करना पड़ा था। एकत्रित उपकर का उपयोग नहीं होने से, ₹ 2,400 करोड़ से अधिक इकट्ठा होने के बाद भी (मार्च 2018), भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कल्याण उपायों से वंचित रहना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, चूँकि बोर्ड ने 2010-11 के बाद के वर्षों हेतु आईटीआर नहीं भरा, इसलिए आयकर एवं उस पर ब्याज के कारण देयता के कई गुणा होने की संभावना है क्योंकि कल्याण उपायों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली आय बाद के सभी वर्षों में 85 प्रतिशत से काफी कम थी एवं नि.व. 2010-11 से आईटीआर नहीं भरा गया था।

अपने उत्तर में (दिसम्बर 2018) बोर्ड ने, बोर्ड में श्रमिकों के कम पंजीकरण एवं नियमित स्टाफ की कमी के कारण निधियों के उचित उपयोग न करने को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि नामित पंजीकृत प्राधिकारी श्रम विभाग के अधिकारी होते हैं, जो विभाग के कार्यों के अतिरिक्त इन कार्यों को देखते हैं एवं इस प्रकार, वे पंजीकृत होने के लाभ के बारे में श्रमिकों के बीच पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न नहीं कर सके।

मामला अगस्त 2018 में सरकार को संदर्भित था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

अनुशंसाएं:

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष के दौरान इकट्ठे किए गए 85 प्रतिशत उपकर का कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कल्याण योजनाओं पर उपयोग किया जाए।
- बोर्ड को अपनी कर देयताओं की सही गणना सुनिश्चित करने के लिए अपने वार्षिक लेखों को समय से अंतिम रूप देना चाहिए।
- बोर्ड को कर राशि पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान से बचने के लिए अपनी आईटीआर भरना एवं आयकर देयताओं का समय से भुगतान करना चाहिए।

राजस्व विभाग

3.6 अनुपूरक अधिनिर्णय जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 2.03 करोड़ का व्यय परिहार्य ब्याज

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में भूमि मालिकों को समय पर मुआवजे प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.07 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ एवं ₹ 181.84 लाख की ब्याज देयता तय हुई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के भूमि एवं भवन विभाग द्वारा जारी स्थायी निर्देश (मई 2006), भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को दोहराते हुए संविदा करता है कि जिला अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा जारी होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर प्रदत्त की घोषणा करेगा। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 34 प्रबंध करती है कि यदि भूमि अधिग्रहण के समय या उससे पहले मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जिला अधिकारी को अधिग्रहण के समय से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के साथ प्रदत्त राशि का भुगतान करना होगा जब तक कि उसे चुकाया या जमा नहीं किया जाता है। बशर्ते यदि अधिग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस तरह का मुआवजा या उसके किसी भाग का भुगतान या जमा नहीं किया गया है, तो मुआवजे की राशि या उसके भाग पर एक वर्ष की निर्धारित अवधि की समाप्ति की तिथि से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज देय होगा, जिसे कि समाप्ति की तिथि से पहले भुगतान या जमा नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि अधिग्रहण संग्रहकर्ता (उत्तर) ने सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर मौजूद पेड़ों, पौधों तथा अवसंरचनाओं हेतु भूमि मालिकों को मुआवजा भुगतान देने के लिये 2015-16 तथा 2017-18 की अवधि के दौरान पाँच अनुपूरक अधिनिर्णय जारी किए जिन्हें वास्तविक अधिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया था। बागवानी विभाग/लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा सौंपी गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुपूरक अधिनिर्णय जारी किए गए थे लेकिन एक मामला (तालिका 3.5.1 का अनुपूरक अधिनिर्णय सं. 2ए) को छोड़कर जिसमें मूल्यांकन रिपोर्ट वास्तविक अधिनिर्णय की घोषणा से पहले प्राप्त हुई थी, वास्तविक अधिनिर्णय तैयार करने के दौरान प्राप्त नहीं हुए थे। भूमि अधिग्रहण संग्रहकर्ता (एलएसी) द्वारा बनाए गए वास्तविक/अनुपूरक अधिनिर्णयों का विवरण तालिका 3.6.1 में दिया गया है:

तालिका 3.6.1: भूमि अधिग्रहण संग्रहकर्ता द्वारा बनाए गए वास्तविक/अनुपूरक अधिनिर्णयों का विवरण

(राशि ₹ में)

अनुपूरक अधिनिर्णय ⁷ सं. तथा प्रदत्त की तिथि	धारा 6 के तहत घोषणा की तिथि	प्रदत्त हेतु नियत तिथि	मूल अधिनिर्णय की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	पेड़ों पौधों तथा अवसंरचनाओं के मूल्यांकन हेतु जारी किए गए पत्र की तिथि	मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि	राशि जिस पर ब्याज दिया जाना है	भुगतान किए गए परिहार्य ⁸ ब्याज/ब्याज देयता
5बी/05.04.17	19.03.04	18.03.06	10.06.05	22.08.05	06.02.07	09.03.07	7,84,343	12,68,121
12ई/09.10.15	19.03.04	18.03.06	05.08.05	06.10.05	25.01.06	27.09.06	5,98,583	8,38,639
12एफ/28.04.17	19.03.04	18.03.06	05.08.05	06.10.05	06.02.07	09.03.07	14,08,600	25,30,964
8ए/05.01.16	22.02.07	21.02.09	16.02.09	22.11.10	21.01.09	05.04.10	1,42,066	1,51,797
2ए/05.05.17	12.02.10	11.02.12	07.02.13	03.04.12	31.10.11	16.12.11	1,79,44,704	1,55,01,275
								2,02,90,796

स्रोत: विभागीय अभिलेख

तालिका से, यह देखा जा सकता है कि तीन मामलों में (5बी, 12ई एवं 12एफ) विभाग ने मूल्यांकन वास्तविक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात बागवानी विभाग/लो.नि.वि. से संपर्क किया, यद्यपि, मूल्यांकन रिपोर्ट एक माह से आठ माह के भीतर वापस आ गयी थी, फिर भी विभाग ने नौ वर्षों से अधिक समय के बाद अनुपूरक अधिनिर्णय जारी किये। एक मामले में (8ए), मूल्यांकन हेतु पत्र, निर्धारित समय के अंत में जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक अधिनिर्णय के जारी होने के पश्चात मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई लेकिन विभाग ने मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्ति के पाँच वर्षों से अधिक के पश्चात अनुपूरक अधिनिर्णय जारी किया। इसके अतिरिक्त, अधिनिर्णय सं. 2ए के मामले में, मूल्यांकन रिपोर्ट वास्तविक अधिनिर्णय की घोषणा से पूर्व प्राप्त हो गयी थी, फिर भी, मुआवजे का निर्धारण करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये विलंब 5½ वर्ष से 10 वर्ष के बीच था तथा इसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि मालिकों को देय मुआवजे पर ₹ 21.07 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ तथा ₹ 181.84 लाख (मई 2018 तक) के ब्याज की देयता तय हुई।

इस प्रकार, अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर मुआवजे के निर्धारण और भुगतान में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.03 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ तथा देयता तय हुई।

⁷ अधिनिर्णय संख्या 5 बी एवं 12 ई के मुआवजे का भुगतान क्रमशः 26.09.2017 एवं 02.6.2017 को किया गया जबकि बाकि तीन अधिनिर्णयों के मुआवजे का भुगतान अभी बाकी है।

⁸ उस तिथि से परिहार्य ब्याज की गणना की गई है जिस तिथि से अधिनिर्णय की घोषणा अधिनियम के अनुसार जारी की जानी थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए डीसी कार्यालय ने कहा (जुलाई 2018) कि चार मामलों में (5बी, 12ई, 12एफ तथा 8ए), उल्लेखित ग्राम, उत्तर-पश्चिम जिले में थे तथा अक्टूबर 2012 में ही उत्तरी जिले के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आये और यह कि सचिव (राजस्व) कार्यालय द्वारा किसी भी पूरक अधिनिर्णय की घोषणा नहीं करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया गया था। आगे, यह कहा गया कि अत्यधिक लंबित मामलों के कारण अनुपूरक अधिनिर्णयों को संसाधित नहीं किया जा सका तथा कहीं-कहीं मूल्यांकन रिपोर्ट भी मिल नहीं रही थी। बाद में, इच्छुक व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और फिर अनुपूरक अधिनिर्णय जारी किये गये थे। अधिनिर्णय के शेष एक मामले (2ए) में, मूल्यांकन रिपोर्ट वास्तविक अधिनिर्णय के समय पर फाईल में भूल से नहीं रखी गई थी तथा अनुपूरक अधिनिर्णयों के एक मामले को छोड़कर, उच्च न्यायालय के निर्देश⁹ के बाद घोषणा की गई थी। डीसी कार्यालय ने, हालांकि, सूचित किया है कि वह दोषी अधिकारियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है जो अपनी ओर से इस तरह की लापरवाही कि, किस कारण से अनुपूरक अधिनिर्णय की घोषणा हेतु पीडब्ल्यूडी/बागबानी विभाग से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात् प्रस्तुत नहीं की गई थी, के लिए जिम्मेदार थे।

विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि जुलाई 2005/मई 2006 में जारी स्थायी निर्देशों को फरवरी 2012 में भूमि एवं भवन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दोहराया गया था, जो स्पष्टतः संविदा करता है कि मुआवजा निर्धारण के समय, भु.अ.स. को पीडब्ल्यूडी से किये गये निर्माण का मूल्यांकन तथा बागवानी विभाग से पेड़ और पौधों इत्यादि की लागत प्राप्त करनी चाहिए और इन सभी को अनुपूरक अधिनिर्णय की घोषणा से बचने के लिए मूल अधिनिर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार, विभाग ने भूमि और भवन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और इस प्रकार मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद समय से अनुपूरक अधिनिर्णय जारी करने में विफल रहा। इसके अलावा, तीन मामलों में भूमि मालिकों को अनुपूरक अधिनिर्णय जारी करने के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया, जिससे ब्याज देयता बढ़ गई।

मामला जून 2018/जनवरी 2019 में सरकार को संदर्भित था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

⁹ अनुपूरक अधिनिर्णय सं. तिथि: 12एफ/09.02.2016, 8ए/06.01.2015, 5बी/18.01.2016 तथा 2ए/25.04.2016

समाज कल्याण विभाग

3.7 वृद्धाश्रम का पूरा न होना और निर्माण हेतु समय विस्तार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य भुगतान

रोहिणी वृद्धाश्रम के लिए ड्राइंग और डिजाइन में बारंबार संशोधन के कारण भूमि अधिग्रहण के 21 वर्ष बाद भी वृद्धाश्रम सिर्फ टेंडरिंग स्टेज पर ही है। कांतिनगर वृद्धाश्रम के मामले में, कार्यकारी एजेंसियों के बारंबार बदलाव के कारण भूमि के अधिग्रहण के 12 वर्ष बाद भी वृद्धाश्रम कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। विलंब के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 130.14 लाख के संरचना शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ और इसके अलावा वृद्धाश्रम में ठहरने के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा से दिल्ली के बुजुर्ग वंचित रह गए।

समाज कल्याण विभाग (विभाग) की विविध जिम्मेदारियों में से एक, आवासीय संरक्षण गृहों के एक नेटवर्क के माध्यम से बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। विभाग ने अभी तक केवल दो वृद्धाश्रमों की स्थापना की है, एक 50 अधिवासीय क्षमता का बिन्दापुर में, जो विभाग द्वारा चलाया जा रहा है व दूसरा 30 अधिवासीय क्षमता का लामपुर में, जो दिल्ली ब्रदरहुड वृद्धाश्रमों¹⁰ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इन दो के अतिरिक्त, विभाग ने वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु क्रमशः मार्च 1997 व अगस्त 2006 में दो भूखंड, रोहिणी IV एवं कांतिनगर में कब्जा लिया था। आवंटन की शर्तों के अनुसार भूखंड के वास्तविक कब्जे की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण होना था।

(क) रोहिणी वृद्धाश्रम:

विभाग ने ₹ 17.67 लाख की लागत पर 176 अधिवासियों की क्षमता के साथ रोहिणी IV में वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से 3,576 वर्गमीटर के एक भूखंड का कब्जा लिया (मार्च 1997)।

विभाग ने लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) को निर्माण कार्य सौंपा (मार्च 1997)। सितम्बर 1998 में लो.नि.वि. से प्रारंभिक ड्राइंग प्राप्त करने के बाद, विभाग ने मई 2005 तक दो बार ड्राइंग संशोधित की। दि.न.नि. ने इन ड्राइंगों में बदलाव के लिए सलाह दी, तदनुसार लो.नि.वि. ने ड्राइंग में संशोधन किया (अप्रैल 2008)। तत्पश्चात्, विभाग ने अक्टूबर 2015 तक ड्राइंग को तीन बार पुनः संशोधित किया। दि.न.नि. ने फरवरी 2017 में ड्राइंग को अनुमोदित किया। मार्च 2018 में ₹ 12.49 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृति दी गई।

¹⁰ गैर-सरकारी संगठन

इस बीच, विभाग को निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से दो बार समयाविधि विस्तार (स.वि.) लेना पड़ा क्योंकि निर्धारित समय समाप्त हो चुका था एवं इसके लिए इसे संरचना शुल्क के रूप में ₹ 116.39 लाख का भुगतान करना पड़ा।

पाँच बार प्रारंभिक ड्राइंग्स के संशोधन के कारण रोहिणी वृद्धाश्रम के निर्माण में 21 वर्षों से ज्यादा का विलंब हुआ और दिल्ली विकास प्राधिकरण को संरचना शुल्क के रूप में ₹ 116.39 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। मार्च 1997 में शुरू की गई परियोजना 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक निविदा चरण में है (जून 2018) एवं दिल्ली के बुजुर्गों को अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व वृद्धाश्रम की सुविधाओं से वंचित रखा गया।

(ख) कांतिनगर वृद्धाश्रम

₹ 18.54 लाख की लागत पर 117 अधिवासियों की क्षमता के साथ कांतिनगर, दिल्ली में वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से विभाग ने 1550 वर्ग मी. के भूखंड का अगस्त 2006 में कब्जा लिया।

विभाग ने कई बार निर्माण कार्य हेतु क्रियान्वयन एजेंसी को बदला (लो.नि.वि. से डीटीडीडीसी एवं उसके बाद आईएफसीडी व फिर लो.नि.वि.) एवं अंत में कार्य फरवरी 2012 में लो.नि.वि. को सौंपा गया तथा एक वैचारिक योजना जो लो.नि.वि. द्वारा तैयार की गई, को (फरवरी 2013 में) विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। हालांकि, डिजाइन एवं क्षेत्र में बदलाव सहित अप्रैल 2014 में योजना को संशोधित किया गया एवं संशोधित ड्राइंग जून 2016 में लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि अगस्त 2016 में अनुमोदित हुई। इसी बीच, ₹ 5.79 करोड़ का ए.ए. व ई.एस. (सितम्बर 2015) लो.नि.वि. के पक्ष में जारी किया गया।

चूँकि निर्माण हेतु तय सीमा समाप्त हो चुकी थी, विभाग को 30 जून 2018 तक समय विस्तार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 13.75 लाख संरचना शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ा। जून 2018 तक, कार्य प्रगति पर था एवं आगे के समयाविधि विस्तार हेतु संरचना शुल्क के भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है।

क्रियान्वयन एजेंसी में लगातार बदलाव के कारण कांतिनगर वृद्धाश्रम के निर्माण में विलंब हुआ जो भूमि के अधिग्रहण के 12 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ। विलंब के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 13.75 लाख के संरचना शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ एवं दिल्ली के बुजुर्गों को अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व वृद्धाश्रम की सुविधाओं से वंचित रखा गया।

इस प्रकार, रोहिणी वृद्धाश्रम के निर्माण में 21 वर्ष व कांतिनगर वृद्धाश्रम में 12 वर्ष के असामान्य विलंब के कारण न केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 130.14 लाख परिहार्य भुगतान करना पड़ा बल्कि दिल्ली के बुजुर्ग अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा से वंचित भी रह गए।

पूछे जाने पर, विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि रोहिणी वृद्धाश्रम के मामलों में विलंब भू-खंड में उचित प्रवेश का अभाव, भवन योजना की स्वीकृति में विलंब एवं आंकलन में लागत सूचकांक को शामिल करने के संबंध में लो.नि.वि. एवं वित्त विभाग के बीच सहमति नहीं होने के कारण हुई। यह भी कहा गया कि समाज कल्याण विभाग केवल निर्माण एजेंसी को साइट सौंपने के लिए जिम्मेवार है एवं विलंब के लिए लो.नि.वि. जिम्मेवार है। यह भी कहा गया कि वृद्धाश्रमों का निर्माण 18 महीनों में पूरा हो सकता था। कांतिनगर में वृद्धाश्रम के मामले में विलंब हेतु निर्माण के लिए एजेंसी में लगातार बदलाव व विभिन्न स्तरों पर भवन योजनाओं में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया गया। आगे, एजेंसी में बदलाव हेतु मंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया था। उत्तर में यह बताया है कि लो.नि.वि. द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

विभाग का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि घटनाओं का क्रम एवं की गई कार्यवाही खराब योजना व अपर्याप्त तालमेल को दर्शाते हैं। रोहिणी में भूखंड में उचित प्रवेश के अभाव का मामला भूमि पर कब्जा लेते समय/पहले उठाया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा विलंब के लिए दिये गये दूसरे कारण सभी प्रशासनिक हैं जो कि रोहिणी तथा कांतिनगर वृद्धाश्रम के मामले में 21 वर्षों व 12 वर्षों से ज्यादा के विलंब को उचित नहीं बताता है जो कि क्रमशः मार्च 1999 एवं अगस्त 2008 तक पूर्ण होने जरूरी थे। इस विलंब के परिणामस्वरूप, जिन बुजुर्गों को इन वृद्धाश्रमों में रहने की सुरक्षा का लाभ मिल सकता था वे आज तक सुविधाओं से वंचित हैं।

मामला सितम्बर 2018 में सरकार को संदर्भित था एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

शहरी विकास विभाग

3.8 शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत किफायती आवास परियोजनाएं (बीएसयूपी)-जेएनएनयूआरएम

केंद्रीय योजना “जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)” का उपमिशन “शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं (बीएसयूपी)” में शहरी गरीबों हेतु किफायती आवास परियोजनाओं का एक घटक था। प्रारंभ में यह योजना सात वर्षों की अवधि 2005-06 से 2011-12 के लिए थी। तथापि, इसका विस्तार उन परियोजनाओं के पूर्ण होने हेतु 31 मार्च 2017 तक किया गया, जिसकी संस्वीकृति मार्च 2012 तक दी गई थी।

आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसके स्वयं की अवधारणा के चरण से ही योजना की कमी के कारण प्रभावित रहा, क्योंकि डीएसआईआईडीसी व डीयूएसआईबी की सभी 14 आवासीय परियोजनाएं दिल्ली के केवल चार जिलों तक सीमित थीं यहाँ तक कि 675 लक्षित झुग्गी झोपड़ी समूह में से 461 दिल्ली के शेष सात जिलों में थी। इसके अलावा, छोटे समूहों के बजाय जो कि पूरी दिल्ली में फैले हों बड़ी संख्या की निवास इकाइयों वाली आवास परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी।

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी ने 52,344 निवास इकाइयों की 14 आवासीय परियोजनाओं को क्रियान्वित किया परन्तु इन 14 परियोजनाओं में से 24,000 निवास इकाइयों की चार परियोजनाएं योजना की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी अपूर्ण रहीं, परिणामस्वरूप इन चार परियोजनाओं पर ₹ 755.26 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. केवल 5,483 लाभार्थियों की पहचान कर सका जिसमें से केवल 1,864 लाभार्थियों को अगस्त 2018 तक योजना के अंतर्गत निर्मित निवास इकाइयों में पुनर्वासित किया गया। इस प्रकार, लाभार्थियों की विलंब से पहचान के कारण ₹ 1,101.36 करोड़ की लागत पर जून 2018 तक निर्मित 28,344 निवास इकाइयों में से 90 प्रतिशत से अधिक बिना आवंटित, खाली और खराब होने की स्थिति में पड़ी थीं।

योजना का उद्देश्य योजना के प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद एवं इसके बंद होने के एक वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। यह मुख्यतः परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कमी और लाभार्थियों की पहचान की खराब प्रगति के कारण हुआ।

3.8.1 भूमिका

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए), भारत सरकार (भा.स.) ने दिसम्बर, 2005 में सात वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् मार्च, 2012 तक शहरों

में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए “जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)” आरम्भ की थी। मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना को बाद में 31 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया था। जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन में से एक “शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)” जिसका एक घटक ‘शहरी गरीबों, झुग्गी वासियों इत्यादि के लिए किफायती आवास’ था। इस घटक के अंतर्गत राज्य शहरी गरीबों के लिए विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के एमओएचयूपीए की केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) के समक्ष संस्वीकृति हेतु प्रस्ताव करता है। इन परियोजनाओं के लिए भूमि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जानी थी एवं इन परियोजनाओं की लागत (भूमि की कीमत को छोड़कर) केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में बाँटी जानी थी। राज्य के हिस्से में से निवास इकाइयों के अधिकार को आवंटित करने व सौंपने के समय, लाभार्थियों को प्रति निवास इकाई ₹ 1.12 लाख (निर्धारित) का भुगतान करना था। झुग्गी झोपडी (जेजे) क्षेत्रों से पुनर्स्थापित होने वाले झुग्गी निवासियों को निवास इकाइयों के आबंटन के मामले में भी, भूमि जिस पर झुग्गी निवासी रह रहे थे पर स्वामित्व रखने वाली एजेंसी को राज्य के हिस्से के एक भाग का भुगतान करना था जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता था। 2015 की नई पुनर्वास नीति के अनुसार, भूमि पर स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को लाभार्थियों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को छोड़ राज्य के पूरे हिस्से का वहन करना था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (रा.रा.क्षे.दि.) में भारत सरकार द्वारा 23 आवासीय परियोजनाओं को मंजूर किया गया था, जिसमें से बाद में विभिन्न कारणों से सात परियोजनाओं को छोड़¹¹ दिया गया था। शेष 16 आवासीय परियोजनाओं की 55,424 निवासीय इकाइयों में से, आठ परियोजनाएं दिल्ली राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), छः परियोजनाएं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) एवं एक-एक परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को सौंपी गई थी।

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी को शहरी विकास विभाग (यूडीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 31 मार्च, 2018 तक जारी की गई निधि एवं इसके व्यय की स्थिति तालिका 3.8.1 में दी गयी है।

¹¹ भूमि की अनुउपलब्धता, अतिक्रमण व मुकदमेबाजी के कारण डीएसआईआईडीसी की छः परियोजनाएँ (कंझावला, समयपुर, डेरामंडी, जोनापुर, नेबसराय एवं नंगली सकरावटती) एवं डीयूएसआईबी की एक परियोजना (रोहिणी) को छोड़ दिया गया था।

तालिका 3.8.1: जारी की गई निधियाँ एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्य करने वाली एजेंसी (आई ए)	परियोजना लागत	भा.स. द्वारा आवंटन	जीओआई द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को जारी किया गया हिस्सा (क)	रा.रा.क्षे.दि.स. का अंशदान (ख)	आईए को कुल जारी राशि (क+ख)	कुल व्यय
डीएसआईआईडीसी	1,509.66	680.40	689.44	433.11	1,122.55	977.27
डीयूएसआईबी	906.17	428.46	315.93	579.21	895.14	879.45
कुल	2,415.83	1,108.86	1,005.37	1,012.32	2,017.69	1,856.62

स्रोत: विभागीय अभिलेख

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा अप्रैल से अगस्त 2018 के दौरान यह मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि क्या इन आवासीय परियोजनाओं को डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी द्वारा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था एवं बने हुए घरों को समय पर लक्षित लाभार्थियों को आवंटित किया गया था। लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से शहरी विकास विभाग, डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी के अभिलेखों की जाँच की गई। डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी द्वारा 10 पूरी की गई आवासीय परियोजनाओं में से 19,624 निवास इकाइयों के चार¹² आवासीय परियोजनाओं के चयन एवं विस्तृत जांच के लिए सरल यादृच्छिक नमूना विधि का सहारा लिया गया। लेखापरीक्षा ने विलंब हेतु कारणों की समीक्षा करने के लिए चार¹³ अपूर्ण आवासीय परियोजनाओं (24,000 निवास इकाइयों) से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की। चुनी गयी आवासीय परियोजनाओं की जांच हेतु, डीएसआईआईडीसी और डीयूएसआईबी के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी मई से जुलाई 2018 के दौरान किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.8.2 परियोजनाओं की अवधारणा

फरवरी, 2007 के दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 (एमपीडी-2021) के अनुसार झुग्गीबस्ती के निवासियों को पुनर्स्थापित करने के लिए उन जगहों की पहचान की जानी चाहिए थी और उन्हें छोटे समूहों में विकसित किया जाना चाहिए था ताकि क्षेत्र का समग्र नियोजित विकास हो सके, और विशेषकर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रोजगार की उपलब्धता आस-पास के क्षेत्रों में होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा बड़ा पुनर्वास स्थल एक नियोजित समस्या बन सकती है।

¹² दो परियोजनाएँ घोघा एवं बापरोला(7,104 निवास इकाइयों) एवं डीएसआईआईडीसीकी पृथुर्द फेज-I (3,840 निवास इकाइयों) एवं डीयूएसआईबी की दो परियोजनाएँ सुल्तान पुरी (1,060 निवास इकाइयों) एवं सावदा घेवरा (7,620 निवास इकाइयों)

¹³ पृथुर्द फेज-II, पृथुर्द फेज-III व डीएसआईआईडीसी के टिकरी कलां एवं डीयूएसआईबी के भलस्वा-जहाँगीरपुरी

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कार्यान्वित 16 आवासीय परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएँ झुग्गीबस्ती के निवासियों की पुनर्स्थापना के लिए थी। यद्यपि बड़े समूहों के लिए कोई परिभाषा नहीं है, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनमें से पाँच परियोजनाओं में 1,000 से 5,000 निवास इकाइयाँ शामिल हैं एवं छः परियोजनाओं में 5,001 से 7,620 निवास इकाइयाँ शामिल हैं। पूठखुर्द और टिकरी कलाँ में दो परियोजनाएँ थी जो आपस में सटी हुई थीं जो क्रमशः 10,140 निवास इकाइयों और 10,300 निवास इकाइयों के समूह बना रहे थे।

इसके अतिरिक्त, बीएसयूपी के फरवरी 2009 के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए था कि शहरी गरीबों को उनके व्यवसाय के स्थान के आस-पास आवास उपलब्ध कराया जाये। इन दिशानिर्देशों के बाद झुग्गीबस्ती के निवासियों की पुनर्स्थापना के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आरंभ की गई 15 परियोजनाओं में से नौ परियोजनाओं की 37,740 आवासीय इकाइयों की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इन परियोजनाओं की परिकल्पना करते समय इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई सोलह परियोजनाओं में से सात उत्तरी जिले में, तीन पश्चिमी जिले में, चार दक्षिण पश्चिमी जिले में एवं दो उत्तर-पश्चिमी जिले में स्थित थीं। इस प्रकार, शेष सात राजस्व जिलों में किसी परियोजना की अनुशंसा नहीं की गई थी यद्यपि दिल्ली के कुल 675 में से 461 झुग्गी-झोपड़ी समूह इन जिलों में स्थित थे। इसके अतिरिक्त, 7,400 निवास इकाइयों, 10,140 निवास इकाइयों, 10,300 निवास इकाइयों एवं 7,620 निवास इकाइयों के एक बड़े समूह क्रमशः भलस्वा (उत्तर जिला), पूठखुर्द एवं बवाना फेज-III (उत्तर जिला), टीकरी कलाँ (उत्तर जिला) एवं सावदा घेवरा (उत्तर पश्चिम जिला) में बनाने की योजना थी।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार नवीनतम पुनर्वास नीति 2015 के अनुसार झुग्गी बस्ती निवासियों को उनके मूल आवास से पाँच किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास कराना होगा एवं केवल विशेष परिस्थितियों में ही डीयूएसआईबी की अनुमति से ही झुग्गी निवासियों को पाँच किलोमीटर से दूर पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

इस प्रकार, छोटी-छोटी परियोजनाओं को सम्पूर्ण दिल्ली में बराबर बाँटने के बजाय रा.रा.क्षे.दि. के चार जिलों में ही परियोजनाओं के स्थापन्न के कारण जीएनसीटी, दिल्ली इस स्थिति में नहीं थी कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बनाए गए घरों में झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले निवासियों का यथास्थान पुनर्वास किया जा सके।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि यद्यपि मास्टर प्लान 2021 में झुग्गी वासियों को पास में ही पुनर्वास पर जोर दिया, स्वीकृत पालिसी के अनुसार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रारंभिक ध्यान झुग्गी वासियों को पुनर्स्थापित करना/शरण देना था एवं आवास का निर्माण डीयूएसआईबी एवं डीएसआईआईडीसी के पास उपलब्ध भूमि पर किया गया। उत्तर को बीएसयूपी के दिशा निर्देश (फरवरी 2009) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जो दर्शाता है कि, शहरी गरीबों को उनके पेशे वाले स्थान के नजदीक आवास उपलब्ध कराया जाये, परन्तु यहाँ तक कि उन नौ परियोजनाओं में भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया जो कि फरवरी 2009 बीएसयूपी के दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद स्वीकृत हुए थे।

रा.रा.क्षे.दि. की सरकार द्वारा सीएसएमसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पहले (फरवरी, 2006 में) परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु यूडीडी के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय परिचालन समिति (एसएलएससी) का गठन किया गया था। यद्यपि यह पाया गया कि डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी के द्वारा शुरू की गई 14 आवासीय परियोजनाओं में से, नौ परियोजनाओं को सीएसएमसी, एमओएचयूपीए भारत सरकार के समक्ष एसएलएससी, यूडीडी, रा.रा.क्षे.दि.स. के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्तुत किया गया। यह अनुमोदन के लिए सीएसएमसी को प्रस्तुत करने से पहले राज्य स्तर पर परियोजनाओं के अपर्याप्त मूल्यांकन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि बीएसयूपी दिशानिर्देशों ने परियोजना की तैयारी के रूप में लाभार्थियों को चिह्नित करने पर जोर दिया परन्तु इसे किसी परियोजना में लागू नहीं किया गया। परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के समय सीएसएमसी ने भी टिप्पणियाँ की थी कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ लाभार्थियों की सूची प्रदान नहीं की है एवं इसके अनुपालन हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. को निर्देश दिया। फिर भी रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

परियोजना का प्रस्ताव परियोजना बनाने के भाग के रूप में लाभार्थियों की पहचान की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता। लाभार्थियों की पहचान में प्रगति कम थी (पैराग्राफ 3.8.4 में विवरण), एवं पहले से पूर्ण 5,568 निवास इकाइयों में से 90 आवंटित की गई थीं (जनवरी 2011 तक)। कम आवंटन एवं काफी संख्या में आवासीय इकाइयों के खाली पड़े रहने के बावजूद सरकार ने लाभार्थियों को चिह्नित करने में अनुरूप प्रगति को सुनिश्चित किये बिना

दिसम्बर 2010-जून 2011 के दौरान 44,240 निवास इकाइयों के साथ और आठ आवासीय परियोजनाएँ¹⁴ स्वीकृत कीं।

अगस्त 2018 तक, आवंटन हेतु उपलब्ध कुल 28,344 निवास इकाइयों के विरुद्ध रा.रा.क्षे.दि.स. ने निर्मित आवासीय इकाइयों में पुनर्वास हेतु मात्र 5,483 लाभार्थियों को चिह्नित किया जिसमें से वास्तव में मात्र 1,864 लाभार्थियों को अगस्त 2018 तक पुनर्वासित किया गया। परिणामस्वरूप, 26,000 निवास इकाइयों (अर्थात् निर्मित निवास इकाइयों के 93 प्रतिशत) से अधिक खाली एवं प्राकृतिक टूट-फूट व चोरी के कारण खराब पड़े रहे।

3.8.3 आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी द्वारा निष्पादित 14 परियोजनाओं की स्थिति तालिका 3.8.2 में दी गई है-

तालिका 3.8.2 : 31 अगस्त 2018 को डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी की परियोजनाओं की स्थिति

क्रियान्वयन संस्था		स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
डीएसआईआईडीसी	निवास इकाइयाँ	34,260	17,660	16,600
	परियोजनाएँ	8	5	3
डीयूएसआईबी	निवास इकाइयाँ	18,084	10,684	7,400
	परियोजनाएँ	6	5	1
कुल	निवास इकाइयाँ	52,344	28,344	24,000
	परियोजनाएँ	14	10	4

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ

इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी द्वारा 52,344 निवास इकाइयों की 14 आवासीय परियोजनाएँ निष्पादित की जानी थी पर 28,344 निवासीय इकाइयों के मात्र 10 परियोजनाएँ ही पूर्ण हुई (अगस्त 2018) अर्थात् मार्च 2017 में जेएनएनयूआरएम के समापन के एक वर्ष के उपरांत भी केवल 54 प्रतिशत निवासीय इकाइयों को ही पूरा किया गया।

3.8.3.1 दिल्ली राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के अंतर्गत परियोजनाएँ

अगस्त 2018 तक डीएसआईआईडीसी को सौंपी गई आठ परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका 3.8.3 में दिया गया है-

¹⁴ पूठखूद फेज-I (6,480 डीयू) फेज-II (4560 डीयू) फेज-III (7,720 डीयू) टिकरी कलां (8,420 डीयू) सावदा घेवरा (7,620 डीयू), द्वारका फेज-II (980 डीयू), सुल्तानपुरी (1,060 डीयू) भलस्वा (7,400 डीयू)

तालिका 3.8.3 : डीएसआईआईडीसी के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन	शुरू होने का महीना	पूर्ण होने का नियत महीना	पूर्ण होने का महीना	विलंब (महीनों में)
1	बवाना (1184)	जून 2007	फरवरी 2007	अगस्त 2008	दिसम्बर 2008	4
	नरेला (1412)		मार्च 2007	सितम्बर 2008	मई 2011	32
	भोरगढ़ (1272)		फरवरी 2008	अक्तूबर 2009	जनवरी 2011	15
2	घोघा (3680)	अक्तूबर 2008	अगस्त 2007	सितम्बर 2008	दिसम्बर 2010	27
	बापरौला-I (3424)		फरवरी 2008	नवम्बर 2009	फरवरी 2013	39
3	बापरौला-II (2144)	अक्तूबर 2008	फरवरी 2008	नवम्बर 2009	फरवरी 2013	39
4	बवाना (704)		अगस्त 2007	सितम्बर 2008	दिसम्बर 2010	27
5	पूठखुर्द-I (3840)	दिसम्बर 2010	अक्तूबर 2011	अप्रैल 2013	अक्तूबर 2016	43
6	पूठखुर्द-II (4560)		मार्च 2012	सितम्बर 2013	अपूर्ण	58
7	पूठखुर्द-III (6300)		अक्तूबर 2011	अप्रैल 2013	अपूर्ण	62
8	टीकरी कलाँ-I (5740)	जून 2011	दिसम्बर 2012	दिसम्बर 2013	अपूर्ण	54

स्रोत: विभागीय अभिलेख

तालिका के अनुसार, आठ परियोजनाओं में से पाँच परियोजनाओं को पूर्ण बताया गया है एवं तीन परियोजनाएं अपूर्ण हैं। विस्तृत जाँच के लिए चुनी गई पाँच परियोजनाओं (दो पूर्ण एवं तीन अपूर्ण) में पायी गई कमियों को अगले पैराग्राफों में बताया गया है।

(i) **घोगा, उत्तर जिला में 3,680 निवास इकाइयाँ एवं बापरौला फेज-I, दक्षिण-पश्चिम जिला में 3,424 निवास इकाइयाँ की पूर्ण आवासीय परियोजना**

सीएसएमसी द्वारा जून, 2007 में 3,680 निवास इकाइयाँ घोघा में, 3,616 निवास इकाइयाँ कंझावला में एवं 3,424 निवास इकाइयाँ बापरौला फेज-I में निर्माण के लिए एक आवासीय परियोजना संस्वीकृत की गई। घोघा एवं बापरौला फेज-I में निवास इकाइयों का कार्यान्वयन क्रमशः एजेंसी-ए एवं एजेंसी-बी द्वारा किया गया, हालांकि कंझावला में बाधा रहित साईट प्रदान करने में डीएसआईआईडीसी के विफल होने के कारण निवास इकाइयों को नहीं लिया जा सका। घोघा एवं बापरौला फेज-I में क्रमशः 3,680 एवं 3,424 निवास इकाइयों के निर्माण के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं-

(क) **घोघा, उत्तर जिला में 3,680 निवास इकाइयों की आवासीय परियोजना** डीएसआईआईडीसी ने 'घोघा, कंझावला, नरेला एवं उत्तर-पश्चिम दिल्ली' के आसपास के क्षेत्र में 5,008 निवास इकाइयों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की थी (अप्रैल 2007) एवं टेंडरिंग प्रक्रिया के बाद एजेंसी-ए को कार्य दिया गया (जुलाई 2007)। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह परियोजना एसएलएससी

एवं सीएसएमसी द्वारा संस्वीकृत नहीं की गई थी और इस प्रकार बिना संस्वीकृति के टेंडरिंग व कार्य को दिया जाना अनियमित था।

इसी बीच, सीएसएमसी ने घोघा में 3,680 निवास इकाइयाँ, कंझावला में 3,616 निवास इकाइयाँ एवं बापरोला फेज-I में, 3,424 निवास इकाइयों की एक परियोजना को संस्वीकृत किया था (जून 2007)। घोघा में 3,680 निवास इकाइयों एवं कंझावला में 3,616 निवास इकाइयों के कार्य को एजेंसी-ए को 5,008 निवास इकाइयों के कार्य के विरुद्ध दिया गया था। हालांकि, कंझावला में 3,616 निवास इकाइयों के कार्य को बाद में बाधा रहित भूमि को सुनिश्चित करने में डीएसआईआईडीसी की विफलता के कारण रोक देना पड़ा।

बाद में, 5008 निवास इकाइयों के लिए एजेंसी-ए को दिये गये कार्य के भाग के रूप में घोघा में 3,680 निवास इकाइयों के कार्य के साथ बवाना में 704 निवास इकाइयों के कार्य को भी एजेंसी-ए को दिया गया (जनवरी 2008)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बवाना में 704 निवास इकाइयों की परियोजना को अक्टूबर 2008 में अर्थात् एजेंसी-ए को दिये जाने के आठ महीने बाद सीएसएमसी के द्वारा संस्वीकृत किया गया। चूँकि बवाना में निवास इकाइयों के कार्य को सीएसएमसी के द्वारा इसकी संस्वीकृति के आठ महीने पहले दिया गया था, जो अनियमित था।

अतः घोघा, कंझावला, नरेला एवं उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आस पास के क्षेत्र में 5,008 निवास इकाइयों के लिए कार्य आदेश के विरुद्ध, घोघा में 3,680 निवास इकाइयाँ एवं बवाना में 704 निवास इकाइयाँ निष्पादित की गईं। इस प्रकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन किया गया था।

परियोजना में पायी गई अन्य कमियां निम्नलिखित हैं:

- सीपीडीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार, सीमेंट व स्टील के अतिरिक्त निर्माण सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण लागत वृद्धि के भुगतान उन संविदाओं हेतु स्वीकार्य नहीं थे जिनमें समापन अवधि 18 महीने से कम थी, एवं उन संविदाओं के लिए जिनमें समापन अवधि 18 महीनों से अधिक लागत वृद्धि सभी सामग्रियों के लिए स्वीकार्य थी। देय लागत वृद्धि के खर्च को कम करने के लिए सीएसएमसी ने निर्देश दिये थे (अक्टूबर 2007) कि परियोजनाओं को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा 18 महीनों से कम रखी जाए।

कंझावला, नरेला, घोघा एवं उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 5,008 निवास इकाइयों का कार्य जिसके अंतर्गत घोघा में 3,680 निवास इकाइयों एवं बवाना में 704 निवास इकाइयों का निर्माण शुरू किया गया था, को कार्य दिये जाने की तिथि से 12 महीने में पूरा किया जाना था (जुलाई 2007)। हालांकि, कार्य प्रत्येक स्थान पर निर्माण की जाने वाली निवास इकाइयों की संख्या को स्पष्ट रूप से बिना बताये व बाधा रहित भूमि की उपलब्धता को बिना सुनिश्चित किये दिया गया। परिणामस्वरूप, यद्यपि कार्य जुलाई 2007 में दिया गया था, कार्य, बाधा रहित भूमि को प्रदान करने में डीएसआईआईडीसी की विफलता के कारण मई 2008 में यानी 11 महीने के विलंब के बाद शुरू हो सका।

डीएसआईआईडीसी द्वारा एजेंसी-ए को साइट प्रदान करने में विलंब के कारण, डीएसआईआईडीसी ने ठेकेदार को सीमेंट स्टील व मजदूरी को छोड़ सामग्रियों की बढ़ी हुई लागत के भुगतान को अनुमति प्रदान करते हुए संविदा की अवधि को 11 महीने बढ़ा दिया (मई 2008) क्योंकि संविदा की अवधि 18 महीने से अधिक हो गयी थी। डीएसआईआईडीसी ने विलंब के कारण दूसरी सामग्रियों पर बढ़ी हुई लागत के कारण ₹ 2.17 करोड़ का व्यय किया। यह परिहार्य होता यदि कार्य, बाधा रहित स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के बाद दिया जाता।

- सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल की धारा 2.3.4 के अनुसार, सामग्री के विचलन जो मूल संस्वीकृति से कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से बदल देते हों उन्हें प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए जो कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है, भले ही उसकी लागत को अन्य मर्दों पर बचत द्वारा कवर किया जा सकता हो।

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल की धारा 3.6 के अनुसार, जमा कार्यों के मामले में ग्राहक की लिखित अनुमति के बिना, कार्यक्षेत्र में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएसआईआईडीसी द्वारा घोघा एवं बवाना परियोजना की लागत को आवासों की संरचना के विनिर्देशों¹⁵ को बदलकर

¹⁵ (i) दीवार की मोटाई में 125 मिमी से 100 मिमी. की कमी (ii) स्नान हेतु डोर शटर में बदलाव व शौचालय में फ्लश से पीवीसी कर दिया गया, (iii) खिड़की सामग्री में परिवर्तन (iv) सीआई पाईप के स्थान पर पीवीसी पाईप लगाना, (v) आंतरिक विद्युतिकरण में परिवर्तन एवं (vi) ममटी को हटाने और इसके बदले गैर-सुलभ छत के लिए जाली दरवाजा प्रदान करना, जिससे रेलिंग वाली दीवार और सीढ़ी की ऊंचाई तीसरी मंजिल से छत तक कम हो जाती है।

₹ 2.25 लाख से ₹ 2.00 लाख प्रति निवास इकाई के साथ मात्रा/विनिर्देशों में ₹ 12.74 करोड़ की कुल कमी की गई। चूँकि संशोधन के कारण सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्टों में से भौतिक विचलन हुआ इसलिए सीएसएमसी का अनुमोदन आवश्यक था। हालांकि, संशोधन सीएसएमसी के अनुमोदन के बिना किए गए।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि डिजाइन इत्यादि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सलाहकार के सुझाव के अनुसार बदलाव किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोई भी मौलिक विचलन सीएसएमसी द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जाना जरूरी होता है इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी या अधिकृत एजेंसी द्वारा संरचनात्मक अध्ययन नहीं किया गया था।

- निवास इकाइयों के निर्माण के साथ-साथ सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत परियोजना में प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, सीवरेज उपचार संयंत्र और दिल्ली जल बोर्ड जल आपूर्ति के साथ कनेक्टिविटी की सुविधाएँ शामिल हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये सुविधाएँ न तो एजेंसी-ए को दिये गये कार्य का भाग थीं और न ही अलग से क्रियान्वित की गयीं थीं।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि पहले ही शिक्षा विभाग को सौंपी जा चुकी है एवं अन्य सुविधाएं निधि की कमी के कारण प्रदान नहीं की गयी थीं।

(ख) बापरोला फेज-I, दक्षिण-पश्चिम जिले में 3,424 निवास इकाइयों की आवासीय परियोजना

सीएसएमसी ने बापरोला फेज-I में 3,434 निवास इकाइयों की एक परियोजना संस्वीकृत की थी (जून 2007) एवं यह कार्य ₹ 113.45 करोड़ की लागत पर एजेंसी-बी को दिया गया था (जनवरी 2008)। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएसआईआईडीसी ने बापरोला फेज-I के साथ बापरोला फेज-II में 2,144 निवास इकाइयों का कार्य एजेंसी-बी को अनियमित रूप से दिया, यहाँ तक कि बापरोला फेज-II का कार्य सीएसएमसी द्वारा आठ माह बाद ही अक्टूबर 2008 में संस्वीकृत किया गया था। यह बताता है कि डीएसआईआईडीसी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी संस्वीकृति के पहले ही बापरोला फेज-II में 2,144 निवास इकाइयों के निर्माण हेतु कार्य अनियमित रूप से दिया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राप्त एकल बोली ₹ 61.32 करोड़ की अनुमानित लागत से 85 प्रतिशत अधिक थी पर डीएसआईआईडीसी ने एकल बोलीकर्ता अर्थात् एजेंसी-बी को बिना रिटेंडरिंग के कार्य दे दिया। सरकार ने बताया

(दिसम्बर 2019) कि कार्य की तात्कालिकता के कारण बिना पुनर्निविदाकरण के कार्य प्रदान किया गया एवं प्रदान किए गए कार्य की लागत औचित्य लागत के पाँच प्रतिशत के दायरे में थी जो कि सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल की निर्धारित सीमा के अंदर थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि कार्य 39 महीने के विलंब से पूर्ण हुआ था, इसलिए तात्कालिकता का कोई प्रमाण नहीं था।

यद्यपि सीएसएमसी ने परियोजना के पूर्ण होने की अधिकतम अवधि को 18 महीने से कम रखने का निर्देश दिया था, इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित अवधि 21 महीने रखी, जो कि सीएसएमसी के निर्देशों का उल्लंघन भी था।

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार, सीमेंट, स्टील एवं मजदूर को छोड़ निर्माण सामग्रियों का बढ़ा हुआ भुगतान उन संविदाओं के लिए स्वीकार्य नहीं था जिनमें संविदा अवधि 18 महीने से कम थी, परन्तु उन संविदाओं, जिनमें संविदा अवधि 18 महीने से अधिक थी, लागत वृद्धि सभी सामग्रियों पर स्वीकार्य थी। डीएसआईआईडीसी ने सीमेंट, स्टील एवं मजदूरी को छोड़ कर सामग्रियों पर लागत वृद्धि के रूप में ₹ 2.10 करोड़ का व्यय किया। यदि निविदा व कार्य दिये जाने के समय बापरोला फेज-II को अनियमित रूप से बापरोला फेज-I के साथ शामिल नहीं किया जाता तो यह व्यय टाला जा सकता था। बापरोला फेज-I व बापरोला फेज-II के लिए अलग-अलग निविदा व कार्य के दिये जाने से प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित अवधि 18 महीने से कम रखी जा सकती थी।

बापरोला फेज-I व बापरोला फेज-II में निवास इकाइयों के निर्माण के साथ सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित परियोजना में प्राथमिक विद्यालय, पार्क, नाले की पानी की सफाई एवं दिल्ली जल बोर्ड जल आपूर्ति के साथ कनेक्टिविटी की सुविधाएं शामिल थीं। हालांकि, ये सुविधाएं न तो एजेंसी-बी को दिये गये कार्य का भाग थीं और न ही अलग से क्रियान्वित की गयी थीं

इस प्रकार, यद्यपि डीएसआईआईडीसी घोघा, बवाना, बापरोला फेज-I व फेज-II की परियोजना को पूर्ण बताता है, इसे पूर्ण रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है चूँकि प्राथमिक विद्यालय, पार्क, नाले की पानी की सफाई संयंत्र व दिल्ली जल बोर्ड जल आपूर्ति के साथ कनेक्टिविटी सुविधाएं जो सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित थीं, अभी भी प्रदान की जानी अपेक्षित हैं।

(ii) **पूठखुर्द फेज-I, उत्तर जिले में 3,840 निवास इकाइयों की पूर्ण आवासीय परियोजना**

सीएसएमसी ने पूठखुर्द फेज-I में 6,480 निवास इकाइयों के निर्माण हेतु परियोजना को संस्वीकृत किया (दिसम्बर 2010) एवं कार्य निविदा प्रक्रिया

अपनाने के बाद अक्टूबर 2011 में ₹ 253.22 करोड़ की निविदा लागत पर एजेंसी-सी को दिया गया। कार्य को 18 महीने में अर्थात् अप्रैल 2013 तक पूर्ण होने के लिए निर्धारित किया गया था। बाद में बाधरहित स्थान की अनुपलब्धता के कारण काम का दायरा घटाकर 3,840 निवास इकाइयाँ कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने परियोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाईं:

- कार्य अक्टूबर, 2011 में प्रदान किया गया था, किन्तु सलाहकार द्वारा ढाँचागत कार्यों के लिए ड्राइंग जून, 2013 में उपलब्ध करायी गयी थी। इसी दौरान, डीएसआईआईडीसी (फरवरी 2012) ने वन एवं वन्य जीव विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति माँगी जो मई 2014 में प्रदान की गई। इसी दौरान भूमि की बाध्यताओं के कारण, डीएसआईआईडीसी ने (दिसम्बर 2014) 6,480 निवास इकाइयों के दायरे को कम करके 3,840 निवास इकाई करने का निश्चय किया एवं इन 3,840 निवास इकाइयों के निर्माण कार्य को अक्टूबर 2016 में पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूँकि पेड़ पहले से परियोजना स्थल पर मौजूद थे, इसलिए इस तथ्य को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में ही सामने लाया जाना चाहिए था, जिसे सीएसएमसी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार, डीपीआर तैयार करते समय स्थल का ठीक से सर्वेक्षण करने में सलाहकार की विफलता एवं बुनियादी ढाँचे के कार्य के लिए ड्राइंग प्रदान करने में विलंब के परिणामस्वरूप न केवल कार्य के दायरे में कमी आई अपितु कार्य के निष्पादन में भी विलंब हुआ।

हालांकि, डीएसआईआईडीसी द्वारा वास्तविक साइट स्थिति के अनुसार डीपीआर तैयार न करने हेतु सलाहकार पर जुर्माना नहीं लगाया गया। सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि पेड़ों के अस्तित्व का मुद्दा एवं उनके हटाने की अनुमति वन विभाग से फरवरी 2012 में ली थी किन्तु निवास इकाइयों की संख्या को कम किया जाना था एवं सलाहकार को ड्राइंग्स पुनः प्रस्तुत करनी थीं इसलिए अनुमति समय से प्रदान नहीं की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्पष्ट साइट की उपलब्धता एनआईटी की अनुमति एवं कार्य को दिये जाने से पहले सुनिश्चित नहीं किया गया था जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी की कार्य नियमावली की धारा 15.1 (2) (i) के अंतर्गत आवश्यक था।

परियोजना दिसम्बर 2010 में स्वीकृत की गयी एवं कार्य अक्टूबर 2011 में दिया गया, परन्तु पेड़ों की कटाई की अनुमति की माँग फरवरी 2012 में की गई थी।

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल की धारा 3.6 के अनुसार निक्षेप कार्य के मामले में पक्षकार की लिखित अनुमति के बिना कार्य क्षेत्र को नहीं बदला जाना चाहिए।

अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, छत तक जाने के लिए सीढ़ियों का कोई प्रावधान नहीं था। यद्यपि ठेकेदार द्वारा छत पर जाने के लिए 118 खंडों में सीढ़ियों का निर्माण कराया गया एवं डीएसआईआईडीसी द्वारा इस संबंध में सीएसएमसी की अनुमति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त कार्य के लिए दो करोड़ रुपये की राशि के अनाधिकृत कार्य का अनुमोदन किया गया।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि आग लगने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार छत को सुलभ बनाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आग लगने की स्थिति में मानदंडों के अनुपालन की सुविधाओं का डीपीआर में उल्लेख होना चाहिए और यदि विचलन बाद में किए जाते हैं तो उसके लिए, पक्षकार/सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

- सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित परियोजना पूठखुर्द फेज-I में निवास इकाइयों के निर्माण के साथ, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, अनौपचारिक क्षेत्र का बाजार एवं पुनः परिष्कृत पानी की आपूर्ति जैसी सुविधाओं की भी परिकल्पना की गई। जबकि, न तो ये एजेंसी-सी को प्रदान किये गये कार्य क्षेत्र में शामिल थे और न ही अलग से क्रियान्वित किये गये थे।

क्रियान्वित कार्यों व सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित कार्य क्षेत्र में तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डीएसआईआईडीसी ने कहा कि परियोजना पूर्ण है जबकि प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, अनौपचारिक क्षेत्र का बाजार एवं पुनः परिष्कृत पानी की आपूर्ति की सुविधाओं का निष्पादन न होने के कारण अभी भी पूर्ण होना बाकी है।

(iii) टीकरी कलाँ, पश्चिम जिला की अपूर्ण आवासीय परियोजना

सीएसएमसी ने ₹ 490.21 करोड़ की कुल परियोजना लागत से टीकरी कलाँ में 8,420 आवास इकाइयों के लिए आवास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की (जून 2011)। हालांकि, डीएसआईआईडीसी द्वारा परियोजना के क्षेत्र को कम करके 6,740 निवास इकाइयों तक और लागत ₹ 307.94 करोड़ कर दी गई थी (सितम्बर 2012) क्योंकि भूमि का कुछ भाग मुकदमेबाजी/अतिक्रमण के अंतर्गत था जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बाद में, पूठखुर्द फेज-II परियोजना को इस परियोजना के क्षेत्र के

नजदीक स्थानांतरित कर दिया गया जिसके कारण टिकरी कलाँ हेतु भूमि उपलब्धता और कम हो गई।

डीएसआईआईडीसी ने परियोजना को कम समय में पूरा करने के इरादे से 3,360 निवास इकाइयों एवं 3,380 निवास इकाइयों के दो पैकेजों में विभाजित किया एवं दोनों पैकेजों के लिए निविदाएं जारी की गई (जून 2012)। हालांकि, एजेंसी-डी को दोनों कार्यों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया एवं दोनों पैकेज का कार्य दिया गया (दिसम्बर 2012)।



फोटो 1: टिकरी कलाँ परियोजना अपूर्ण पड़ी है।

अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि बोली लगाने हेतु योग्यता मापदंड में से एक, कार्य के अनुमानित लागत के कम से कम 40 प्रतिशत का बैंक द्वारा जारी शोधन क्षमता प्रमाण पत्र (वित्तीय रूप से सक्षम प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना था। तदनुसार, कम से कम ₹ 123.18 करोड़ के शोधन क्षमता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी परन्तु चूँकि परियोजना ₹ 151.93 करोड़ व ₹ 156.01 करोड़ अनुमानित लागत के दो पैकेजों में विभाजित कर दी गयी थी। इसलिए दोनों पैकेजों हेतु ₹ 60.77 करोड़ एवं ₹ 62.40 करोड़ के शोधन क्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एजेंसी-डी ने ₹ 63 करोड़ का शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जो इसे दोनों अलग-2 पैकेज के लिए योग्य बनाता है लेकिन यदि परियोजना दो पैकेजों में विभाजित नहीं की जाती तो एजेंसी-डी अयोग्य घोषित हो गई होती।

इस प्रकार, एजेंसी-डी को दोनों पैकेजों को प्रदान करने से जो अन्यथा समय परियोजना के लिए अयोग्य थी, परियोजना को दो पैकेजों में विभाजित करने के उद्देश्य को निष्फल कर दिया।

दोनों पैकेज दिसम्बर 2013 तक पूर्ण होने के लिए निर्धारित थे परन्तु बाद में भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य क्षेत्र को 5,740 निवास इकाइयों (क्रमशः 2,720 व 3,020 निवास इकाइयों) तक कम कर दिया गया (नवम्बर 2014)। हालांकि, कार्यक्षेत्र में कमी के बावजूद एजेंसी-डी जुलाई 2017 से शून्य प्रगति के साथ पैकेज-I एवं पैकेज-II में क्रमशः 58 प्रतिशत व 41 प्रतिशत की प्रगति हासिल कर सकी। यह संकेत करता है कि एक ही एजेंसी को दोनों पैकेजों को

दिये जाने, जिसकी चुकता क्षमता प्रमाणपत्र केवल एक ही पैकेज हेतु पर्याप्त थी, के कारण परियोजना को पूरा करने में अनुचित विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जुलाई 2017 से कार्य के रुक जाने और ₹ 153.28 करोड़ का व्यय जो पहले ही हो चुका था, के बावजूद डीएसआईआईडीसी द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध संविदा को रद्द करना और दोषी ठेकेदार के जोखिम व लागत पर किसी अन्य ठेकेदार को कार्य आंवटित करना, जैसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी।

यह भी देखा गया कि एजेंसी-डी ने इन परियोजनाओं में खराब प्रदर्शन के बावजूद ₹ 30 करोड़ की निविदा सीमा के साथ सीपीडब्ल्यूडी में अपनी सूचीबद्धता की वैधता को 31 मार्च 2020 (मई 2018) तक बढ़वा लिया था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि ₹ 63 करोड़ के लिए प्रदान की गई चुकता क्षमता प्रत्येक अलग-अलग कार्य की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत थी। डीएसआईआईडीसी की निष्क्रियता के संदर्भ में कहा गया कि ₹ 29.55 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत शोधन क्षमता प्रमाणपत्र दोनों कार्यों को एक साथ शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिसके परिणामस्वरूप परियोजना विफल रही।

(iv) पूठखुर्द फेस-II, उत्तर जिले की 4,560 निवास इकाइयों की अधूरी आवासीय परियोजना

सीएसएमसी ने (दिसम्बर 2010) ₹ 254.56 करोड़ की कुल परियोजना लागत से पूठखुर्द फेस-II में 4,560 निवास इकाइयों की आवास परियोजना को संस्वीकृति प्रदान की। मूल साइट पर पेड़-पौधे एवं वन विभाग की नर्सरी होने के कारण बाद में साइट को बदलकर टिकरी कलाँ में कर दिया गया था। तब डीएसआईआईडीसी ने सितम्बर 2013 तक कार्य समाप्ति अवधि के साथ ₹ 173.29 करोड़ की धनराशि में एजेंसी-ई को कार्य प्रदान किया (मार्च 2012)।



फोटो 2: दिसम्बर 2016 से प्रमुख फेज-II परियोजना (टिकरी कलाँ में निर्मित) अपूर्ण एवं बेकार पड़ी है।

हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि कमजोर वास्तविक प्रगति एवं ठेकेदार के प्रदर्शन को देखते हुए, डीएसआईआईडीसी ने संविदा (दिसम्बर 2016) को रद्द कर दिया। हालांकि परियोजना पर ₹ 57.87 करोड़ का खर्चा करने एवं संविदा को रद्द किये जाने के 20 महीने बाद तक डीएसआईआईडीसी द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए पुनः निविदा जारी नहीं की गई। इससे प्राकृतिक व मानव निर्मित

टूट-फूट के कारण अपूर्ण संरचनाओं की क्षति की पूर्ति पर परिहार्य व्यय हो सकता है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि बचे हुए कार्य की रिटेंडरिंग व समापन हेतु 2018-19 के दौरान डीएसआईआईडीसी को ₹ 371.06 करोड़ की राशि जारी की गई हालांकि, दुबारा टेंडर किये जाने की जानकारी सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

(v) **पूठखुर्द फेस-III, उत्तर जिला की 6,300 निवास इकाइयों की अपूर्ण आवासीय परियोजना**

सीएसएमसी ने (दिसम्बर 2010) पूठ खुर्द फेस-III की 7,720 निवास इकाइयों की आवास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। डीएसआईआईडीसी ने 18 महीने की समापन अवधि के साथ ₹ 298.17 करोड़ में एजेंसी-एफ को कार्य प्रदान किया (सितम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि सलाहकार द्वारा जमा कराये गये



फोटो 3: जनवरी 2018 से पुठखुर्द फेज-III परियोजना अपूर्ण व बेकार पड़ी है

ड्राइंग में साइट पर वन विभाग की नर्सरी एवं पौधों का होना दिखाया गया जिसके बाद आवास इकाइयों की संख्या को घटाकर (सितम्बर 2014) 6,300 इकाइयां कर दिया गया। हालांकि, परियोजना की डीपीआर तैयार करते समय सलाहकारों एवं डीएसआईआईडीसी की जानकारी में यह होना चाहिए था कि, डीपीआर में साइट का विस्तृत सर्वेक्षण शामिल होता है। इसके अलावा डीपीआर को अंतिम रूप देते हुए साइट का सर्वेक्षण उचित ढंग से न करने पर सलाहकार पर जुर्माना नहीं लगाया गया।

तत्पश्चात, यद्यपि यह परियोजना अप्रैल, 2013 तक पूरी होनी चाहिए थी, परन्तु जनवरी 2018 तक केवल 65 प्रतिशत वास्तविक प्रगति ही प्राप्त हुई थी, उसके बाद कोई भी प्रगति नहीं हुई। डीएसआईआईडीसी ने कहा कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण ठेकेदार ने कार्य को रोक दिया। हालांकि, कार्य को अगस्त 2018 तक न तो रद्द किया गया न ही रिटेंडर किया गया।

इस प्रकार, अब तक परियोजना पर ₹ 178.34 करोड़ व्यय होने पर भी वह अपने अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई है इसके अतिरिक्त अपूर्ण ढाँचे के खराब होने की भी संभावना है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि नर्सरी के स्थानांतरण एवं पेड़ों की कटाई होने की अनुमति के पूर्वानुमान से डीपीआर को तैयार किया गया था परन्तु बाद में वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं देने के कारण, घरों की संख्या को घटाया गया था। यह दिखाता है कि डीएसआईआईडीसी ने डीपीआर तैयार करते समय साइट की वास्तविक स्थिति पर विचार न करने के तथ्य को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के क्षेत्र में कमी एवं विलंब हुआ।

(vi) सलाहकारों को अतिरिक्त भुगतान

डीएसआईआईडीसी ने आवास परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकारों के साथ परियोजनाओं की तय लागत के निश्चित प्रतिशत की निविदा राशि के साथ करार किया था। इस फीस का भुगतान अनुमानित या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाना था। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएसआईआईडीसी द्वारा चार परियोजनाओं की अनुमानित या वास्तविक लागत जो भी कम हो के बजाय जो भी ज्यादा हो के आधार पर सलाहकारों को भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.8.1)।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि सलाहकार को आकलन के आधार पर भुगतान किया गया क्योंकि इससे पहले उनको यह पता नहीं था कि कार्य के क्षेत्र में कमी हो जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप सलाहकारों को ₹ 1.47 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ एवं संविदा की शर्तों का उल्लंघन भी था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि सलाहकारों के भुगतान को ठेकेदारों को किये गये भुगतान (चालू बिल) के साथ जोड़ना चाहिए। यदि कार्य का क्षेत्र कम होता है और/या वास्तविक भुगतान आकलन से कम होता है तो सलाहकार को भुगतान वास्तविक लागत के निर्धारित प्रतिशत तक स्वतः ही सीमित होना चाहिए। यदि सलाहकार को भुगतान आकलन से अधिक होता है तो सलाहकार को भुगतान आकलन के आधार पर देय फीस तक सीमित किया जाना चाहिए।

3.8.3.2 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूसआईबी) के अंतर्गत परियोजनाएं

डीयूसआईबी को सौंपी गई छह परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा तालिका 3.8.4 में दिया गया है:

तालिका 3.8.4: डीयूएसआईबी को सौंपी गई परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना (निवास इकाइयों की सं.)	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन	प्रारंभ की तिथि	समाप्त होने की निर्धारित तिथि	समाप्ति की तिथि	विलंब महीनों में
साइट-2 द्वारका (736)	मार्च 2008	दिसम्बर 2009	मार्च 2011	सितम्बर 2013	30
साइट-3 द्वारका (288)				दिसम्बर 2013	33
सावदा घेवरा (7,620)	दिसम्बर 2010	मार्च 2012	जून 2013	जुलाई 2017	48
फेज-II द्वारका (980)	मार्च 2011	मार्च 2012	जून 2013	जुलाई 2014	13
साईट-ए3 सुल्तानपुरी (1,060)		मार्च 2012	जून 2013	मार्च 2016	33
भलस्वा (7,400)		अगस्त 2012	फरवरी 2014	जारी	53

स्रोत: विभागीय अभिलेख

तीन चयनित पूर्ण परियोजनाओं में पाई गई कमियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) **भलस्वा, उत्तर जिला की 7,400 निवास इकाइयों की अपूर्ण आवासीय परियोजना**

सीएसएमसी द्वारा भलस्वा की 7,400 निवास इकाइयों के निर्माण को ₹ 366.84 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर मार्च 2011 में अनुमोदित किया गया जिसमें निवास इकाइयाँ, भूमिगत स्रोत, सामुदायिक केंद्र के निर्माण की लागत, डीजेबी, डिस्काम इत्यादि को देय विकास शुल्क शामिल था। निवास इकाइयों के निर्माण हेतु कार्य जुलाई/अगस्त 2012 में ₹ 356.79 करोड़ की कुल लागत पर दिया गया था जो फरवरी 2014 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना के क्रियान्वयन में देरी ठेकेदार की तरफ से थी जिसके लिए डीयूएसआईबी ने बैंक गारंटी के रूप में ₹ 20.50 करोड़ एवं ₹ 5.24 लाख नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि को रोक लिया था। इस उद्देश्य हेतु ₹ 311.06 करोड़ की संस्वीकृत राशि के विरुद्ध निवास इकाइयों के निर्माण का कार्य ₹ 356.79 करोड़ की लागत पर दिया गया। इसी तरह, पानी व बिजली आपूर्ति हेतु दिल्ली जल बोर्ड एवं बिजली वितरण कंपनी को देय विकास शुल्क, परियोजना की स्वीकृति के समय अनुमानित लागत से काफी अधिक था। परिणामस्वरूप, अगस्त 2017 तक 96 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त करने के बाद भी कार्य अतिरिक्त निधियों के अभाव में रुका रहा क्योंकि स्वीकृत राशि समाप्त हो गयी थी। यद्यपि दिये गये कार्य की लागत के आधार पर संशोधित लागत अनुमान एवं विकास शुल्क जो वास्तव में उपयोगिता एजेंसी को दिया गया, डीयूएसआईबी द्वारा सरकार को 2013 में प्रस्तुत किया गया, जो जून 2018 तक वित्त विभाग के विचाराधीन था। इस प्रकार, समय पर आवश्यक निधियों को उपलब्ध कराने में रा.रा.क्षे.दि.स. की असफलता के कारण जो परियोजना 2012 में शुरू हुई थी, मई 2018 तक अपूर्ण रही जबकि अगस्त 2017

तक 96 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक टूट-फूट के कारण संरचनाओं के बिगड़ने व खराब होने से बचा जा सकता था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि कैबिनेट ने मार्च 2019 में परियोजना के समापन हेतु निधियों का आवंटन स्वीकृत किया था। हालांकि उत्तर कार्य के प्रगति के बारे में मौन है।

(ii) सावदा घेवरा, उत्तर पश्चिम जिला की 7,620 निवास इकाइयों की पूर्ण आवासीय परियोजना

सीएसएमसी ने सावदा घेवरा की 7,620 निवास इकाइयों की आवासीय परियोजना को मंजूरी दी (दिसम्बर 2010)। परियोजना को दो पैकेजों, 4,060 निवास इकाइयों एवं 3,560 निवास इकाइयों में निर्धारित 15 महीनों की कार्यावधि के साथ दोनों पैकेजों को ₹ 342.49 करोड़ में एजेंसी-ए को सौंपा था (मार्च 2012)।

लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों में यह पाया गया कि ठेकेदार की ओर से कुछ कमियों¹⁶ के साथ दोनों पैकेजों का कार्य जुलाई 2017 में समाप्त हो गया एवं अंतिम समापन इन सभी कमियों के सुधार के अधीन था। हालांकि, ठेकेदार द्वारा न तो सुधार कार्य किया गया है (अगस्त 2018) और न ही अंतिम बिल प्रस्तुत किये गये हैं। सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि कमियों के सुधार का कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि समय तालिका का पालन न करने पर डीयूएसआईबी द्वारा ठेकेदार के ₹ 17.14 करोड़ के भुगतान पर रोक लगाई गई थी। तत्पश्चात, डीयूएसआईबी ने ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटी के विरुद्ध ₹ 10 करोड़ की राशि जारी की। हालांकि यह पाया गया कि करारनामा में यह नहीं दिया गया कि बैंक गारंटी के विरुद्ध रोकी गई राशि जारी की जाये। इसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 90 लाख ब्याज का नुकसान हुआ।

सीएसएमसी द्वारा इस परियोजना के हिस्से के रूप में दो संयुक्त सुविधा केन्द्रों (सीएफसी)¹⁷ की स्वीकृति देने के बाद भी डीयूएसआईबी द्वारा केवल एक सीएफसी का कार्य नवम्बर 2017 में प्रदान किया गया, जिसका कार्य प्रगति पर है (जुलाई 2018)। इसी प्रकार, अनुमोदित तीन प्राथमिक स्कूलों में से डीयूएसआईबी द्वारा केवल एक प्राथमिक स्कूल का कार्य ही पूरा किया गया है।, अन्य सुविधाएं जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के

¹⁶ वाटर प्रूफिंग के साथ परिष्करण, लकड़ी कार्य/स्टील कार्य पर चित्रकारी, रसोईघर फिटिंग, टैंक फिटिंग, जलमीटर बाक्स, खिडकी ग्लास पैन/नाला/जलमार्ग की जाँच एवं भूमिगत जलाशय प्रदान नहीं किये गये।

¹⁷ सामुदायिक भवनों एवं अनौपचारिक बाजार

लिए कूड़ाघर¹⁸ एवं पानी की आपूर्ति के लिए बूस्टर पम्प का कार्य यद्यपि, सीएसएमसी द्वारा स्वीकृत थीं अभी तक निष्पादित नहीं की गई हैं। सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि बाद में माँग के अनुसार एक और विद्यालय के निर्माण हेतु साइट दि.न.नि. को सौंपी गयी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डीयूएसआईबी ने कहा कि यह परियोजना पूर्ण है पर इसे पूर्ण नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक सीएफसी, दो प्राथमिक विद्यालयों, एसटीपी, कूड़ाघर एवं बूस्टर पम्पों की सुविधाएं जो सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित थी, अभी तक निष्पादित नहीं हो पायी हैं।

(iii) सुल्तानपुरी, उत्तर पश्चिम जिले की 1,060 निवास इकाइयों की पूर्ण आवासीय परियोजना

सीएसएमसी ने सुल्तान पुरी की 1,060 आवास इकाइयों की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2011) और यह 15 महीनों की समापन अवधि के साथ एजेंसी-एफ को सौंपी गई थी (फरवरी 2012)। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा केबल बिछाने, रोड काटने की अनुमति देने, अभिन्यास योजनाओं के संशोधन आदि कारणों से परियोजना 33 महीने के विलंब के बाद 31 मार्च 2016 को पूर्ण हुई थी। सरकार ने कहा (दिसम्बर 2019) कि देरी हेतु एजेंसी पर ₹ 1.96 करोड़ की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी।

3.8.4 लाभार्थियों की पहचान एवं पूर्ण आवास इकाइयों का आवंटन

सितम्बर 2007 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए घर आवंटन के दिशा निर्देशों के अनुसार, जो 10 साल से दिल्ली के निवासी रहे हैं एवं जिनकी पारिवारिक आय ₹ 60,000/- तक प्रतिवर्ष है इस शर्त पर कि दिल्ली में उनका अपना मकान नहीं है, इस योजना के लाभ के पात्र हैं। इस उद्देश्य के लिए संभावित लाभार्थियों जिसमें सभी योग्य शहरी गरीब झुग्गी निवासियों, जो 1998 से दिल्ली में रह रहे हैं, से आवेदन आमंत्रित करके एक डेटा बेस तैयार किया जाना था। इसके अतिरिक्त, सीएसएमसी (अक्टूबर 2007) ने सभी राज्यों/यूटी से यह आग्रह भी किया था कि परियोजना की तैयारी के रूप में परियोजना के लाभार्थियों की पहचान को प्राथमिकता दे। तथापि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परियोजना की तैयारी के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बाद में फरवरी 2010 में रा.रा.क्षे.दि.स. ने यह निर्णय किया कि पुनर्वास हेतु सर्वेक्षण के माध्यम से स्लम एवं जेजे विभाग (अब डीयूएसआईबी) के द्वारा जेजे समूह की एक प्राथमिकता सूची तैयार की

¹⁸ तीन दीवारों वाली ठोस संरचना जो एक इलाके या बाजार में कचरे का संग्रह के लिए होती है।

जायेगी एवं प्रथम चरण में सर्वे हेतु 44 जेजे समूहों को चिह्नित किया गया था। झुग्गियाँ जो 31 दिसम्बर 1998 तक थीं उन्हें स्थानांतरण हेतु योग्य समझा जाना था। सर्वे के उपरांत झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे विभाग एवं भूमि स्वामित्व संस्था द्वारा लाभार्थियों का एक संयुक्त सर्वे और बायोमैट्रिक पहचान की जानी थी जिसके आधार पर जेएनएनयूआरएम के तहत निर्मित निवास इकाइयों को स्थान परिवर्तन के लिए पात्र झुग्गी निवासियों की एक सूची तैयार की जानी थी।

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी की 14 परियोजनाओं में से 48,476 निवास इकाइयों की 13 परियोजनाओं को झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, पात्रता की पहचान और निर्धारण का कार्य परियोजना के शुरू होने के बाद भी धीमा था। पिछले 12 वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम, डीयूएसआईबी के प्रारंभ से एवं इसके पूर्ववर्ती झुग्गी व जेजे विभाग द्वारा मात्र 5,483 लाभार्थियों की पहचान की गई यद्यपि निवास इकाइयों की संख्या जो 14 परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित किये जा रहे थे, 52,344 थी।

लाभार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ की तारीख को इस अवधि के दौरान पाँच बार संशोधित किया गया था, जिसके कारण, प्रत्येक बार जब कट-ऑफ की तारीख बदली गई तो लाभार्थियों की पहचान के लिए आवश्यक योग्यता के मानदंडों में बदलाव किए गए।

भूमि स्वामित्व एजेंसी की पुनर्स्थापन लागत के हिस्सों की भी चार बार समीक्षा की गई थी। नई पुनर्स्थापन नीति 2015 के अनुसार, भूमि स्वामित्व एजेंसियों को लाभार्थियों के हिस्से को छोड़कर निवास इकाई की लागत के पूरे हिस्से को वहन करना होता है। भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा अग्रिम हिस्सा जमा करने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। यद्यपि, 119 जेजे समूहों को भूमि स्वामित्व एजेंसियों की माँग के आधार पर प्राथमिकता दी गई है, भूमि स्वामित्व एजेंसियों ने सिर्फ 25 जेजे समूहों का अपना हिस्सा जमा किया जिसमें से 16 जेजे समूहों का ₹ 24.23 करोड़ का पूरा भुगतान जमा किया गया है एवं नौ जेजे समूहों के ₹ 50.58 करोड़ का आंशिक भुगतान किया गया है।

डीयूएसआईबी ने 675 जेजे समूहों में 3,06,521 झुग्गियों का आकलन किया एवं यूडीडी ने पुनर्स्थापन/पुनर्वास हेतु 119 जेजे समूहों को प्राथमिकता दी है। इनमें से सिर्फ 38 जेजे समूहों वाली 11,020 झुग्गियाँ हैं जिनका डीयूएसआईबी के द्वारा जेएनएनयूआरएम के तहत निर्मित निवास इकाइयों के आवंटन हेतु पात्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वे किया गया (अगस्त 2018)। इनमें से 6,891 झुग्गी झोपड़ियों के निवासी पात्रता निर्धारण समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं 38 जेजे समूहों में से 5,483 झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों की पात्रता अगस्त 2018

तक निर्धारित की जा सकी। तालिका 3.8.5 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अगस्त 2018 तक जेएनएनयूआरएम के तहत 5,483 झुग्गी झोपड़ियों में से केवल 1,864 निर्मित निवास इकाइयों में पुनर्वास किए गए थे।

तालिका 3.8.5: उपलब्धता के अनुसार घरों के आवंटन का ब्यौरा

वर्ष	गत वर्ष पूर्ण हुए फ्लैट्स की सं.	आवंटन के लिए उपलब्ध फ्लैट्स की सं. (प्रत्येक वर्ष की जनवरी तक)	आवंटित किए गए फ्लैट्स की सं.	आवंटन प्रतिशत
2010	1,184	1,184	90	7.60
2011	4,384	5,478	0	0.00
2012	2,684	8,162	176	2.16
2013	0	7,986	0	0.00
2014	6,592	14,578	0	0.00
2015	0	14,578	528	3.62
2016	2,040	16,090	185	1.15
2017	3,840	19,745	873	4.42
2018	7,620	26,492	12	0.05
कुल	28,344	26,480 (रिक्त)	1864	6.58

स्रोत: विभागीय अभिलेख

विभाग ने भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा भूमि स्वामित्व हिस्सा के जमा करने में देरी के लिए आवास इकाइयों के आवंटन एवं पास में पुनर्वास हेतु आवासीय परियोजना के नजदीक पुनर्स्थापन हेतु झुग्गियों की अनुपलब्धता, जैसा कि वर्तमान पुनर्वास नीति में उल्लेख है में विलंब को जिम्मेदार ठहराया।

1,864 आवंटित आवास इकाइयों में से 266 बवाना में (दिसम्बर 2008 में पूर्ण) 841 बापरौला में (फरवरी 2013 में पूर्ण) एवं 757 द्वारका में (जुलाई 2015 में पूर्ण) थी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता व पुनर्स्थापित झुग्गी निवासियों की संतुष्टि हेतु लेखापरीक्षा ने दिल्ली के विभिन्न भागों से बपरौला में पुनर्स्थापित 841 झुग्गी वासियों में से 44 (पाँच प्रतिशत) का सर्वेक्षण कराया। यह देखा गया कि सभी 44 झुग्गी वासी जो बापरौला में पुनर्स्थापित किये गये थे वे 9.5 से 27.2 किलोमीटर दूर से आये थे। इसके अतिरिक्त, आठ निवासियों ने अपने काम खो दिये एवं 31 अपने रोजगार हेतु कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस प्रकार, लाभार्थी दूर जगह से पुनर्स्थापन के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे जो कि बीएसयूपी के दिशानिर्देशों एवं रा.रा.क्षे.दि.स. की पुनर्वास नीति का उल्लंघन है।

इस प्रकार, नियोजित परियोजना के अनुरूप होने में दीर्घावधि पुनर्वास योजना की कमी दर्शाती है कि पुनर्स्थापित प्रक्रिया की धीमी गति के परिणामस्वरूप 28,344 निवास इकाइयों के 90 प्रतिशत से ज्यादा जो जून 2018 तक ₹ 1,101.36 करोड़ की लागत पर पूरा हुआ, खाली पड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त, 1864 निवास इकाइयों के आवंटन के बाद केवल 13 जेजे समूह पूर्ण रूप से पुनर्वासित किये जा सके एवं भूमि, भूमि स्वामित्व एजेंसी को सौंपी गयी। इस प्रकार, योजना के

अधीन ₹ 1,856.62 करोड़ खर्च करने के बाद (पूरी होने के साथ-साथ अधूरी परियोजनाएँ), 675 जेजे समूहों में से मात्र 13 पुनर्वासित किये जा सके।

खाली पड़ी हुई 26,480 निवास इकाइयों में से 13,737 इकाइयाँ निर्मित थी एवं 2014 से पहले पूर्ण हुई थीं। इसलिए, इन संरचनाओं के खराब होने और लंबे समय तक खाली रहने के कारण इन निवास इकाइयों में जुड़े हुए उपकरणों की चोरी से इन्कार नहीं किया जा सकता। निवास इकाइयों के गैर-आवंटन ने इस योजना के वास्तविक उद्देश्य को भी विफल कर दिया जिसमें शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना था।



फोटो 4: सावदा घेवरा परियोजना एवं बापरोला परियोजना की पूर्ण निवास इकाइयाँ क्रमशः जुलाई 2017 एवं फरवरी 2013 से खाली पड़ी हुई हैं

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि डीयूएसआईबी केवल उन जेजे समूहों को पुनर्स्थापित करता है जिनके लिए भूमि स्वामित्व एजेंसी से अनुरोध प्राप्त होता है एवं इस आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। तथ्यों के अनुसार उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 1,101.36 करोड़ की लागत पर निर्मित पूर्ण निवास इकाइयों में से 90 प्रतिशत से अधिक खाली व प्राकृतिक टूट-फूट एवं चोरी के कारण खराब पड़ी थीं। निर्मित निवास इकाइयों की प्रभावी उपयोगिता हेतु यह अनुशंसा की जाती है कि पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और लगातार सर्वेक्षण करना चाहिए एवं उनसे पहुँच बनाने के लिए भूमि स्वामित्व एजेंसी की प्रतीक्षा के बजाय उन्हें पुनर्स्थापित करें।

3.8.5 निष्कर्ष

शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास परियोजना को अपनी अवधारणा के चरण से ही नियोजन की कमी से जूझना पड़ा। सीएसएमसी द्वारा अनुमोदित 23

परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं को अतिक्रमण मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाद में छोड़ना पड़ा था, जो दर्शाता है कि इन परियोजनाओं के प्रस्ताव से पहले उचित साध्यता अध्ययन नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु सम्पूर्ण योजना बनाने के बजाय, दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 16 में से 15 परियोजनाओं में झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास करके अधिकतर पुनर्वास को ही लक्षित किया। आवास के बड़े समूहों के निर्माण के कारण, क्षेत्र के समग्र नियोजित विकास के साथ उन्हें एकीकृत करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

योजना के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमा था। कुल 14 आवासीय परियोजनाओं की 52,344 निवास इकाइयाँ डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी द्वारा निष्पादित की जानी थीं, 24,000 निवास इकाइयों की चार परियोजनाएँ ₹ 755.26 करोड़ खर्च के उपरांत भी अधूरी थीं। इसके अलावा, लाभार्थियों की पहचान में विलंब व निवास इकाइयों के साथ पूरा बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने में विलंब के कारण 28,344 निवास इकाइयों के 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ ₹ 1,101.36 करोड़ की लागत से जो जून 2018 तक पूर्ण हो गई थीं, खाली पड़ी थीं, इनमें से 13,737 इकाइयों का निर्माण 2014 से पहले हो चुका था। इस प्रकार, ₹ 1,856.62 करोड़ खर्च करने के उपरांत भी सरकार द्वारा लाभार्थियों की पहचान न कर पाने के कारण इस योजना का उद्देश्य अधूरा रहा, जबकि इस योजना को प्रारंभ किए 10 साल से ज्यादा हो गये हैं।

3.8.6 अनुशंसाएं

- सरकार को इन निवास इकाइयों के लिए अपेक्षित लाभार्थियों की पहचान को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और जल्द से जल्द उन्हें निवास इकाइयों को आवंटित करने की आवश्यकता है;
- सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, अनौपचारिक बाजार इत्यादि की सहायक सुविधाएं पूरी हैं जैसा कि परिकल्पित है;
- सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाएं जो विभिन्न कारणों से अधूरी पड़ी हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित टूट फूट के कारण संरचनाओं के ह्रास से बचने/कम करने के लिए शीघ्रता से पूरा किया जाए।

शहरी विकास विभाग

3.9 स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरणों, वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद में अनियमितताएं और कमियाँ

योजना के तहत उपकरणों की खरीद में कमियाँ जिनमें कार्यान्वयन एजेंसियों को फंड जारी करने में विलंब, ट्रकों, टिपरों इत्यादि को भाड़े पर रखने हेतु पूँजीगत अनुदान का प्रयोग, सामग्रियों के रखने हेतु स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना आदेश देना, आवश्यक 10 प्रतिशत राशि को रोके बिना अग्रिम के रूप में पूरे भुगतान को जारी करने के कारण निधियों का अवरोधन, सामग्रियों की देरी से या कम आपूर्ति एवं उनकी डिलीवरी के बाद ट्रक चेसिस के निर्माण में देरी के मामले में ₹ 0.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति शुल्क की गैर-वसूली आदि शामिल हैं।

2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने के लिए देश में सफाई व्यवस्था और स्वच्छता में सुधार के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (मिशन) की शुरुआत की। मिशन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित कुल छह¹⁹ घटक थे, जिनके मुख्य उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना, मैनुअल सफाई का उन्मूलन, ठोस कचरा प्रबंधन आदि थे। मिशन पर खर्च केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाना था।

भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के घटक के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा.क्षे.दि.) के लिए ₹ 263.68²⁰ करोड़ आवंटित किए थे। हालांकि 2014-15 और 2015-16 के दौरान केवल ₹ 63.47²¹ करोड़ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) को जारी किए गए थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपना हिस्सा ₹ 21.17 करोड़ जोड़ते हुए ₹ 84.64 करोड़ पाँच कार्यकारी एजेंसियाँ तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (न.दि.न.पा.प.), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी दि.न.नि.), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (दक्षिणी दि.न.नि.), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पूर्वी दि.न.नि.) और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) को जारी किए थे।

¹⁹ (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ii) घरेलू शौचालय (iii) सामुदायिक शौचालय (iv) सार्वजनिक शौचालय (v) सूचना, शिक्षा, संचार और (vi) क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय

²⁰ केन्द्र का 20 % वीजीएफ योगदान 1,37,33,000 का 80% (2019 में SWM- प्रोजेक्टड शहरी जनसंख्या के तहत कवर किए गए 80 % शहरी जनसंख्या के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1200 प्रति व्यक्ति की दर।

²¹ 31.03.2015 को ₹ 4.38 करोड़, 15.10.2015 को ₹ 0.36 करोड़ और 20.11.2015 को ₹ 58.73 करोड़

उसके उपरांत, न तो भारत सरकार ने कोई और फंड जारी किया, न ही रा.रा.क्षे.दि.स. ने आगे जारी करने के लिए अनुरोध किया (मई 2018 तक)। मंजूरी के अनुसार केवल पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए ₹ 84.64 करोड़ के केंद्रीय और राज्य योगदान का उपयोग किया जाना था।

जारी किए गए फंड और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इसके उपयोग का विवरण तालिका 3.9.1 में दिया गया है:

तालिका 3.9.1 जारी की गई निधि और इसके उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी को जारी			व्यय
	केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल	
न.दि.न.पा.प.	0.71	0.24	0.95	0.96
उत्तरी दि.न.नि.	24.18	8.06	32.24	19.61
दक्षिणी दि.न.नि.	19.87	6.63	26.50	25.19
पूर्वी दि.न.नि.	17.66	5.89	23.55	21.13
डीसीबी	1.05	0.35	1.40	2.67 ²²
कुल	63.47	21.17	84.64	69.56

स्रोत: कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिया गया यूटीलाइजेशन प्रमाण पत्र

लेखापरीक्षा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन(एमडब्ल्यूएम) के घटक के लिए उपयोग में लाई गई निधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित अनियमितताओं/कमियों को देखा:

(i) कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य द्वारा निधि जारी करने में देरी:

मिशन के निर्देशानुसार, “रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने के 30 दिनों के भीतर राज्य अंश सहित निधियों को यूएलबी को जारी करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर 30 दिनों से अधिक के विलंब से निधि जारी करने पर राज्य पर ब्याज लगाया जाएगा। यह मिशन के तहत राज्य द्वारा जारी निधि की अगली किस्त से उचित कटौती द्वारा लागू किया जाएगा।”

²² डीसीबी ने अनियमित रूप से ₹ 1.27 करोड़ के फंड को घटाकर एसबीएम के अन्य घटक से घटाकर एसडब्ल्यूएम घटक पर खर्च किया।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने जनवरी 2016 में कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने हिस्से के साथ केंद्रीय हिस्सा जारी किया। जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को प्राप्त ₹ 4.38 करोड़ की पहली किस्त रा.रा.क्षे.दि.स. के पास दस महीनों से अधिक समय तक अनुपयोगी पड़ी रही। ₹ 1.46 करोड़ का राज्य अंश भी, कार्यान्वयन एजेंसियों को दस महीने तक उपलब्ध नहीं कराया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि नए शीर्ष खातों (एचओए) को खोलने के लिए विधान सभा की स्वीकृति के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, नए शीर्ष खातों को खोलने का प्रस्ताव केवल सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, अर्थात् भारत सरकार से ₹ 4.38 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त होने के छह महीने बाद।

(ii) अन्य योजनाओं पर किए गए व्यय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निधियों में डेबिट किया गया:

उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दो राज्य योजनाओं क्रमशः “मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेसी एंड सेनिटेशन सर्विसेज” और “झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान” का क्रियान्वयन कर रही थीं। इन योजनाओं के तहत, व्हील-बैरो और घरेलू बिन्स की खरीद के लिए क्रमशः उत्तरी एमसीडी और पूर्वी एमसीडी द्वारा ₹ 0.48 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ का खर्च किया गया था। हालांकि इन खर्चों को तब मिशन के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत निधियों पर डेबिट किया गया। इस प्रकार, के तहत अतिरिक्त सम्पत्ति बनाने के बजाय, कार्यान्वयन एजेंसियां, एसडब्ल्यूएम घटक निधि में अन्य योजनाओं के तहत पहले से किए गए व्यय को केवल डेबिट कर रही थीं।

सरकार ने कहा (मार्च 2019) कि कचरे को इधर उधर फैलने से रोकने एवं मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सड़क पर विक्रेताओं को वितरित करने के लिए डिब्बे की खरीद पर ₹ 0.06 करोड़ व्यय किया गया। हालांकि, तथ्य यह है कि दूसरी योजनाओं पर पहले से किया गया व्यय मिशन को डेबिट किया गया।

(iii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य गतिविधियों पर किया गया अनियमित व्यय:

निर्धारित शर्तों के अनुसार, जारी की गई धनराशि का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा केवल पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए किया जाना था परंतु निर्मित की जाने वाली पूंजीगत सम्पत्ति का प्रकार संस्वीकृति में उल्लिखित नहीं

था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने एसडब्ल्यूएम के लिए पूर्वी दि.न.नि. को ₹ 23.55 करोड़ की राशि (जनवरी 2016) जारी की थी जिसमें से ₹ 21.13 करोड़ व्यय किया गया।

यह देखा गया कि पूर्वी दि.न.नि. ने मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए इन निधियों का उपयोग करने के बजाय दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, टिपरें, ट्रकों, बुलडोजर आदि का किराया देने पर ₹ 13.82 करोड़ का खर्च किया।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न बैठकों के दौरान, यह स्पष्ट था कि मशीनरी के भाड़े पर किए गए व्यय के पूंजीगत घटक को ठोस प्रबंधन के अंतर्गत लिया जा सकता है एवं ₹ 13.82 करोड़ का व्यय पूंजीगत घटक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मशीनरी को भाड़े पर लेने से कोई भी सम्पत्ति का विनिर्माण नहीं हुआ था।

(iv) वाहनों की प्राप्ति से पहले पूर्ण भुगतान की अनियमितता

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएण्डडी) दर संविदा के नियम और शर्तें निर्धारित करती हैं कि 90 प्रतिशत भुगतान अस्थायी रसीद के अंतर्गत किया जाना था और शेष 10 प्रतिशत की राशि का वाहन के स्टोर में आने पर भुगतान किया जाना था। 20 ट्रक चेसिस और 20 टिपर ट्रकों की खरीद के लिए दो अलग-अलग संविदाओं में उत्तरी एमसीडी ने शर्त का उल्लंघन करते हुए अग्रिम के रूप में (मार्च/जुलाई 2017), ₹ 2.24 करोड़ और ₹ 4.03 करोड़ की पूरी राशि जारी कर दी। इस कारण अग्रिम भुगतान किया गया। ₹ 0.63 करोड़ (₹ 2.24 करोड़ + ₹ 4.03 करोड़) का 10%, बीच की अवधि के दौरान अवरुद्ध रहा। इसके अलावा 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने के कारण टिपर ट्रकों की कीमत में ₹ 0.05 करोड़ की कमी आई, लेकिन अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं किया गया था। चूंकि विभाग ने डीजीएसएण्डडी शर्तों के उल्लंघन में अग्रिम भुगतान किया था अतः विभाग इस मूल्य अंतर को पुनर्प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था जो जीएसटी के लागू होने के कारण आया।

इन वाहनों की डिलीवरी में भी विलंब हुआ जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.9.2 में दिया गया है:

तालिका 3.9.2: वाहनों की डिलीवरी में विलंब का विवरण

क्र.सं.	वाहन	अग्रिम भुगतान की तारीख	डिलीवरी की निर्धारित तारीख	डिलीवरी की वास्तविक तारीख	दिनों में विलंब
1	20 ट्रक चेसिस	10.07.2017	02.09.2017	21/22.02.2018	173/172
2	20 टिपर ट्रक	28.03.2017	12.07.2017	28.02.2018	231

स्रोत: विभागीय अभिलेख

इसके अलावा, चूँकि विलंबित वितरण के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं थे इसलिए वाहनों की आपूर्ति में 173 से 231 दिनों तक के विलंब के लिए कोई मुआवजा/जुर्माना भी नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त इन वाहनों द्वारा कचरा/मलबा उठाने का उद्देश्य जो उत्तरी एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है, अप्राप्त रहा।

(v) स्टोर करने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 1000 ट्राइसाइकिल रिक्शों की आपूर्ति का कार्य प्रदान करना।

सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 की धारा 15.1.2 के अनुसार स्पष्ट साइट की उपलब्धता, निविदा अभिलेखों के अनुमोदन से पहले वाँछनीय है। इसके अतिरिक्त उचित नियोजन के लिए यह भी आवश्यक होता है कि जब सामानों के लिए आदेश दिया जाता है और संविदात्मक दायित्वों के अनुसार वितरित किया जाता है, तो वहां प्राप्त सामान के लिए पर्याप्त भंडारण का स्थान हो।

विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त माँगों के आधार पर, उत्तरी एमसीडी ने एक ठेकेदार को ₹ 2.24 करोड़ की संविदा राशि पर 1000 ट्राई साइकिल रिक्शों की आपूर्ति के लिए (दिसम्बर 2017) संविदा प्रदान की। इन ट्राईसाइकिल रिक्शों का उपयोग सड़कों व गलियों इत्यादि पर बिखरे कचरे को उठाने के लिए किया जाना था। आपूर्ति आदेश के अनुसार, ठेकेदार को आपूर्ति 07 मार्च 2018 तक पूरी करना आवश्यक था। हालांकि, ठेकेदार द्वारा मई 2018 तक केवल 300 साइकिल रिक्शों की आपूर्ति की गई थी, जिसके लिए ठेकेदार को ₹ 0.67 करोड़ की राशि (मार्च 2018) का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि स्टोर में जगह की कमी के कारण शेष रिक्शों की आपूर्ति नहीं की जा सकी। यह इंगित करता है कि काम देने से पहले उत्तरी एमसीडी द्वारा स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि 3 अप्रैल 2018 को प्राप्त कुल 300 रिक्शों में से मात्र 53 रिक्शे 26 अप्रैल 2018 तक उपयोग के लिए जारी किए गए थे। रिक्शों की आवश्यक संख्या प्रदान करने में विलंब से सड़कों पर बिखरे कचरे को उठाने और सूखे तथा गीले कचरे को अलग करने के लिए सफाई कर्मचारियों की सक्षमता से समझौता हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि रिक्शों की आपूर्ति सितम्बर माह 2018 में पूरी हुई।

(vi) सामग्री की कम आपूर्ति के बावजूद आपूर्तिकर्ताओं पर मुआवजे का शुल्क नहीं लगाया जाना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तरी दि.न.नि. के दो आपूर्ति आदेशों और दक्षिणी दि.न.नि. के पांच आपूर्ति आदेशों में आपूर्तिकर्ता मई 2018 तक आदेशित मात्रा को वितरित करने में विफल रहे। इन सात आपूर्ति आदेशों में से दो आदेशों में विलंब से आपूर्ति के लिए कोई दंडात्मक खंड नहीं था। शेष 5 आदेशों में सामग्री की सुपुर्दगी में विलंब के मामलों में संविदा में प्रति सप्ताह एक प्रतिशत की दर से मुआवजा निविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया गया था। सामग्री की सुपुर्दगी में विलंब का विवरण तालिका 3.9.3 में दिया गया है।

तालिका 3.9.3: सामग्री की सुपुर्दगी में विलंब का विवरण

मद की आपूर्ति	आदेश की राशि (₹ करोड़ में)	आपूर्ति की निर्धारित तिथि	आदेश की मात्रा	31.05.2018 तक आपूर्ति	विलंब (दिनों में 31.05.2018 तक)	लगाया जाने योग्य मुआवजा (₹ करोड़ में)
उत्तरी एमसीडी						
12 लीटर के डब्बे	4.82	26.03.2018	3,80,000	1,66,750	66	0.24
सड़क किनारे दो डब्बे	4.63	12.02.2018	6,000	500	108	कोई प्रावधान नहीं
दक्षिणी एमसीडी						
ट्राई साईकिल रिकशा	1.50	13.03.2018	500	378	79	0.15
100 लीटर वाले दो डब्बे	1.50	18.09.2017	2,500	600	255	0.15
100 लीटर वाले दो डब्बे	2.06	13.04.2017	3,500	2,550	413	0.28
240 लीटर वाले मोबाइल इस्टबिन	0.44	18.08.2017	1,250	1,202	286	0.04
150 लीटर वाले कचरा डब्बे	1.90	20.03.2017	3,800	2,536	437	कोई प्रावधान नहीं
कुल						0.86

स्रोत: विभागीय अभिलेख

हालांकि, इन पाँच आदेशों में ₹ 0.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति देय थी, लेकिन कार्य करने वाली एजेंसियों ने विलंब/कम आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर मुआवजा शुल्क नहीं लगाया। इसके अलावा, इन पांच आदेशों में सामग्री की विलंब/कम आपूर्ति के साथ, कार्य करने वाली एजेंसियों ने उनके साथ उपलब्ध निष्पादन गारंटी नहीं ली। शेष दो आदेशों में, विलंब या आपूर्ति की कमी के मामले में क्षतिपूर्ति शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था, विलंब से आपूर्ति हेतु मुआवजे के लिए कोई वसूली नहीं की थी।

(vii) चेसिस प्राप्त करने के बाद वाहनों के निर्माण कार्य शुरू करने में असामान्य विलंब

दक्षिणी दि.न.नि. द्वारा ₹ 6.08 करोड़ की कुल लागत से विभिन्न प्रकार के कचरे/मलबा/गाद और हरे कचरे आदि को उठाने के लिए सीएनजी संचालित हल्के कॉमर्शियल वाहनों की 62 चेसिस की आपूर्ति का काम (जून 2017) प्रदान किया गया था। हालांकि इन 62 चेसिस को सितंबर 2017 तक सुपूर्द किया जाना था, पर केवल 31 चेसिस का निर्माण कार्य (मई 2018) लेखापरीक्षा की तारीख (जुलाई 2018) तक प्रदान किया गया और ₹ 3.04 करोड़ की कीमत की शेष 31 चेसिस 10 महीने से अधिक तक स्टोर में बेकार पड़ी थीं।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य करने वाली एजेंसियों को मिशन निधियाँ जारी करने में विलंब के अतिरिक्त, निधियों का उपयोग योजना के तहत अनुमत गतिविधियों पर नहीं किया गया था, जैसे ट्रक, टिपर आदि को किराए पर लेना। इसके अतिरिक्त, अन्य योजनाओं के तहत पहले से किए गए व्यय के तदंतर मिशन निधियों के तहत बुक किया गया था।

उपकरणों, मर्दों एवं सामग्रियों की खरीद में योजना निधियों के बाहर कई कमियाँ पायी गयीं, जैसे कि सामग्रियों के संग्रहण के स्टोर में स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना आपूर्ति के लिए आदेश दिये जाने, अपेक्षित 10 प्रतिशत को रोके बिना अग्रिम के रूप में पूर्ण भुगतान जारी करने के कारण निधियों का अवरोधन, विलंब अथवा सामग्रियों की कम आपूर्ति के मामले में ₹ 0.86 करोड़ की राशि के लिए मुआवजे का शुल्क नहीं लगाना और उनकी सुपूर्दगी के बाद ट्रक चेसिस के निर्माण में विलंब जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ रुपये की कीमत की 62 चेसिस का 10 महीने से अधिक तक बेकार पड़ा रहना।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.10 कामकाजी महिलाओं को किफायती एवं सुरक्षित आवास से वंचित रखना एवं ₹ 97.53 लाख की राशि को अवरुद्ध रखना

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भूमि का कब्जा लेने के 16 वर्ष के उपरांत (दिसम्बर 2002) भी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.53 लाख राशि अवरुद्ध हो गई साथ में अनेक कामकाजी महिलाएं एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं किफायती हॉस्टल सुविधा से वंचित रहीं।

महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) के कार्यों में से एक कार्य, वे कार्यरत महिलाएं जिन्हें कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में रहने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, को कामकाजी महिला हॉस्टल द्वारा गरिमापूर्ण, उचित एवं किफायती आश्रय उपलब्ध कराना है। वर्ष 2009 में आरंभ की गई कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के विवरण के अनुसार आवासीय सुविधा के लिए बहुत अधिक संख्या में महिलाएं इंतजार कर रहीं थीं क्योंकि केवल दो ही कामकाजी महिला हॉस्टल विभाग द्वारा चलाये जा रहे थे, एक 110 महिलाओं की क्षमता वाला रोहिणी में व दूसरा 100 महिलाओं की क्षमता वाला विश्वासनगर में इसलिए प्राथमिकता के आधार पर नए कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण किए जाने की आवश्यकता थी।

समाज कल्याण विभाग²³ के अनुरोध (जून 2001) पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 81 आवासीय क्षमता वाले हॉस्टल के निर्माण के लिए बसंत गाँव, बसंत विहार के समीप, नई दिल्ली में ₹ 38.19 लाख की राशि का 3,193 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया। दिसम्बर 2002 में समाज कल्याण विभाग द्वारा भूखंड पर कब्जा लिया गया। भूमि जो कि उस समय सीमांकित नहीं की गई थी बाद में डीडीए द्वारा दिसम्बर 2004 में सीमांकित की गई। हॉस्टल का निर्माण कार्य दिल्ली राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को जनवरी 2005 में सौंपा गया था एवं प्रारंभिक अनुमान (₹ 5.76 करोड़) को तैयार करने व प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा संशोधित अनुमान (₹ 5.80 करोड़ जिसमें चार दिवारी शामिल है) जून 2006 तक पूरे किये गये थे। दिसम्बर, 2006 में भूखंड की चारदिवारी निर्माण का निर्णय लिया गया एवं ₹ 29.34 लाख का प्रारंभिक अनुमान मार्च, 2007 में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। डीएसआईआईडीसी ने सितम्बर 2007 में, हॉस्टल के लिए ₹ 6.37 करोड़ की

²³ डीडब्ल्यूसीडी उस समय एसडब्ल्यूडी का हिस्सा था।

लागत राशि हेतु कार्यकारी वित्त समिति का ज्ञापन प्रस्तुत किया एवं फाइल को दिसम्बर, 2007 में योजना विभाग को उनके विचार हेतु भेजा।

योजना विभाग की सलाह पर (जनवरी, 2008) डीडब्ल्यूसीडी ने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) माध्यम के अंतर्गत (नवम्बर 2008) डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण का कार्य आरंभ किया। उसके उपरांत मई, 2011 तक कोई प्रगति नहीं हुई, जब तक कि डीएसआईआईडीसी को डब्ल्यूडब्ल्यूएच के लिए नई प्रारम्भिक आकलन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। डीएसआईआईडीसी ने जून, 2011 में ₹ 16.74 करोड़ की नई पीई प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में तीन वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई एवं सितम्बर, 2014 में दिल्ली के मुख्य सचिव, ने अभिलेख की प्रामाणिकता के बिना डब्ल्यूडब्ल्यूएच के निर्माण कार्य को दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को सौंपने का निर्णय लिया एवं ₹ 30.00 लाख की प्रारम्भिक राशि (नवम्बर, 2014) डीटीटीडीसी को जारी की गई।

कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए अंतिम वास्तुकला योजना हेतु ₹ 23.92 करोड़ (एक प्रतिशत आकस्मिक व्यय एवं पाँच प्रतिशत विभागीय शुल्क सहित) की पीई के साथ डीटीटीडीसी द्वारा अक्टूबर 2015 में तैयार की गई थी।

मंत्री, डब्ल्यूसीडी विभाग द्वारा यह कहा गया कि पाँच प्रतिशत के विभागीय शुल्क से परियोजना पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा निष्पादन एजेंसी डीटीटीडीसी से पीडब्ल्यूडी को बदलने का निर्देश (जनवरी 2016) दिया।

इसके उपरान्त, डीडब्ल्यूसीडी ने पीडब्ल्यूडी से कार्य करवाने के निर्णय के लिए एक वर्ष का समय लिया। यह निर्णय जनवरी, 2017 में डीडब्ल्यूसीडी के निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जून, 2018 तक भी भवन के नक्शे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा निष्पादन एजेंसी को तय करने के अनिर्णय एवं विभाग द्वारा विभिन्न समयावधियों में निष्क्रियता के कारण हॉस्टल का निर्माण भूमि को कब्जे में लेने के 16 वर्षों के उपरांत भी नहीं हुआ था। इस विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 97.53 लाख²⁴ की राशि अवरुद्ध हो गई एवं अनुमानित लागत भी ₹ 5.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 23.92 करोड़ हो गई, इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाएं किरायाती एवं सुरक्षित आवास से वंचित रह गईं।

²⁴ ₹ 38.19 लाख + ₹ 29.34 लाख + ₹ 30.00 लाख


सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, भारत सरकार एवं एनजीओ के द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली में पर्याप्त संख्या में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल चल रहे हैं जहाँ अधिवास अधिकांश समय उनकी अधिकतम क्षमता तक नहीं हुआ है। सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2017-18 हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना अभिलेख बताते हैं कि दिल्ली में मौजूदा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भरे हुए हैं एवं हॉस्टल में प्रवेश हेतु काफी संख्या में प्रतीक्षा कर रही महिलाओं को समायोजित करने की स्थिति में नहीं है। योजना अभिलेख ने और अधिक हॉस्टल के निर्माण हेतु बढ़ती हुई आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

नई दिल्ली
दिनांक: 20 फरवरी 2020

अंगम चंदु
(लैसराम अंगम चंद सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 26 फरवरी 2020


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 25 लाख या अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त
एनजीओ की विवरणी
(पैराग्राफ 1.1 देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	एनजीओ का नाम	प्राप्त अनुदान
1.	महिला एवं बाल विकास विभाग	निराश्रित लड़कियों के लिए कस्तूरबा गाँधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट होम	184.00
2.	-वही-	निराश्रित लड़कियों के लिए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ (गर्ल्स) होम	179.00
3.	-वही-	निराश्रित बच्चों के लिए एस.ओ.एस. चिल्ड्रेन्स विलेज होम	179.00
4.	-वही-	प्रयास ऑब्जरवेशन होम्स फोर बॉयस-1, फिरोजशाह कोटला के नजदीक, दिल्ली गेट, नई दिल्ली	179.00
5.	-वही-	दिल्ली महिला कल्याण समिति	179.00
6.	-वही-	डॉन बॉस्को आश्रम	39.91
7.	-वही-	सलाम बालक ट्रस्ट	25.23
8.	-वही-	प्रयास शेल्टर होम फॉर गर्ल्स	28.30
9.	-वही-	प्रयास शेल्टर होम फॉर बॉयस	45.39
10.	-वही-	बाल सहयोग	40.13
11.	-वही-	सलाम बालक ट्रस्ट डी.एम.आर.सी. चिल्ड्रेन्स होम	47.30
12.	-वही-	रोज उद्यान चिल्ड्रेन्स होम फॉर गर्ल्स	32.54
13.	-वही-	यंग वूमन क्रिश्चन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली (मातृत्व छाया)	82.11
14.	शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.	उमेद अमन घर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	45.30
15.	-वही-	खुशी गर्ल्स रेनबो होम्स	45.30

परिशिष्ट 1.2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखों को प्रस्तुत किए जाने के ब्यौरों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा दिल्ली विधानसभा को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण को दर्शाने वाला विवरण
(पैराग्राफ 1.1 देखें)

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	भा.नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक लेखों को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	वर्ष जबतक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिल्ली विधानसभा को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसमें लेखे देय थे	लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 मार्च 2018 तक)
1	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	सौंपा गया कार्य (भा.नि.म.ले.प. कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं 14- लेखापरीक्षा-II/128-98 दिनांक 15.01.2004)	2017-18	2016-17	2010-11	-	-
2	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2008-09	2016-18	2 वर्ष
3	दिल्ली जल बोर्ड	सौंपा गया कार्य (भा.नि.म.ले.प. कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं गोपनीय टिप्पणी 497 दिनांक 16.12.2003)	2012-13	2012-13	2005-06	2013-18	5 वर्ष
4	दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड	बोर्ड का गठन कर दिया गया है तथा यह पार्लियामेंट के अधिनियम के अधीन अधिसूचित है।	2016-17	2015-16	शून्य	2017-18	1 वर्ष
5	इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	2016-17	-	-

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	भा.नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक लेखों को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	वर्ष जबतक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिल्ली विधानसभा को प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसमें लेखे देय थे	लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 मार्च 2018 तक)
6	अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली	मान लिया गया कार्य (अवधि नहीं दी गयी थी)	2017-18	2016-17	अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई	-	-
7	दिल्ली कल्याण समिति	2014-15 से 2022-23	2016-17	2013-14	समिति के जापन के अनुसार विधान सभा के समक्ष पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत न किये जाने का प्रावधान है।	2017-18	1 वर्ष
8	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	मान लिया गया कार्य (अवधि नहीं दी गयी थी)	2010-11 के प्रारम्भ से लेखा प्राप्त नहीं हुआ		शून्य	2010 से प्रारम्भ	8 वर्ष
9	दिल्ली विद्युत नियमन आयोग	भा.नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 के धारा 19 (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	2016-17 (15 जनवरी 2018)	-	-
10	दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण	विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 18 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई।	2016-17	2016-17	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।	2017-18	1 वर्ष

अनुलग्नक 2.1
धन का अपयोजन
(पैराग्राफ 2.1.6 देखें)

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)
1.	पश्चिम-III	आकस्मिक एवं विविध व्यय प्रभागीय स्टाफ को अग्रदाय नकदी देकर	0.39
		मुंडका के कराला में फिलिंग प्वाइंट का उन्नयन और नवीनीकरण	0.22
		कराला स्टोर की सीमा की दीवार की मरम्मत तथा फिलिंग प्वाइंट पर फर्श में आरएमसी करना	0.14
2.	उ.प.-II	प्रभागीय स्टाफ को अग्रदाय नकदी देकर आकस्मिक एवं विविध व्यय	1.61
		जल संकटकाल के लिए फर्नीचर का क्रय	0.05
3.	दक्षिण-VI	प्रभागीय स्टाफ को अग्रदाय नकदी देकर आकस्मिक एवं विविध व्यय	0.27
		जलआपूर्ति वितरण प्रणाली को चलाने और रखरखाव के लिए बेलदार/वाल्वमैन को कार्य पर लगाना	0.37
		ओएचटी, ओआईए, फेज-II में फलों मीटर चैंबर्स का निर्माण	0.01
		समतल करना/पुनः संरेखित करना तथा ओआईए फेज-II फिलिंग प्वाइंट के शेष क्षेत्र में फिक्सिंग पेवर ब्लॉक प्रदान करना	0.38
		तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न परित्यक्त नलकूप कक्ष को नष्ट करना	0.05
		हेल्दी यू फाउंडेशन द्वारा प्रयोगिक परियोजना स्थापित करने के लिए पानी भंडारण टैंक का संस्थापन एवं पोर्टा केबिन का निर्माण	0.07
		ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II की जल आपात स्थिति में फिलिंग प्वाइंट क्षेत्र की मरम्मत/नवीनीकरण	0.33
4.	ई एण्ड एमएस-II	वार्ड सं. 195, कालकाजी में स्ट्रीट लाइट प्रदान करना	0.01
		नलकूप का क्लोरीनेशन	0.23
5.	दक्षिण -IV	देवली विधानसभा क्षेत्र में परिव्यक्त नलकूप कक्ष का विनस्टीकरण	0.02
		देवली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न बीपीएस एवं नलकूपों पर सिविल कार्य का मरम्मत एवं निर्माण	0.11
		जल आपूर्ति वितरण एवं रखरखाव की देखरेख करने के लिए मजदूर को लगाना	0.14
6.	एस डब्ल्यू -II	पालम गाँव में नलकूप सं. 3 में बाहरी दीवार को उठाना एवं जे.ई. (सीवर) स्टोर का नवीनीकरण	0.06
		उज्वा यूजीआर परिसर में जल आपात स्थिति एवं फिलिंग प्वाइंट के लिए दीवार का निर्माण	0.22
		सीवर रखरखाव हेतु संविदा आधार पर अतिरिक्त एस जी बेलदार को रखा जाना	0.22
		कश्मीरी कालोनी एवं खैरा गाँव में मैनहोल्स का पता करना/उठाना/मरम्मत करना एवं साफ करना	0.03
		सीवरेज सक्शन सह जेटिंग मशीन को किराये पर रखना	0.40
कुल			5.33

अनुलग्नक 2.2

अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची जहाँ पानी की लाइन बिछाने से पहले सीवर लाइनों को बिछाया गया था
(पैराग्राफ सं. 2.1.8.3 देखें)

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	अनाधिकृत कॉलोनी का नाम
1.	1570	शांति नगर, उत्तम नगर, मेन नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली - 59
2.	555	सेवक पार्क एक्सटेंशन, राजा पार्क बस स्टॉप के नजदीक, उत्तम नगर, दिल्ली - 59
3.	1214	महबूब नगर जाकिर नगर, नई दिल्ली-25
4.	1601	जाकिर नगर, गली सं. 6 से 21 ए, नई दिल्ली - 25
5.	153	मामूरपुर कृष्णानगर, सिंधु बाईर, नरेला, दिल्ली - 40
6.	575	अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन हैदरपुर, दिल्ली - 87
7.	135-(ईएलडी)	गाँव टिकरी खुर्द, दिल्ली - 40
8.	42- (ईएलडी)	गाँव सहीपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली - 88
9.	71-(ईएलडी)	गाँव सिरसपुर, भाग - 1, दिल्ली - 42
10.	98-(ईएलडी)	गाँव वजीरपुर, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-52
11.	1605	अशोक नगर (सी-ब्लॉक), दिल्ली - 18
12.	978	नेब सराय एक्सटेंशन क्षेत्र, दिल्ली - 68
13.	1247	विश्वकर्मा कॉलोनी बी-ब्लॉक, एम.बी. रोड, पुल पहलादपुर, दिल्ली-44
14.	1498	जे-ब्लॉक प्रेम नगर, लाल कुआ, एम.बी.रोड, दिल्ली-44
15.	636	न्यू अशोक नगर, चीला बलॉक-ए, दिल्ली-96
16.	884	राजीव नगर, मन्डोली, नई दिल्ली-93
17.	911	कमल विहार एक्सटेंशन, करावल नगर, दिल्ली-94
18.	984	हरिजन बस्ती ब्लॉक सी घरोली, एक्सटेंशन दिल्ली - 96
19.	1245	डा. अम्बेडकर कॉलोनी राधा विहार सबोली के नजदीक, दिल्ली-93
20.	1512	चन्दपुरी चाँद बाग, मेन वजीराबाद रोड, दिल्ली - 94
21.	660	सैनिक इन्कलेव, विकास नगर, उत्तम नगर, हस्तल, नई दिल्ली-59
22.	215	कमला इन्कलेव, नई रोशन पुरा एक्सटेंशन, नजफगढ़, दिल्ली-43
23.	705	नई रोशनपुरा एक्सटेंशन, वाई-ब्लॉक, पपरावत रोड, नजफगढ़ नई दिल्ली-43
24.	849	नई रोशनपुरा एक्सटेंशन, भाग-11 (प्रेम नगर, जी ब्लॉक), नजफगढ़, दिल्ली-43
25.	1039	गणपती इन्कलेव एक्स-ब्लॉक नया रोशनपुरा एक्सटेंशन, नजफगढ़, दिल्ली-43
26.	1477	प्रेम नगर, जेड-ब्लॉक, पपरावत रोड, नजफगढ़, दिल्ली-43
27.	1595	विजय पार्क एक्सटेंशन (एलओपी), गली एनओ15, नजफगढ़
28.	873	संगम विहार ब्लॉक, भाग-11, दिल्ली-62
29.	1220	पंचशील विहार, खिड़की गाँव, मालवीय नगर के नजदीक दिल्ली-17
30.	1347	मोहल्ला जहाँपनाह हौजरानी, मालवीय नगर दिल्ली-17
31.	389	मोहन गार्डन जी-ब्लॉक एक्सटेंशन, आर.के. ब्लॉक एक्सटेंशन, भगवती गार्डन एक्सटेंशन, दिल्ली-59
32.	411	सिधात्री इन्कलेव, भगवती गार्डन, दिल्ली-59

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	अनाधिकृत कॉलोनी का नाम
33.	909	सेठी इन्कलेव भाग-1, चांदनी फार्म मोहन गार्डन के नजदीक, दिल्ली-59
34.	415	अग्रसेन पार्क, नजफगढ़, दिल्ली - 43
35.	592	विवेक नगर, ई-ब्लॉक रोशन विहार, फेज-2, नजफगढ़, दिल्ली-43
36.	954	डिफेंस इन्कलेव एवं डिफेंस इन्कलेव भाग-1, मोहन गार्डन, दिल्ली-59
37.	1010	विकास विहार, उत्तम नगर
38.	1184	औम विहार फेज-V, ब्लॉक ए, ए1, डी, डी1, ड2, ई जी एच एवं नवादा एक्सटेंसन, रुप विहार, दिल्ली-59
39.	1252	उदय विहार, भाग-1,2,3,4 निलोठी एक्सटेंसन, दिल्ली-41
40.	1548	साई धाम, नांगली सकरावती, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
41.	1555	शालीमार गाँव, दिल्ली-88
42.	1560	रवि नगर एक्सटेंसन, दिल्ली-18
43.	1581	विष्णु गार्डन, एन डब्ल्यू-ब्लॉक, नई दिल्ली-18
44.	1585	उत्तम नगर, जी आई ब्लॉक, दिल्ली-59
45.	1591	विष्णु गार्डन (आर2/सी ब्लॉक) एक्सटेंसन सं.-2., दिल्ली-18
46.	101-(ईएलडी)	मलिकपुर गाँव, छावनी दिल्ली-09
47.	131-(ईएलडी)	पीतमपुरा गाँव, नई दिल्ली-34
48.	15-(ईएलडी)	शहरीकृत/गाँव के अप्राधिकृत क्षेत्र, गाँव वसई दारापुर एक्सटेंसन, दिल्ली-15
49.	2-(एलओपी)	14, राजपुर रोड़, एमसीडी फ्लैट के सामने, सिविल लाईन दिल्ली-54
50.	8-(ईएलडी)	गाँव की आबादी का विस्तार, वसई दारापुर, नई दिल्ली-15

परिशिष्ट 2.3

सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादन किए गए कार्य
(पैराग्राफ 2.1.9.1 देखें)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	ठेका अनुबंध सं./वर्ष	निविदा में दर्शायी गई राशि	ठेके की कुल राशि	अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा स्वीकृत टी.एस. की राशि
दक्षिण-III डिवीजन				
1.	135/14-15	29.63	30.37	31.11
2.	138/14-15	46.84	41.64	49.18
3.	60/15-16	42.66	43.89	44.79
4.	62/15-16	47.12	38.54	49.47
5.	69/15-16	47.53	39.97	49.90
उत्तर-I, डिवीजन				
6.	50/15-16	34.02	25.52	34.37
दक्षिण-पश्चिम-II डिवीजन				
7.	9/15-16	28.31	22.02	41.28
8.	32/15-16	36.86	36.58	85.19
9.	33/15-16	31.66	31.43	61.25
10.	47/15-16	39.54	37.35	98.04
डीआर-IX डिवीजन				
11.	2/14-15	426.82	507.82	536.44
12.	1/16-17	34.73	26.65	42.15
13.	7/16-17	148.39	118.24	266.54
उत्तर पूर्व-II डिवीजन				
14.	39/16-17	79.32	66.68	82.20
एस आर-II डिवीजन				
	2/14-15	1154.78	1504.68	1213.00
	1/15-16	55.29	49.47	60.41

परिशिष्ट 2.4

ठेकेदारों की संविदा सीमा के बाहर कार्य का प्रदत्तन
(पैराग्राफ 2.1.9.2 (ii) (ख) देखें)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों की संख्या	वर्ष जिसमें कार्य आवंटित किया गया	ठेका सीमा	सौंपे गये कार्य की लागत का रेंज (₹)
1.	उत्तर-I	2	2015-16	90 लाख	110-120 लाख
2.	दक्षिण-III	6	2016-17	5 लाख	9.63-19.45 लाख
3.	डी.आर-IX	1	2013-14	60-90 लाख	65-209 लाख
4.	एसआर - II	4	2013-15	300 से 1500 लाख	2800 लाख
	कुल	13			

परिशिष्ट 2.5
कार्यों के पूर्ण होने में देरी
(पैराग्राफ 2.1.10.1 देखें)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों के पूर्ण होने में देरी		चल रहे कार्यों में देरी		अवरोध रजिस्टर में दर्शाये गये कारण
		6-24 महीने	24 महीने से अधिक	6-24 महीने	24 महीने से अधिक	
1.	दक्षिण-III	0	0	0	2	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
2.	एन ई-II	0		5	0	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
3.	पश्चिम-III	3	0	0	3	जनता का विरोध, रोड आउनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी एवं उद्घाटन में देरी
4.	एसआर-II	0	0	0	3	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
5.	एस डब्ल्यू-II	0		6	0	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
6.	दक्षिण-IV	4	0	4	0	जनता का विरोध, वर्षा ऋतु एवं एमसीडी चुनाव
7.	एन डब्ल्यू-II	8	0	11	0	रोड ओनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी एवं वर्षा ऋतु
8.	डी आर-XI	0		1	0	रोड ओनिंग एजेसी से रोड काटने की अनुमति में देरी, ट्रैफिक पुलिस वर्षा ऋतु
9.	डी आर-III	1	2	0	1	रोड ओनिंग एजेंसी से रोड काटने की अनुमति में देरी एवं ट्रैफिक पुलिस, वर्षा ऋतु, भूमि स्वामित्व विवाद, निर्माण पर एनजीटी का प्रतिबन्ध, अतिरिक्त मर्दों/पाइपों के विशेष विवरणों पर निर्णय लेने में देरी
10	उत्तर-I	5	0	0	0	देरी के कारण का पता नहीं चला क्योंकि अवरोध रजिस्टर प्रदान नहीं किया गया।
कुल		21	2	27	9	

परिशिष्ट 2.6
प्रभागवार कार्यों की संख्या जिनमें संशोधित एए एवं इएस/तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी
(पैराग्राफ 2.1.10.2 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों की सं.	एए/ईएस की मूल राशि	दिये गये कार्य की कुल राशि	ई.एस के उपर अतिरिक्त
1.	उत्तर-I	9	1.21	1.55	0.34 (28%)
2.	दक्षिण-III	3	0.11	0.18	0.07 (64%)
3.	डी.आर-IX	2	3.25	3.34	0.09 (03%)
4.	एनई-II	1	0.09	0.10	0.01 (11%)
5.	एस.आर.-II	2	40.81	50.70	9.89 (24%)
6.	एस. डबल्यू-II	2	0.21	0.26	0.05 (24%)
कुल		19	45.68	56.13	10.32 (23%)

परिशिष्ट 2.7

कम या बिना जुर्माने के समय विस्तार की असंगत स्वीकृति
(पैराग्राफ 2.1.10.3 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्य का नाम व डिवीजन	कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियाँ	जुर्माना का गैर उदग्रहण/कम उदग्रहण
1.	कोरोनेशन पिलर डब्ल्यू.डब्ल्यू.टी.पी. कैचमेंट क्षेत्र (डीआर-III) के अंतर्गत आने वाले समयपुर गुप के कालोनियों में 280 मि.मी. से 1100 मि.मी. डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (एसडीओसी): 20.2.2016 एवं पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (एसडीओसी): 31.03.2018। ₹ 84.99 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 84.91 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 8.50 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 1.26 करोड़ के जुर्माने को रोका गया	31.12.2016 तक 315 दिनों के अस्थायी समय विस्तार प्रदान किया गया। 455 दिनों के देरी के साथ कार्य वास्तव में 31.03.2018 को पूर्ण हुआ था जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	7.24 (8.50 – 1.26)
2.	कुरेनी गुप के कॉलोनियों (डी.आर.-III) में 280 मि.मी. डाई से 630 मि.मी. मामूली डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	एस.डी.ओ.सी.: 15.08.2015 एवं ए.डी.ओ.सी.: कार्य प्रगति पर (डब्ल्यू आई पी) ₹ 34.26 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 16.85 करोड़ का भुगतान। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 3.43 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 0.66 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	31.10.2018 तक बढ़ाये जाने के साथ एक अस्थायी ई.ओ.टी दिया गया। हालांकि, सिर्फ 519 दिनों के लिए अवरोध रिकार्ड किया गया, इस प्रकार, समय विस्तार केवल 15.1.2017 तक उचित था। कार्य अभी भी प्रगति में था, 621 दिनों की देरी के साथ (30.09.2018 तक) जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	2.77 (3.43 – 0.66)
3.	सी-रोहिणी-सी/ओ, एस.पी.एस एवं राइजिंग मेन (डी.आर.-III) में राजा विहार अनधिकृत कॉलोनी में सीवरज सुविधा प्रदान करना	एस.डी.ओ.सी.: 24.04.2013 एवं ए.डी.ओ.सी.: 29.11.2017। ₹ 1.32 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 1.31 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 0.13 करोड़ के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए बिना जुर्माना लगाये अंतिम ई.ओ.टी प्रदान किया गया। कोई जुर्माना नहीं रोका गया।	29.11.17 तक बिना जुर्माना के अंतिम ई.ओ.टी दिया गया। हालांकि, केवल 1432 दिनों के लिए अवरोध को रिकार्ड किया गया। इस प्रकार, संगत ई.ओ.टी को 24.3.17 तक किया गया। कार्य वास्तव में आगे की 250 दिनों की देरी के साथ 29.11.2017 को पूर्ण किया गया था जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	0.13

क्रम सं.	कार्य का नाम व डिवीजन	कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियाँ	जुर्माना का गैर उदग्रहण/कम उदग्रहण
	सीवरेज सुविधा प्रदान करना	निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 0.13 करोड़ के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए बिना जुर्माना लगाये अंतिम इ.ओ.टी. प्रदान किया गया। कोई जुर्माना नहीं रोका गया।	कार्य वास्तव में आगे की 250 दिनों की देरी के साथ 29.11.2017 को पूर्ण किया गया था जिसके लिए कोई अवरोध रिकार्ड नहीं किया गया।	
4.	जोन II यमुना विहार एस.टी.पी. कैचमेंट क्षेत्र (डी.आर. - XI) के उप जोन सं. 2 में करावल नगर, मुस्तफाबाद एवं गोकुल पुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ कालोनियों में 280-710 मि.मी. के आंतरिक/पेरिफेरल सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	एस.डी.ओ.सी: 2.10.2017 एवं ए.डी.ओ.सी: डब्ल्यू आई. पी.। ₹ 116.97 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 82.83 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 11.70 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 0.83 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	312 दिनों के अस्थायी समय विस्तार को 10.8.2018 तक बढ़ाया गया। कार्य सितम्बर 2018 तक प्रगति पर था। हालांकि, ठेकेदार के द्वारा दिनांक 26.06.2018 को प्रस्तुत किये गये 33वें आर.ए. बिल के अनुसार, मात्र 70% कार्य पूरा हो पाया।	10.87 (11.70 - 0.83)
5.	कॉडली एस.टी.पी कैचमेंट क्षेत्र (डी.आर.-VIII) के दल्लुपूरा, दल्लुपूरा एक्सटेंसन, दुर्गा पार्क, घरोली, घरोली डेयरी फार्म, घरोली एक्सटेंसन, आबादी कॉडली (ए से एफ ब्लॉक), कॉडली एक्सटेंसन, सपेरा बस्ती, राजबीर कॉलोनी एवं न्यु अशोक नगर के कॉलोनियों में 280 मि.मी आउटर डाई से 800 मिमी ईनर डाई का आंतरिक सीवर लाईन को प्रदान करना व बिछाना	एस.डी.ओ.सी: 18.9.2016 एवं ए.डी.ओ.सी: 30.4.2018 ₹ 36.18 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 35.06 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से ₹ 3.62 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 1.22 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	कार्य वास्तव में 577 दिनों की देरी से पूर्ण किया गया, ई.ओ.टी प्रदान करने का मामला प्रक्रियाधीन है।	2.40 (3.62 - 1.22)
6.	किरारी बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के लिए हैदरपुर जल कार्य सं. I में ई एण्ड एम उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, जांच एवं चालू कराना।	एस.डी.ओ.सी: 03.2.2013 एवं ए.डी.ओ.सी: 15.07.2013 ₹ 4.03 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 4 करोड़ का भुगतान किया गया। निविदा लागत के 10% की दर से	कार्य वास्तव में 162 दिनों की देरी से पूर्ण किया गया जिसमें से 161 दिन उपकरण के आपूर्ति में देरी के कारण ठेकेदार को दिये जाने योग्य था हालांकि जुर्माने 0.75% की दर	0.27 (0.30 - 0.03)

क्रम सं.	कार्य का नाम व डिवीजन	कार्य की स्थिति	अभ्युक्तियाँ	जुर्माना का गैर उदग्रहण/कम उदग्रहण
		₹ 0.30 करोड़ जुर्माने के विरुद्ध कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए ₹ 0.03 करोड़ के जुर्माने को रोका गया।	से 15 दिनों का लिया गया था।	
7.	पी.पी.पी. मोड अपरिष्कृत वाटर मैन्स को पुनः स्थापित करने, के अन्तर्गत नांगलोई जल संशोधन प्लांट दिल्ली के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा जल आपूर्ति, संचालित एवं वितरित नेटवर्क में सुधार एवं पुनः निर्माण।	एस.डी.ओ.सी: 22.03.2015 एवं ए.डी.ओ.सी: डबल्यू आई.पी. ₹ 7.51 करोड़ के निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 9.03 करोड़ का भुगतान हुआ। कार्य के पूर्ण होने में 850 दिनों की देरी के लिए कोई जुर्माने की राशि नहीं रोका गया।	850 दिनों के अवरोध को रिकार्ड किया गया। जो 22 मार्च 2015 को कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से 18 जुलाई 2017 तक के समयावधि को तर्क संगत बताता है। हालांकि, दि.ज.बो ने 28 अगस्त 2018 तक की अस्थायी समय विस्तार दिया है जिसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। जिसके कारण कार्य के पूर्ण होने में 406 दिनों की असंगत देरी के लिए ₹ 2.97 करोड़ का लिक्विडेटेड क्षति आरोपित नहीं किया गया।	2.97
8.	पी.पी. मोड - मौजूदा वितरित नेटवर्क (फेज-I) एवं बिना नेटवर्क वाले क्षेत्र (फेज-II) में नेटवर्क का विस्तार के अंतर्गत नांगलोई जल संशोधन प्लांट दिल्ली के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा जल आपूर्ति, संचालित एवं वितरित नेटवर्क में सुधार एवं पूर्ण निर्माण	फेज-I: एस.डी.ओ.सी: 22.03.2016 एवं ए.डी.ओ.सी: डबल्यू.आई.पी. कार्य के पूर्ण होने में 881 दिनों की देरी के लिए जुर्माने की राशि नहीं रोकी गयी। फेज-II: एस.डी.ओ.सी: 22.09.2017 एवं ए.डी.ओ.सी: डबल्यू.आई.पी. कार्य के पूर्ण होने में 159 दिनों की देरी के लिए जुर्माने की राशि को नहीं रोका गया। फेज-I एवं II के लिए ₹ 204.96 करोड़ की निविदा राशि के विरुद्ध ₹ 119.44 करोड़ का भुगतान किया गया।	लेखापरीक्षा ने पाया कि फेज-I के कार्य के लिए 881 दिनों की व फेज-II के कार्य के लिए 159 दिनों की अवरोध को रिकार्ड किया गया जो क्रमशः 22 मार्च 2016 एवं 22 सितम्बर 2017 को कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 20 अगस्त 2018 एवं 1 मार्च 2018 तक के समयावधि को तर्क संगत बनाता है। हालांकि, दि.ज.बो. ने बिना जुर्माना आरोपित किये क्रमशः 22 अक्टूबर 2018 एवं 15 मई 2019 तक का अस्थायी विस्तार दिया है। इसके फलस्वरूप फेज-I एवं फेज-II के लिए कार्य को पूर्ण होने में क्रमशः 63 दिनों व 441 दिनों की देरी के लिए ₹ 2.08 करोड़ व ₹ 2.97 करोड़ का लिक्विडेटेड क्षति नहीं लगाया गया।	5.05
			कुल	31.70

परिशिष्ट 2.8

बिना हाइड्रोलिक परीक्षण के पाइपलाइन के लिए भुगतान करना
(पैराग्राफ 2.1.10.3 देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	डिवीजन	कार्यों की सं.	जारी की गई राशि
1.	डी.आर-IX	8	2.27
2.	एस.डब्ल्यू-II	13	0.24
		21	2.51

परिशिष्ट 2.9

सुरक्षा जमा राशि को समय से पहले जारी करना
(पैराग्राफ 2.1.10.3 देखें)

(₹ लाख में)

क्रम.सं.	कार्य आदेश सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथि	डी.एल.पी. की समाप्ति	एस.डी. को जारी करने की तिथि	जारी की गई एस.डी की राशि
1	01 (2016-17)	राजीव नगर एक्सटेंसन	05.08.2016	05.08.2020	18.09.2017	2.20
2	90 (2015-16)	मीर विहार	02.09.2016	02.09.2020	31.03.2018	2.45
3	65 (2015-16)	उपकार विहार	12.04.2016	12.04.2020	19.08.2017	1.62
4	63 (2015-16)	शेर सिंह इन्कलेव	29.04.2016	29.04.2020	31.03.2018	1.06
5	74 (2015-16)	योगीराज पुरम 'जे' एवं ए ब्लॉक	04.03.2016	04.03.2020	19.08.2017	1.17
6	64 (2015-16)	जैन नगर एक्सटेंसन	28.04.2016	28.04.2020	31.03.2018	1.72
7	54 (2015-16)	भाग्य विहार फेज-II	06.04.2016	06.04.2020	31.03.2018	0.78
8	91 (2015-16)	महावीर विहार, कंझावला	19.09.2016	19.09.2020	31.03.2018	3.06
9	55 (2015-16)	योगीराज पुरम	06.04.2016	06.04.2020	31.03.2018	10.2
10	51 (2015-16)	लूईस ब्रेल विहार	03.02.2016	03.02.2020	19.08.2017	0.48
11	97 (2015-16)	सुखबीर नगर	28.07.2016	28.07.2020	18.09.2017	4.34
12	52 (2015-16)	तीर्थकर नगर	07.04.2016	07.04.2020	19.08.2017	0.52
13	98 (2015-16)	रूपाली इन्कलेव	26.07.2016	26.07.2020	08.09.2017	4.39
		कुल				24.81

परिशिष्ट 2.10

**प्रभागवार कार्यों का विवरण जिनमें निरीक्षण नहीं किया गया था
(पैराग्राफ 2.1.12.2 देखें)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डिवीजन	कार्य के क्रियान्वयन की अवधि	कार्यों की संख्या	किए गए कार्य की कुल मूल्य
1.	उत्तर-I	3/16-3/18	4	5.84
2.	दक्षिण-III	1/15-3/18	7	2.15
3.	डीआर-IX	3/13-7/16	8	11.37
4.	एन ई -II	11/14-3/18	18	9.77
5.	एस आर -II	5/13-3/18	4	208.06
कुल			41	237.19

परिशिष्ट 2.11

**प्रभागवार कार्यों का विवरण जिनमें तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया
(पैराग्राफ 2.1.12.2 देखें)**

क्रम सं.	डिवीजन	कार्यों की संख्या	प्रदान किए गए कार्यों के रेंज	टिप्पणी
1.	उत्तर-I	32	27-53 % ई सी से कम	तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया।
2.	डीआर-IX	1	32% ई सी से कम	वहीं
3.	एनई-II	3	32-43% ई सी से कम	वहीं
4.	एस डब्ल्यू -II	4	28-40% ई सी से कम	वहीं
कुल		40		

परिशिष्ट 2.12

कार्यों की सूची जिसमें कार्यक्रम अनुसूची जमा नहीं की गई
(पैराग्राफ 2.1.12.3 देखें)

क्रम सं.	कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	डब्ल्यू पी एस के प्रस्तुत होने में दिनों में देरी	जुमाने की राशि जिसे वसूल किये जाने है (₹ करोड़ में)	कार्य के पूर्ण होने में दिनों में देरी
उत्तर-I डिवीजन					
1.	1 प्रधान इन्क्लेव, बुरारी में पानी का लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.20	192	0.02	--
2.	2 आई.पी. कालोनी, बुरारी में पानी का लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.10	181	0.02	30
3.	3 कौशिक इन्क्लेव एवं नाथू कॉलोनी बुरारी में जल वितरण प्रणाली उ.क./बि.	2.37	697	0.07	372
4.	4 बुरारी के जगतपुरी में जल वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना/बिछाना पानी जिला नेटवर्क	1.42	315	0.03	28
डी.आर-XIV डिवीजन					
5.	1 साई बाबा इन्क्लेव, दीप विहार, लक्ष्मी गार्डन, नजफगढ़ में सीवर लाईन उ.क./बि.	16.84	917	0.09	356
6.	2 एफ.डी. ब्लॉक महावीर इन्क्लेव, कैलाशपुरी, सागरपुर एवं द्वारका के दुर्गा पार्क में सीवरलाईन उ.क./बि.	58.92	1095	0.11	270
7.	3 पालम के विजय इन्क्लेव महावीर विहार, बंगाली कॉलोनी में सीवरलाइन उ.क./बि.	38.21	1222	0.12	307
डी.आर-IX डिविजन					
8.	1 नई शांति मोहल्ला सीलमपुर एक्सटेंसन, शाहदरा में सीवर लाईन उ.क./बि.	1.08	329	0.03	-
9.	2 कौंडली के रानी गार्डन में आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.49	308	0.03	-
10.	3 पश्चिम यमुना विहार के अंतर्गत पश्चिम जयती नगर में आंतरिक एवं पेरीफेरल सीवर लाईन उ.क./बिछाना	1.58	320	0.03	-
11.	4 यमुना विहार के अंतर्गत बुलन्द मस्जिद में सीवर लाईन उ.क./बि.	2.09	280	0.03	-
12.	5 यमुना विहार के अंतर्गत अशोक विहार में सीवर लाईन	5.07	532	0.05	240
डी.आर-XII डिवीजन					
13.	1 नई शान्ति मोहल्ला सीलमपुर एक्सटेंसन, शाहदरा में पीएल सीवर लाईन उ.क./बि.	111.87	1405	0.14	1185
एन.ई-II डिविजन					
14.	1 करावलनगर के अंतर्गत चन्द्रपुरी में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ. कराना/बिछाना	1.34	293	0.03	153
15.	2 करावल नगर के अंतर्गत राम कॉलोनी, राजीव नगर में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	3.89	401	0.04	45

क्रम सं.	कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	डब्ल्यू पी एस के प्रस्तुत होने में दिनों में देरी	जुर्माने की राशि जिसे वसूल किये जाने है (₹ करोड़ में)	कार्य के पूर्ण होने में दिनों में देरी
16.	3 करवाल नगर के अंतर्गत शाहबाद पुर एकसटेशन मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	3.56	611	0.06	252
17.	4 करवाल नगर के अंतर्गत शिव विहार, मुस्तफाबाद मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	1.25	416	0.04	150
18.	5 करवाल नगर के अंतर्गत ओएण्डपी कालोनी मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	1.05	404	0.04	137
एस.आर-II डिविजन					
19.	1 निलोठी डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी के अन्तर्गत इन्टरसेप्टर सीवर में गिरने वाले मोहन गार्डन ग्रुप के कॉलोनियों में सीवर लाईन उ.क./बि.	228.40	1771	0.18	730
20.	2 सीतापुरी एवं चाणक्यपुरी भाग II, द्वारका में सीवरलाईन उ.क./बि.	8.80	224	0.02	210
21.	3 द्वारका के अंतर्गत बिन्दापुर जी.ओ.सी में सीवरलाईन उ.क./बि.	35.66	1641	0.16	1095
22.	4 रिठाला के अंतर्गत राजधानी पार्क जी.ओ.सी में सीवर लाईन उ.क./बि.	15.05	1187	0.12	865
23.	5 केशवपुर के अंतर्गत भूपेन्द्र सिंह नगर जी.ओ.सी में सीवरलाईन उ.क./बि.	3.01	226	0.02	150
एस.डब्ल्यू-II डिवीजन					
24.	1 नजफगढ़ के डाबर इन्क्लेव में पी/एल जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	2.36	669	0.07	485
25.	2 भारत विहार मटियाला में एल जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उ.क./बि.	1.53	271	0.03	90
26.	3 कुतुब विहार फेज-II में मटियाला मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना/बिछाना	5.14	462	0.05	270
27.	4 कुतुब बिहार फेज-II मटियाला मे जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराना/बिछाना	1.83	462	0.05	270
डी.आर-XI डिवीजन					
28.	1 गणेश नगर, पाण्डवनगर, परिसर शाहदरा में 280 मिमी डाई से 500 मिमी डाई के एच.डी.पी.ई आंतरिक सीवर लाईन को मूहैया कराना/बिछाना	2.82	673	0.07	209
डी.आर-III डिवीजन					
29.	1 समयपुर ग्रुप के कॉलोनियों मे 280 मिमी से 1100 मिमी डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को मुहैया करना/बिछाना	84.99	1332	0.13	770
30.	2 कुरेनी ग्रुप के कॉलोनियों में 280 मिमी से 630 मिमी में मामूली डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को मूहैया कराना/बिछाना	34.25	1481	0.15	1140

क्रम सं.	कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	डब्ल्यू पी एस के प्रस्तुत होने में दिनों में देरी	जुमाने की राशि जिसे वसूल किये जाने है (₹ करोड़ में)	कार्य के पूर्ण होने में दिनों में देरी
31.	3 सी-रोहिणी-सी/ओएसपीएस एवं आर/मेन में राजाविहार अनाधिकृत कॉलोनी में सीवरेज सुविधा को मुहैया कराना।	1.32	1857	0.19	1662
डी.आर.-VIII डिवीजन					
32.	1 कर्दमपुरी, कर्दमपुरी एक्सटेंसन एवं बावरपुर में हरिजन बस्ती, पश्चिम ज्योति नगर में 280 मिमी डाई से 500 मिमी डाई के आंतरिक एवं पेरिफेरल सीवर लाईन को मुहैया कराना एवं बिछाना	4.64	365	0.04	-
33.	2 ई-ब्लॉक, पश्चिम विनोद नगर में एच.डी.पी.ई. पाईप के साथ 280 मिमी डाई के आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	1.53	255	0.02	-
34.	3 दल्लुपुरा, दल्लुपुरा एक्सटेंसन, दुर्गापार्क, घोली, घोली डेयरी फार्म, घोली एक्सटेंसन आबादी क्षेत्र, कौंडली (ए से एफ ब्लॉक), कौंडली एक्सटेंसन, सपेरा बस्ती, राजबीर कॉलोनियों में 280 मिमी आउटर डाई से 800 मिमी इन्टर डाई के आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	36.18	1658	0.17	604
35.	4 चन्दर विहार, मण्डावली, फजलपुर में आंतरिक लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	2.49	732	0.07	-
36.	5 पश्चिम विनोद नगर के कालोनी में 280 मिमी आउटर डाई से 710 मिमी आउटर डाई के आंतरिक सीवर लाईन उपलब्ध कराना/बिछाना	5.13	917	0.09	183
		729.46		2.61	

परिशिष्ट 3.5.1

उपकर संग्रह एवं व्यय का वर्षवार विवरण (पैराग्राफ 3.5 देखें)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर संग्रहित	प्रशासनिक व्यय	कल्याण व्यय	कुल व्यय	उपकर संग्रहित के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय
2009-10	202.68	0.21	25.51	25.72	12.70
2010-11	201.84	0.63	0.27	0.90	0.45
2011-12	148.92	1.46	1.19	2.65	1.78
2012-13	157.39	1.60	9.67	11.27	7.16
2013-14	182.31	2.64	0.29	2.94	1.61
2014-15	253.00	2.14	1.79	3.93	1.56
2015-16	208.07	2.18	22.04	24.22	11.64
2016-17	185.65	3.02	19.42	22.44	12.08
2017-18	199.20	3.99	72.54	76.53	38.42

परिशिष्ट 3.8.1

सलाहकारों को अतिरिक्त भुगतान के विवरण (पैराग्राफ 3.8.3.1 (vi) देखें)

(₹ लाख में)

कार्य का नाम (निर्माण का स्थल एवं आवसीय इकाइयां)	परामर्श के शुल्क की दर	प्राथमिक विस्तृत प्राक्कलन	संशोधन के उपरांत डीयू की संख्या	किए गए कार्य की लागत	भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क	देय शुल्क	अधिक भुगतान
पूठखुर्द फेज-I 6480 आवास ईकाइयां	1.20%	18,110.70	3,840	15,491.30	224.30	185.90	38.40
पूठखुर्द फेज-II (4560 आवास ईकाइयां)	1.20%	12,407.50	4,560	4,617.92	95.00	55.42	39.58
पूठखुर्द फेज-III (7720 आवास ईकाइयां)	1.20%	21,424.76	6,600	16,028.32	210.28	192.34	17.94
टीकरी कलां (5740 आवास ईकाइयां)	1.10%	27,025.62	5,740	13,586.87	200.57	149.46	51.11
कुल							147.04

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in